


निदेशक मण्डल / Board of Directors



डॉ. आर. एन. पात्र / Dr. R. N. Patra अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /Chairman & Managing Director







श्री सी.के. असनानी / Shri C K Asnani निदेशक (विपणन) / Director (Marketing) निदेशक (तकनीकी) / Director(Technical)



श्री राकेश तुमाने / Shri Rakesh Tumane निदेशक (वित्त) / Director(Finance)

सरकारी नामित निदेशक / Government Nominee Directors



श्रीमति चित्रा रामचंद्रन, आईएएस Smt.Chitra Ramachandran,IAS संयुक्त सचिव (आईएंडएम) (10.06.15 तक) Jt.Secretary(I &M)(till 10.06.15)



श्री आर ए राजीव, आईएएस Shri R A Rajeev, IAS संयुक्त सचिव (वित्त) Jt.Secretary(Finance)



श्री संजीव सूद Shri Sanjeev Sood संयुक्त सचिव (आईएंडएम)(11.06.15 से) Jt.Secretary(I &M)(from 11.06.15)



श्री बी. ज्योतिकुमार / Shri B Jyothikumar

श्री एन. साईबाबा / Shri N Saibaba

स्वतंत्र निदेशक / Independent Directors



डॉ. अशोक कुमार लोमस / Dr Ashok Kumar Lomas

बैंकर्स / Bankers स्टेट बैंक ऑफ इंडिया State Bank of India स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर State Bank of Travancore एचडीएफसी बैंक / HDFC Bank

लेखापरीक्षा / Auditor मेसर्स एस के पटोदिया M/s S.K. Patodia & Associates मुंबई / Mumbai



श्री शकील अहमद / Shri Shakeel Ahmed

विधि सलाहकार / Legal Advisor मेसर्स कंसल्टा ज्यूरिस, मुंबई M/s Consultajuris, Mumbai मेसर्स मेनन एंड पाई. कोच्चि M/s Menon & Pai. Kochi

Corporate Identity Number (CIN): U15100MH1950GOI008187



अध्यक्षीय कथन



प्रिय सदस्यों.

आपकी कंपनी की 65 वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है । 65वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन की सूचना, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट आपके पास पहले से है और आपकी अनुमित से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ । मेरी ओर से आपकी कंपनी का वार्षिक कार्यनिष्पादन लगातार छठवीं बार प्रस्तुत हो रहा है ।

आर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान यूरो ज़ोन में ग्रीस संकट से वैश्विक स्तर पर वृहद आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक नहीं रहा तथा कच्चे तेल की गिरती कीमतों का असर तेल उत्पादक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3.3 से 3.4% रही । निर्माण क्षेत्र, आधारभूत संरचना समर्थित उद्योग एवं इस्पात उद्योग भी सामान्य तौर पर विश्वव्यापी तनाव के नीचे रहे जिसकी तीव्रता चीन में अधिक दिखी । कम आशाजनक विश्व परिदृश्य के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष में 6.9% की तुलना में वर्ष 2014-15 में 7.4% की सकारात्मक वृद्धि दर प्राप्त की । कच्चे तेल की गिरती कीमतें भारत के पक्ष में रही और मुद्रास्कीति में कमी का एक कारण थीं । भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया की हाल की पहल से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है जिससे दीर्घावधि में खनन क्षेत्र में फिर से वृद्धि की संभावना जगी है ।

कार्यनिष्पादन

वृहद एवं सूक्ष्म स्तर पर विविध बाधाओं के बावजूद कंपनी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2014-15 में 14% अधिक खनिज का विक्रय करने में सफल हो सकी । उत्पाद इल्मेनाइट मात्रा एवं राजस्व दोनों क्षेत्रों में कंपनी का सहारा बना रहा इसके बाद जिरकान और रुटाइल रहे । आईआरईएल द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद 2014-15 में इन खनिजों के सुस्त बाज़ार एवं विभिन्न उद्योग विशिष्ट कारकों ने कीमतों पर और परिणामस्वरुप कंपनी के राजस्व पर प्रभाव डाला ।

वृहद स्तर पर विश्व व्यापी सामान्य आर्थिक मंदी, रियल्टी एवं इस्मात क्षेत्र में गिरावट के कारण विशिष्ट नकारात्मक प्रभाव, तेल की कीमतों में तेज गिरावट इत्यादि ने तटीय रेत खनन उद्योग पर भी प्रभाव डाला ।

चीन में उद्योगों के मिश्रण एवं अग्र-पश्च एकीकरण के रास्ते पुनर्संरचना के माध्यम से समेकन हुए । टीटानियम डाइ ऑक्साइड की लगातार कमजोर होती कीमतों से टीटानियम फीड स्टॉक बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है । इसके अतिरिक्त आईआरईएल के अन्य खनिज उत्पादों के एंड-यूजर उद्योग में गिरावट ने भी इन उत्पादों के विपणन एवं लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला ।

चवरा (केरल) एवं एमके (तिमलनाडु) में व्याप्त स्थानीय मुद्दे अभी सुलझने बाकी हैं तथा ये यूनिटें काफी कम क्षमता पर चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप आईआरईएल में ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे क्षरण हो रहा है । एमओपीपी में उत्पादन में वृद्धि करने तथा बाजार की आवश्यकता के अनुसार एचपीआरई से उत्पादों का अनुरेखण करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं । इसके अलावा धारणीय आधार पर भावी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कंपनी इल्मेनाइट एवं जिरकान से मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने पर कार्य कर रही है ।

उपर्युक्त बाधाओं के साथ कंपनी ने रु. 420.97 करोड़ का सकल टर्न ओवर प्राप्त किया जिसमें निर्यात का योगदान रु. 129.42 करोड़ रहा । हालांकि वैश्विक मंदी के कारण बिक्री मात्रा में वृद्धि के बावजूद 2013-14 की तुलना में सकल टर्न ओवर मामूली रुप से 2% तक अधिक रहा और निर्यात उगाही 30% तक कम रही ।

उत्पादन

चवरा को अपनी पूर्ण क्षमता उपयोग के लिए लगभग 16 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत की आवश्यकता है । तथापि वर्ष के दौरान केवल लगभग 2.49 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत संग्रहीत की जा सकी जो कि इसकी आवश्यकता का सिर्फ 16% है । विभिन्न स्थानीय मुद्दों जैसे कि सतही अधिकार के लिए भूस्वामियों द्वारा क्षतिपूर्ति में बढ़ोतरी की मांग, रोजगार की मांग, मजदूरी का पुनरीक्षण इत्यादि के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण प्लांट का क्षमता उपयोग कम हुआ।

इसी प्रकार एमके यूनिट को अपनी पूर्ण क्षमता उपयोग के लिए 12% के वर्तमान एचएम अवयव सहित लगभग 19 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत की आवश्यकता है। तथापि वर्ष के दौरान केवल लगभग 6.9 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत संग्रहीत की जा सकी जो कि इसकी आवश्यकता का सिर्फ 42% है। कम संग्रहण के लिए उपलब्ध बीच वॉश फीड स्टॉक की निम्न गुणवत्ता एवं सतही अधिकार की अनुपलब्धता के कारण भूमि खनन में कठिनाई कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान खनन पृथक्करण प्लांट का क्षमता उपयोग कम रहा।



From the Chairman's Desk



Dear Members

It gives me great pleasure to welcome you all at this 65th Annual General Meeting of your Company. The Notice convening the 65th Annual General Meeting, Financial Statements for the year ended 31st March, 2015, the Report of the Auditors' and the Directors' Report are already with you. With your permission, I take them as read. This is the sixth consecutive occasion on my part to present the annual performance of your Company.

Economic Scenario

During the financial year 2014-15 the macro economic scenario at the global level was not positive with the Greece crisis in the Euro zone and the falling prices of crude oil taking toll of economies of oil producing nations and the global economic growth rate was about 3.3 to 3.4%. The construction sector, infrastructure supporting industry and steel industry were also under stress world-wide in general, with the severity was more pronounced in China. Despite the not so rosy World scenario, India registered a positive growth rate of 7.4% during 2014-15 as against 6.9% during the previous year. The reduced prices of crude oil augured well for India and was one of the reasons for reduction in inflation. The recent initiative of Make in India by the Government of India is likely to provide boost to the economy which in long run is expected to rekindle growth in the mining sector.

Performance

Despite various hurdles at macro and micro level the Company was able to sell 14% more minerals in 2014-15 compared to last financial year. The product Ilmenite continues to be the mainstay for Company both in terms of quantity and revenue followed by Zircon and Rutile. Despite all the efforts put by IREL, the subdued market for these minerals during 2014-15 and various industry specific factors has had impact on prices and consequently on the revenue of the Company.

At the macro level, the general economic slowdown world-wide, specific negative impact on account of downturn in the realty and steel sector, collapse of oil prices etc. has had impact on the beach sand mining industry too.

Consolidations have taken place in China, through restructuring via amalgamation and forward-backward integration of industries. Continued weakening of TiO2 pigment prices are likely to have negative impact on the Titanium feedstock market. Further, the downturn in the end-user industry of other mineral products of IREL also have had adverse impact on the marketing and profitability of these products.

The local issues prevailing at Chavara (Kerala) and MK (Tamilnadu) are yet to be resolved and these units are running at substantially low capacity resulting in gradual erosion in IREL's top as well as bottom line. Serious efforts are being taken to increase production at MoPP and to align the products from HPRE as per the market needs. Moreover, for ensuring future growth on a sustainable basis Company is working on production of value added products from Ilmenite and zircon.

With the above constraints, Company has achieved a gross turnover of Rs. 420.97 crore out of which contribution from export was Rs. 129.42 crore. Though the gross turnover was marginally higher by 2% the export realization reduced by 30% compared to 2013-14 even after increase in sales volume due to global downtrend.

Production

Chavara requires about 16 lakh MT of raw sand, for its full capacity utilization. However, during the year only about 2.49 lakh MT raw sand could be collected, which is only 16% of its requirement. Various local issues like demand for enhanced compensation by land owners towards surface right, demand for employment, revision of wages etc. has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant during the year.

Similarly, MK requires about 19 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 12% for its full capacity utilization. However, during the year only about 6.9 lakh MT raw sand could be collected, which is only 42% of its requirement. The reason for less collection is low quality of available beach wash feed stock and difficulty in inland mining due to non-availability of surface right. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant during the year.



ऑसकॉम यूनिट में कुल खनिज उत्पादन २,४२,१४४ मीट्रिक टन रहा जो २,५२,४०० मीट्रिक टन की अधिष्ठापित क्षमता का ९६% है ।

परियोजनाएं

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ऑसकॉम प्लांट की क्षमता विस्तार के लिए चरण-1 वन अनुमति की प्रस्तुति के अधीन अनुमति प्रदान कर दी है । इसे प्राप्त करने के लिए गतिविधियां जारी हैं । ड्रेज एवं वेट अपग्रेडेशन प्लांट के लिए निविदा पैकेज तैयार है तथा वन अनुमति प्राप्त होते ही जारी किए जाएंगे ।

ऑसकॉम में मोनाजाइट संसाधन प्लांट (एमओपीपी) में एईआरबी अधिकारियों के दौरे के बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की सिफारिशें कार्यान्वित की गई। प्लांट का वाणिज्यिक प्रचालन 1.5.2015 से शुरू हो गया।

रेअर अर्थ प्रभाग, आलवे में उच्च शुद्ध रेअर अर्थ (एचपीआरई) प्लांट ने एमओपीपी, ऑसकॉम से उत्पादित मिश्रित रेअर अर्थ क्लोराइड (एमआरसीएल) का संसाधन किया । एमओपीपी के प्रचालनीय परीक्षणों के दौरान लगभग 150 टन एमआरसीएल का उत्पादन हुआ ।

रेअर अर्थ (आरई) स्थायी चुम्बकों के उत्पादन के संबंध में डीएमआरएल से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थायी चुंबक बनाने में तथा आईआरईएल द्वारा उत्पादित पृथक्कृत आरई ऑक्साइड का उपयोग करके बीएआरसी की प्रौद्योगिकी के उपयोग से आरई धातु निर्माण में शुरूआती परीक्षण सफल रहे हैं । 10 किया बैच में आरई धातु का उत्पादन करने के लिए बीएआरसी में मात्रा बढ़ोतरी प्रगति पर है । इसके लिए कंपनी ने आरई आधारित स्थायी चुम्बकों की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (डीएमआरएल) के साथ करार किया है ।

सीएसआर एवं धारणीय विकास

कंपनी अधिनियम 2013 एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के तहत यथापेक्षित आईआरईएल ने सीएसआर एवं धारणीयता के सभी पहलुओं पर संतुलित ज़ोर देने के साथ तथा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करने, रोजगार को बढ़ोतरी देने वाले व्यावसायिक कौशल इत्यादि के प्रचार को बल देने के साथ सीएसआर के लिए अपनी नीति बनाई है ।

सीएसआर एवं धारणीय विकास के तहत विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी के लिए बोर्ड की सांविधिक सीएसआर सिमित है । कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के एक विरष्ठ स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने चिन्हित सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर लगभग रु. 235.19 लाख खर्च किए है । कंपनी अपनी गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुसार पुनर्निमित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है ।

लाभांश

आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 1727.30 लाख के लाभांश की घोषणा की है ।

कॉर्पोरेट शासन

निदेशक मण्डल नियमों एवं प्रथाओं के ढांचे के द्वारा कंपनी के सभी स्टेकहोल्डरों जैसे कि वित्तीय सहयोगियों, ग्राहकों, प्रबंधन, कर्मचारियों, सरकार एवं समुदाय के साथ संबंधों में जवाबदेही, निष्मक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है । कारपोरेट शासन के ढांचे में (i) उत्तरदायित्व, अधिकार एवं पुरस्कार के वितरण के लिए कंपनी और स्टेकहोल्डरों के बीच सुस्पष्ट एवं अंतर्निहित संविदाएं (ii) कर्तव्यों, विशेषाधिकारों एवं भूमिकाओं के अनुसार कभी कभी स्टेकहोल्डरों के हितों के टकराव के समाधान की प्रक्रिया तथा (iii) नियंत्रण एवं संतुलन की एक प्रणाली के रूप में सेवा करने के लिए उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं सूचना-प्रवाह की प्रक्रियाएं सम्मिलित है । अच्छा कारपोरेट शासन कारपोरेट क्षेत्रों के कार्य निष्पादन को बढ़ाकर धारणीय आर्थिक विकास एवं बाहरी पूंजी तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता है । निदेशकों की रिपोर्ट का भाग बनती कारपोरेट शासन रिपोर्ट में संहिता के तहत यथापेक्षित कंपनी की शासन व्यवस्था का सारांश दिया गया है । कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान ज्यादातर संहिता का अनुपालन किया है ।

<u>आभार</u>

मैं वर्ष 2014-15 के दौरान सतत समर्थन देने के लिए बोर्ड सदस्यों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारिक सहयोगियों तथा कंपनी के प्रति प्रतिबद्धता एवं योगदान देने के लिए हमारे अपने कर्मचारियों की सराहना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

मैं परमाणु ऊर्जा विभाग, उद्योग एवं खनन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों को उनके सतत मार्गनिर्देशन एवं समर्थन के लिए भी आभारी हूँ ।

मैं यह भी आशा करता हूँ कि हम एकसाथ मिलकर आने वाले वर्षों में आईआरईएल को एक नयी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं । शुभकामनाएं

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Production of total mineral at OSCOM unit was 2,42,144 MT, representing 96% of the installed capacity of 2,52,400 MT.

Projects

Ministry of Environment & Forest have accorded clearance for the Capacity Expansion of OSCOM Plant subject to submission of Stage - I forest clearance. Activities for obtaining the same are on. Tender packages for Dredge & Wet Upgradation Plant are ready and will be floated soon after forest clearance is received.

Monazite processing plant (MoPP) at OSCOM has implemented the recommendations of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) followed by site visit by AERB officials. Commercial operation of the plant started w.e.f 01.05.2015.

High Pure Rare Earth (HPRE) plant at the Rare Earth Division, Alwaye has processed mixed rare earth chloride (MRCL) produced from MoPP, OSCOM. About 150 tons of MRCL produced during operation trials of MoPP.

Regarding production of Rare Earth (RE) permanent magnets, initial trials are successful in making permanent magnet using technology from DMRL and RE metal making using BARC technology using separated RE Oxide produced by IREL. Scale up for producing RE metal in 10 kg batch under progress in BARC. To this end Company has entered into an agreement with Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL) for transfer of technology of RE based permanent magnets.

CSR & Sustainable development

As required under the Companies Act, 2013 and the DPE guidelines, IREL has framed its policy for CSR with a balanced emphasis on all aspects of CSR and Sustainability and with a impetus on promotion of education, empowering women, ensuring environmental sustainability, employment enhancing vocational skills etc.

Statutory CSR Committee of the Board is in place to monitor different projects under CSR & sustainable development. A senior level executive of the Company has been designated as the Nodal Officer for implementation of CSR activities of the Company. Company has spent about Rs.235.19 lakhs on identified CSR & Sustainable activities during the year 2014-15. The Company is also committed to realign the activities as prescribed under the Companies Act, 2013.

Dividend

Shareholders of your Company have declared a dividend of Rs.1727.30 lakhs for the financial year 2014-15.

Corporate Governance

The framework of rules and practices by which a Board of Directors ensures accountability, fairness and transparency in a Company's relationship with all its stakeholders like financiers, customers, management, employees, Government, and the community. The Corporate Governance framework consists of (i) explicit and implicit contracts between the Company and the stakeholders for distribution of responsibilities, rights and rewards (ii) procedures for reconciling the sometimes conflicting interests of stakeholders in accordance with their duties, privileges, and roles, and (iii) procedures for proper supervision, control, and information-flows to serve as a system of checks-and-balances. Good Corporate Governance contributes towards sustainable economic development by enhancing the performance of Corporate Sectors and increasing their access to outside capitals. The Corporate Governance report which forms part of the Director's Report contains the summary of the Company's Governance arrangement as required under the Code. The Company has mostly complied with the Code throughout the year 2014-15.

Acknowledgment


I would like to end by expressing my sincere appreciation for the continued support of the Board members, customers, suppliers, business associates and last but not the least our own employees for their commitment and contribution towards the Company during the year 2014-15.


I am also grateful to the Department of Atomic Energy, Ministry of Industry & Mining, Department of Public Enterprises and other Central and State Government Departments for their continued guidance and support.


I also hope we together can take IREL to a newer and greater heights in the years to come.

Wishing a good luck.












आईआरईआरसी, कोल्लम में 17.07.2015 को आयोजित "खरीद प्रक्रियाओं एवं मार्गनिर्देशों" पर कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्ज्वित करते हुए श्री दीपेंद्र सिंह, निदेशक (विषणन)।

Shri D Singh, Director(Mktg) is seen lightening the lamp during the inauguration of Corporate Training Program on "Purchase Procedures and Guidelines" held on 17.07.2015 at IRERC, Kollam

स्वतंत्र निदेशक श्री ए. के. लोमस, श्री शकील अहमद एवं श्री दीपेंद्र सिंह, निदेशक (विपणन) को सम्मिलित करते हुए गठित सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय उप समिति द्वारा सीएसआर योजनाओं के तहत निर्मित शौचालय का निरीक्षण।

Toilet constructed under CSR schemes is being inspected by Board level sub-committee on CSR comprising of Independent Director Shri A K Lomas, Shri Shakeel Ahmed and Shri D Singh, Director (Mktg)|





डॉ. आर. के. सिन्हा, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ श्री संजीव सूद, संयुक्त सचिव (उ एवं ख) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश चेक सौपते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (विपणन) एवं निदेशिक (वित्त)।

CMD, Director(Marketing) and Director (Finance) of IREL handing over the Dividend Cheque for the financial year 2014-15 to Dr.R.K.Sinha, Chairman, AEC & Secretary, Department of Atomic Energy along with Shri Sanjeev Sood, JS(I&M).



विषयवस्तु / CONTENTS

विवरण	पृष्ठ सं.
<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	01-32
कारपोरेट शासन प्रमाणपत्र Corporate Governance Certificate	33-34
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी C & AG Comments	35
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	36-44
तुलन पत्र Balance Sheet	45
लाभ एवं हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	46
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	47
नोट्स Notes	48-91



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्वत :सिद्ध संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के साथ साथ आपकी कंपनी के व्यापार एवं प्रचालनों पर 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है ।

1.0 वित्तीय परिणाम

1.0 मुख्य बातें

1.1 वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के प्रचालनों एवं कार्यनिष्मादन की मुख्य बातें तथा पिछले वर्ष से इसकी तुलना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है :

(रू लाख में)

		2014-15	2013-14
1.	कुल राजस्व	46,349	45,615
2.	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ, पूर्व अवधि समायोजन,	1,684	6,544
	असाधारण एवं अपवाद मदें		
3.	घटाएं : मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	2,153	1,918
4.	जोड़े/(घटाएं) : पूर्व अवधि समायोजन - शुद्ध एवं असाधारण मदें	784	(543)
5.	जोड़े/(घटाएं) : अपवाद मदें	-	3,094
6.	कर पूर्व लाभ	315	7,177
7.	घटाएं : कर व्यय	248	2,499
8.	अवधि के लिए लाभ	67	4,678
9.	प्रस्तावित लाभांश	1,727	1,727
10.	सामान्य आरक्षित में हस्तांतरण	-	1,000
11.	विदेशी मुद्रा अर्जन	12,942	18,547

2.0 विक्री एवं विपणन

- 2.1 जैसा कि संभावना थी वर्ष 2014-15 तटीय रेत उद्योग के लिए उदासीन रहा । टिटानियम फीडस्टॉक बाजार ने पश्चवर्ती एकीकरण के कारण आईआरईएल जैसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत की जिसने इल्मेनाइट के व्यापार योग्य बाजार में कमी की । बढ़ती लागत एवं कीमतों में गिरावट के कारण अन्य बातों के साथ साथ आईआरईएल सहित उद्योग में सभी प्रतिस्पर्धियों के मुनाफे में कमी आई । टिटानियम फीडस्टॉक बाजार में प्रतिस्पर्धियों के नए प्रवेश एवं आपूर्त श्रृंखला में दृश्यता की कमी जिससे अधिक या कम आपूर्ति हो पाई भी उद्योग के लिए अच्छे शगुन सिद्ध नहीं हुए । चीन के निर्माण क्षेत्र की मंदी तथा आंतरिक संसाधनों पर अधिक जोर देकर चीन में टिटानियम उद्योग के एकीकरण के कारण आईआरईएल के प्रमुख उत्पादों जैसे कि इल्मेनाइट, रूटाईल एवं जिरकॉन की मांग में कमी आई । कच्चे तेल की कीमतो में कमी तथा इस्पात उद्योग में मंदी की प्रवृति ने दो अन्य खनिजों जैसे कि गारनेट एवं सिलिमेनाइट के लिए बाधा उत्पन्न की ।
- 2.2 जबिक उद्योग का समग्र परिदृश्य उदास और फीका रहा, आईआरईएल को अन्य स्थानीय मुद्दो के साथ जूझना पड़ा जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में आईआरईएल की छिव को धक्का लगा । ओडिशा सरकार की ऑनलाइन खनन प्रणाली से खुद को नहीं जोड़ने से विजाग पतन के माध्यम से भेजी जाने वाली सामग्री को ओडिशा सरकार द्वारा अस्थायी रूप से रोकना, चक्रवात हुदहुद के कारण अक्टूबर 2014 के मध्य में विजाग से शिपमेंट की रूकावट, खनन अनुज्ञा नहीं मिलने के कारण सामग्री के संचालन में रूकावट, कच्ची रेत एवं निकाले गए खनिजों के परिवहन हेतु अनुज्ञा नहीं देना, बिक्री



DIRECTORS' REPORT

To, The Members Indian Rare Earths Limited

Your Directors take pleasure in presenting the 65th Annual Report on the business and operations of your Company along with the standalone summarised financial statements for the year ended 31 March, 2015.

1.0 Financial Results

1.0 Highlights

1.1 The highlights of the operations and performance of the Company for the year 2014-15 and its comparison with the previous year have been presented in following table:

			(₹ lakh)
		2014-15	2013-14
1.	Total Revenue	46,349	45,615
2.	Profit before depreciation & amortization expenses, prior		
	period adjustments, extra ordinary & exceptional items	1,684	6,544
3.	Less: Depreciation and amortization expenses	2,153	1,918
4.	Add/ (Less): Prior period adjustments-Net &		
	Extraordinary items	784	(543)
5.	Add/ (Less): Exceptional items	-	3,094
6.	Profit before tax	315	7,177
7.	Less: tax expenses	248	2,499
8.	Profit for the period	67	4,678
9.	Proposed dividend	1,727	1,727
10.	Transfer to General Reserve	-	1,000
11.	Foreign Exchange earnings	12,942	18,547

2.0 Sales & Marketing

- 2.1 The year 2014-15 was gloomy for the beach sand industry as anticipated. The Titanium feedstock market posed challenges for suppliers like IREL on account of backward integration which reduced the tradeable Ilmenite market. The increasing cost and decreasing prices saw margins erosion for all the players in the industry that inter alia include IREL. New entry of players in the Titanium feedstock market and the lack of visibility in the supply chain that leads to over and under supply also did not bode well for the industry. The slowing down of the Chinese construction sector and the consolidation of Titanium industry in China with more thrust on internal resources saw softening of demand for major products of IREL viz. Ilmenite, Rutile and Zircon. The reduction in crude oil prices and recessionary trend in the steel industry were setback for other two minerals viz. Garnet and Sillimanite.
- While the overall industry scenario was depressed and lackluster, IREL had to grapple with other local issues that has impacted image of IREL as a credible supplier during the FY2014-15. Odisha Government temporarily holding its shipment through Vizag port as Vizag port had not linked itself to online mining system of Government of Odisha, stoppage of shipment through Vizag in mid-October 2014 due to cyclone Hudhud, stoppage of movement of material due to no mining permit,

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



निषेध दिवस इत्यादि कुछ स्थानीय मुद्दे रहे जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सामना किए गए । अन्य चुनौतियों जैसे कि पत्तन से दूरी के कारण अधिक समय-सीमा की आवश्यकता, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किए गए नए एमडीसीसी के अनुपालन में लगाए गए समय का लंबा स्थिरीकरण एवं ऑसकॉस से आपूर्त खिनजों के उत्पाद शुल्क की उगाही ने प्रतिकूल निहितार्थों की बढ़ोत्तरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा ।

- 2.3 प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्य, उद्योग दृश्य एवं स्थानीय मुद्दों के बावजूद आईआरईएल रू. 420.97 करोड़ के सकल टर्नओवर को प्राप्त करने में सफल रहा जो एक साल पहले प्राप्त रू. 413.44 करोड़ से अधिक रहा । टर्नओवर और अधिक ऊंचा हो सकता था परन्तु नीची कीमत वसूली के साथ इल्मेनाइट की निर्यात की गई निम्नतर मात्रा के परिणामस्वरूप निर्यात राजस्व में वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू. 185.47 करोड़ की तुलना में रू. 129.42 करोड़ तक लगभग 30% की तीक्ष्ण कमी आई । यह कमी और अधिक कष्टदायक हो सकती थी परन्तु इल्मेनाइट के अलावा अन्य खनिजों के निर्यात मोर्चे पर आईआरईएल के निरंतर प्रयासों ने इसे नियंत्रित रखा ।
- 2.4 रूटाईल को बड़ी मात्रा में उठाने की योजना एवं जिरकॉन के लिए अग्रसक्रियता से संविदा करने ने एमडीसीसी/अनुज्ञप्ति एवं ऑसकॉम खनिजों पर उत्पाद शुल्क की उगाही जैसे मुद्दों के प्रभाव पर प्रतिकारात्मक कार्रवाई करते हुए राजस्व की मजबूती के लिए कंपनी की मदद की । जहां तक टिटानियम फीडस्टॉक एवं अन्य खनिजों की वैश्विक कीमतों का संबंध है, वर्ष 2014-15 का दृश्य आशाजनक नहीं दिखता है । इसके अतिरिक्त व्यापक रूप में कंपनी का कार्यनिष्पादन आरईसीएल से यथासंभावित उत्पादित होने वाली रेअर अर्थ क्लोराइड एवं उच्च शुद्ध रेअर अर्थ्स की उपलब्धता तथा विक्री के लिए उनकी उपलब्धता पर निर्भर रहेगा ।
- 2.5 कंपनी को रेअर अर्थ क्लोराइड एवं उच्च शुद्ध रेअर अर्थ यौगिकों की बिक्री से राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार का पूर्वानुमान था । तथापि एईआरबी की नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में समय लगने के कारण इन उत्पादों की अनुपालब्धता के कारण यह संभव नहीं हो सका । चवरा एवं मनवलाकुरिची में कच्ची सामग्री की अनुपालब्धता ने कंपनी के राजस्व की बढ़ोतरी में अवरोध डाले रखा तथा एक समान राजस्व के लिए भी उत्तरदायी रहे ।
- 2.6 अल्पाविध में बाजार में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिखती है । चुनौतियों से उबरने के लिए आईआरईएल को चवरा एवं एमके में कच्ची सामग्री की चिरस्थायी अवरोध के मुद्दे को सुलझाने तथा एमओपीपी एवं एचपीआरई की सामग्री को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ।
- 2.7 यद्यपि परिस्थितियां प्रतिकूल थीं तथापि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआरईएल के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राहक संतोष में बढ़ोत्तरी हुई और उन्हें बनाए रखने में सफल रहे । वास्तव में ग्राहकों के बीच उत्पन्न हमारी साख के कारण कंपनी ग्राहकों से गुणवत्ता के मोर्चे पर मुद्दों को बिना किसी इंकार के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में सफल रही ।

3.0 उत्पादन

- 3.1 चवरा को अपनी संपूर्ण क्षमता उपयोग के लिए वर्तमान 25% के भारी खनिज घटक के साथ लगभग 16 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत की आवश्यकता है । तथापि वर्ष के दौरान केवल लगभग 2.49 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत संग्रह की जा सकी जो कि इसकी आवश्यकता का सिर्फ 16% है । कम संग्रह मुख्य रूप से विभिन्न स्थानीय समस्याओं के कारण रहा जैसे कि सतही अधिकार के लिए भूस्वामियों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग में वृद्धि, रोजगार के लिए मांग, मजदूरियों का पुनरीक्षण इत्यादि । कच्ची रेत के लिए यूनिटों का बीच वॉश संग्रहण भी उपर्युक्त कारणों से रूक गया । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण प्लांट का क्षमता उपयोग कम (16%) रहा ।
- 3.2 एमके को अपनी पूर्ण क्षमता उपयोग के लिए वर्तमान 12 % के भारी खनिज घटक के साथ लगभग 19 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत की आवश्यकता है । तथापि वर्ष के दौरान केवल लगभग 6.9 लाख मीट्रिक टन कच्ची रेत संग्रह की जा सकी जो कि इसकी आवश्यकता का सिर्फ 42% है । उपलब्ध बीच वॉश फीड स्टॉक की निम्न गुणवत्ता एवं सतही अधिकार की अनुपलब्धता के कारण भूखनन में कठिनाई कम संग्रहण के कारण रहे । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण प्लांट का क्षमता उपयोग कम (42%) रहा ।
- 3.3 ऑसकॉस यूनिट का कुल खनिज उत्पादन 2,42,144 मीट्रिक टन रहा जो कि 2,52,400 मीट्रिक टन की अधिष्ठापित क्षमता का 96% है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



refusal of permit for transportation of raw sand and extracted minerals, no sale day, etc. were some of the local issues encountered during FY2014-15. Other challenges like more lead time requirement due to distance from port, long stablisation time taken in complying with the newly introduced MDCC by the Govt. of Odisha and excise duty levy of minerals supplied from OSCOM continued to play vital role for enhanced adverse implications.

- 2.3 Despite of the adverse economic scenario, industry outlook and local issues, IREL was able to achieve a gross turnover of ₹ 420.97 crore which was higher than ₹ 413.44 crore achieved a year back. The turnover would have been much higher but for lower quantity of Ilmenite exported coupled with lower realization that resulted in drastic reduction in export revenue from ₹ 185.47 in FY2013-14 to ₹ 129.42 crore a hit of about 30 %. The reduction would have had been more severe but for IREL's sustained efforts on export front for minerals other than Ilmenite.
- 2.4 The scheme for bulk lifting of Rutile and proactively entering into contract for Zircon helped the Company to shore up the revenue counteracting the impact of issues such as of MDCC/ Licence and Excise duty levy on OSCOM minerals. Outlook for 2014-15 does not look promising as far as global prices of titanium feedstock and other minerals are concerned. In addition, largely, the performance of the company would be depending on availability of rare earth chloride and High Pure Rare Earths anticipated to be produced from RECL and their availability for the sale.
- 2.5 The Company anticipated significant improvement in revenues from sale of rare earth chloride and High Pure Rare Earth compounds. However, the same could not materialise due to non availability of these products owing to time taken in complying with the regulatory requirements of AERB. The non-availability of raw material at Chavara and Manavalakurichi continued to be impediments in enhancing the revenue of the company and were also responsible for the flat revenues.
- 2.6 In the short run the market does not seem to be turning around. To tide over the headwinds, IREL needs to resolve issue of the perennial raw material constraints at Chavara and MK and make material from MoPP and HPRE available for sale.
- 2.7 Though the conditions were adverse, IREL's sustained efforts to meet the customer requirements resulted in enhanced customer satisfaction and their retention in trying times. In fact, on account of the good will generated amongst the customers, the Company was able to amicably resolve the issues on quality front with the customers without rejection.

3.0 Production

- 3.1 Chavara requires about 16 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 25% for its full capacity utilization. However, during the year only about 2.49 lakh MT raw sand could be collected, which is only 16% of its requirement. The reason for less collection is mainly due to various local problems such as demand of enhanced compensation by land owners towards surface right, demand of employment, revision of wages etc. Unit's beach wash collection for raw sand was also stopped for above reasons. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant (about 16%) during the year.
- 3.2 MK requires about 19 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 12% for its full capacity utilization. However, during the year only about 6.9 lakh MT raw sand could be collected, which is only 42% of its requirement. The reason for less collection is low quality of available beach wash feed stock and difficulty in inland mining due to non-availability of surface right. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant (about 42%) during the year.
- 3.3 Production of total mineral of OSCOM unit was 2,42,144 MT, which is 96% of the installed capacity of 2,52,400 MT.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



4.0 परियोजनाएं

4.1 मोनाजाइट संसाधन प्लांट (एमओपीपी), ऑसकॉम

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की सिफारिशों का अनुपालन किया गया तथा एईआरबी के अधिकारियों द्वारा फरवरी 2015 में कार्यस्थल दौरा पूर्ण किया गया । प्लांट के वाणिज्यिक प्रचालन के लिए एईआरबी से अनुमति की प्रतीक्षा है ।

4.2 ऑसकॉम प्लांट का क्षमता विस्तार

एमओईएफ ने अपने दिनांक 23.09.2014 के पत्र के माध्यम से चरण-। वन अनुमित की प्रस्तुति के अधीन परियोजना के लिए अनुमित प्रदान कर दी है । वन अनुमित प्राप्त करने के लिए गितविधियाँ चालू हैं। वन अनुमित प्राप्त होते ही ड्रेज एवं वेट अपग्रेडेशन प्लांट के लिए निविदा पैकेज जारी किए जाने के लिए तैयार हैं ।

4.3 रेअर अर्थ्स प्रभाग में उच्च शुद्ध रेअर अर्थ्स (एचपीआरई) प्लांट

एमओपीपी, ऑसकॉम से उत्पादित मिश्रित रेअर अर्थ क्लोराइड (एमआरसीएल) का उपयोग करते हुए एचपीआरई प्लांट का प्रचालन किया गया । एमओपीपी के प्रचालन परीक्षणों के दौरान उत्पादित लगभग 150 टन एमआरसीएल का संसाधन किया गया ।

4.4 रेअर अर्थ (आरई) धातु/चुंबक

डीएमआरएल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आई स्थायी चुंबकों के निर्माण में प्रारंभिक परीक्षण सफल रहे तथा रेअर अर्थ्स प्लांट, अलूवा में आईआरईएल के प्लांट निर्मित पृथक्कृत आरई ऑक्साइड से बीएआरसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आरई धातुओं का उत्पादन किया गया । बीएआरसी में 10 किया. बैच में आरई धातु के उत्पादन के लिए मात्रा बढ़ोत्तरी के प्रयास जारी हैं। आईआरईएल आरई आधारित स्थायी चुंबकों की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (डीएमआरएल) के साथ करार करने की प्रक्रिया में है।

4.5 जीनोटाइम अपग्रेडेशन फ्लोशीट

एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च (एएमडीईआर), हैदराबाद द्वारा आपूर्त सांद्र जीनोटाइम के अपग्रेडेशन के लिए फ्लोशीट विकसित की गई। आईआरईएल द्वारा विकसित पेटेंटयुक्त उपकरण अर्थात् संशोधित एचटीआरएस एवं ईएसपीएस का उपयोग जीनोटाइम से मोनाजाइट को हटाने में किया गया जो जीनोटाइम एवं मोनाजाइट के समकालिक संसाधन की आवश्यकता को दूर कर देंगे।

5.0 मानव संसाधन प्रबंधन

- 5.1.1 कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में मानव संसाधन की क्षमता को पहचानती है तथा अपने कर्मचारियों को सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन के रूप में मानती है । कंपनी मानवशक्ति के इष्टतम उपयोग पर जोर देते हुए अपने लोगों की क्षमताओं का विकास करने के लिए एवं उनकी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को वसूलने के लिए प्रयासरत रहती है । उत्पादकता को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को अपनाये जाने पर निर्बाध रूप से अनुसरण किया जा रहा है । मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों एवं मार्गनिर्देशों को कंपनी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ लेकर चलने के लिए समीक्षा की जाती है । कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ बेहद सदभावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं ।
- 5.1.2 इन प्रमुख मूल्यों के साथ कंपनी ने विभिन्न मानव संसाधन प्रबंधन पहलें चालू की हैं जैसे कि कर्मचारी प्रेरणा सर्वेक्षण तथा भविष्यवादी परिकल्पना के साथ प्रतिभा प्रबंधन पर अध्ययन । कंपनी ने नेतृत्व, कारपोरेट योजना निर्माण एवं कारपोरेट शासन तथा कर्मचारियों के कार्यात्मक विकास एवं कौशल विकास के अन्य क्षेत्रों पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना भी शुरू किया है । वर्तमान प्रचलनों की प्रभावकता तथा इसके संभावित सुधार की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान मानव संसाधन लेखापरीक्षा पर एक अखिल भारतीय अभ्यास चालू किया गया । सामान्यत: मानव संसाधन पहलों ने चहुमुखी विशेषज्ञता रखने वाले सक्षम कार्मिक/दलों के निर्माण में कंपनी की सहायता की जिसने कंपनी के मानव संसाधन को समृद्ध बनाया ।

5.2 कर्मचारी कल्याण गतिविधियाँ

5.2.1 कर्मचारियों का कल्याण हितकारी कार्य वातावरण बनाए रखने के एक उद्देश्य के साथ तथा कंपनी के कार्यनिष्पादन में प्रभावी योगदान के लिए कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण को बढ़ाए रखने के लिए एक केन्द्रित क्षेत्र बना रहा । कंपनी ने विभिन्न

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



4.0 Projects

4.1 Monazite processing plant (MoPP), OSCOM

Recommendations of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) implemented and site visit by AERB officials completed in February 2015. Awaiting clearance from AERB for commercial plant operation.

4.2 Capacity Expansion of OSCOM Plant

MoEF vide letter dated 23.09.2014 have accorded clearance for the project subject to submission of Stage -I forest clearance. Activities for obtaining forest clearance are on. Tender packages for Dredge & Wet Upgradation Plant are ready for floating soon after forest clearance is received.

4.3 High Pure Rare Earths (HPRE) Plant at RED

Operation of HPRE plant operated using mixed rare earth chloride (MRCL) produced from MoPP, OSCOM. About 150 tons of MRCL produced during operation trials of MoPP processed.

4.4 Rare Earth (RE) Metal/Magnet

Initial trials successful in making RE permanent magnets using DMRL technology and RE metals produced using BARC technology from separated RE oxide made in IREL's plant at RED, Aluva. Scale up for producing RE metal in 10 kg batch under progress in BARC. IREL is in the process of entering into an Agreement with Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL), Hyderabad for transfer of technology of RE based permanent magnets.

4.5 Xenotime upgradation flow sheet

Flow sheet developed for upgradation of Xenotime concentrate supplied by Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (AMDER), Hyderabad. Patented equipments developed by IREL i.e. modified HTRS and ESPS used to remove monazite from xenotime which will eliminate the need for synchronous processing of xenotime and monazite. -

5.0 Human Resource Management

- 5.1.1 Company recognizes the potential of human resources in providing competitive advantage and considers its employees as most valuable resource. Company continues to work for developing capabilities and realization of best potential of its people with emphasis on optimal utilization of manpower. The focus on improving productivity and adoption of best practices in every area are being pursued relentlessly. Review of HRM Policies and Guidelines is done for aligning the same with the company's goals and objectives. Company enjoys a very cordial and harmonious relationship with its employees.
- 5.1.2 With these core values, the company has undertaken various Human Resource Management initiatives such as Employee Motivation Survey and Study on Talent Management with futuristic vision. The company has also taken lead in organising focussed training programme on Leadership, Corporate Planning and Corporate Governance and other areas, intending to Functional Development and Skill Development of the employees. A pan India exercise on HR Audit was taken up during the year to review the effectiveness of current practices and potential improvement of the same. In general, HR initiatives have aided the company in building competent personnel/teams with cross functional expertise leading to further enrichment of the Human Resource of the Company.

5.2 Employees Welfare Activities

5.2.1 Employees Welfare continued to be one of the focus area with an objective to maintain conducive work environment and to accelerate employees' commitment, dedication for effective contribution in company's performance. Company has also developed the Service Charter on

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



कल्याणकारी उपायों तथा कर्मचारियों द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए समयसीमा का निर्धारण करते हुए कर्मचारी कल्याण पर सेवा चार्टर का भी विकास किया है ।

5.3 आरक्षण नीति

- 5.3.1 आईआरईएल ने आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण पर जोर देना जारी रखा है । एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण के लिए तिमाही संपर्क प्रकोष्ट की बैठकें आयोजित की जाती हैं । एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/पीडब्ल्यूडी/एक्सएसएम के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने में बाध्यताओं को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं । आईआरईएल राष्ट्रपति के निदेशों एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अन्य मार्गनिर्देशों का अक्षरश: पालन करती आ रही हैं।
- 5.3.2 आईआरईएल के पास पिछले वर्ष 2054 की तुलना में 31-03-2015 को के अनुसार 1961 कर्मचारियों का सुद्दढ़ दल है । कुल कार्यबल में 31-03-2015 को के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमश: 368 एवं 55 है । जबिक आईआरईएल के रोल पर भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 58 एवं 20 है । अप्रैल 2014 से 60 व्यक्ति भर्ती किए गए हैं तथा 146 व्यक्ति त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति/मृत्यु इत्यादि के कारण सेवा में नहीं रहे ।

5.4 औद्योगिक संबंध

सभी चार प्रचालनीय यूनिटों में यूनियनें सक्रिय हैं तथा दैनिक मामलों पर प्रबंधन के साथ सहयोग कर रही हैं। यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक स्तर पर यूनिट एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा समय समय पर जांच पड़ताल की जाती है। पिछला मजदूरी समझौता 30.06.2013 को समाप्त हो गया है। संशोधित मजदूरी समझौते पर यूनियनों के साथ बातचीत जारी है परन्तु अंतिम रूप अभी दिया जाना है।

5.4.2 यूनिटों में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सामान्यत : शांतिपूर्ण रहा तथा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकों के अलावा सभी वर्गों के साथ नियमित संपर्क स्थापित किए जाते हैं ।

6.0 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीयता

6.1.1 आईआरईएल की सीएसआर नीति :

परिकल्पना: अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करती हुई सीएसआर नीतियों के साथ एक कारपोरेट बनना जो मूलभूत व्यापार में सन्निहित हो तथा समाज के समावेशी उन्नित के लिए मिलकर चले ।

लक्ष्यः एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना जो स्वास्थ्य, साक्षरता, आधारभूत संरचना विकास, स्वच्छ पेय जल, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीयता एवं अन्य सामाजिक रूप से संबंधित मामलों के क्षेत्र में पहल करके आसपास के समुदायों के जीवन दशाओं का उत्थान करता हो और अभिवृद्ध करता हो ।

आईआरईएल की सीएसआर नीति वेबसाइट www.irel.gov.in पर उपलब्ध है ।

6.1.2 सीएसआर समिति का संघटन :

डॉ. अशोक कुमार लोमस, स्वतंत्र निदेशक श्री शकील अहमद, स्वतंत्र निदेशक

श्री दीपेंद्र सिंह, निदेशक (विपणन), आईआरईएल

6.1.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

2011-12 : रू. 170.45 करोड़ 2012-13 : रू. 156.59 करोड़ 2013-14 : रू. 46.78 करोड

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Employee Welfare stipulating the different Welfare Measures and timeframe for availing the same by the employees.

5.3 Reservation Policy

- 5.3.1 IREL continues to lay stress on the welfare of the reserved category persons. Quarterly liaison cell meetings are held to redress the grievances of SC/ST employees if any. Efforts are made to fulfill the obligations in providing employment opportunities to SC/ST/OBC-NCL/PWD/XSM. IREL has been following in letter and spirit the presidential directives and other guidelines issued from time to time by the GOI.
- 5.3.2 IREL has a strong team of 1961 employees as on 31-03-2015 as against 2054 of the previous year. The representation of scheduled castes and scheduled tribes as on 31-03-2015 in the total workforce is 368 and 55 respectively. Whereas, the representation of Ex-servicemen and Persons with disability on the rolls of IREL is 58 and 20 respectively. Since, April 2014, 60 persons have been recruited **and 146** persons ceased to be in employment on account of resignations/retirements/deaths.etc.

5.4 Industrial Relations

- 5.4.1 The Unions at all the four operating units are active and have been co-operating with the management on day to day issues. The issues raised by the Unions from time to time are looked into by the Management at the unit and HO level. The earlier wage settlement expired on 30.06.2013. The negotiation with the Unions on the revised wage settlements are underway but yet to be finalized.
- 5.4.2 The IR scenario in the Units has been by and large peaceful and regular interaction with cross-section is established besides periodical meetings with Union representatives.

6.0 Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability

6.1.1 CSR policy of IREL:

Vision: To be a corporate with CSR policies demonstrating its social responsibilities that is embedded in the core business and aligned for inclusive growth of the society.

Mission: To implement a programme that uplifts and enhance the living condition of the community surrounding by way of initiatives in the areas of health, literacy, infrastructure developments, clean drinking water, environment protection, sustainability and other socially relevant matters.

CSR policy of IREL is available on website www.irel.gov.in

6.1.2 Composition of CSR Committee:

Dr. Ashok Kumar Lomas, Independent Director Shri Shakeel Ahmed, Independent Director Shri D. Singh, Director (Marketing), IREL

6.1.3 Average net profit of the Company for last three financial years:

2011-12: ₹170.45 crore 2012-13: ₹156.59 crore 2013-14: ₹46.78 crore

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



2014-15 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय : रू. 249 लाख 6.1.4

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण : 6.1.5

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल धनराशि : रू. 249 लाख

ख) खर्च नही हो पायी धनराशि : रू. 14.02 लाख ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस ढंग से धनराशि खर्च की गयी उसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	चिन्हित सीएसआर	वह क्षेत्र	परियोजनाएं	व्यय	खर्च	रिपोर्टिंग	खर्च धनराशि :
	परियोजना अथवा	जिसमें	या कार्यक्रम	धनराशि	धनराशि	अवधि **** र ि	प्रत्यक्ष या
	गतिविधि	परियोजना सम्मिलित	(1) स्थानीय	(रू. लाख)	(रू. लाख)	अर्थात	कार्यान्वयन
		साम्मालत है	क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं			31.03.2015 तक संचयी	एजेंसी के माध्यम से
		ि	(2) राज्य एव जिला			तक संपंधा व्यय	नाव्यन स
			विनिर्दिष्ट करें			व्यय (अग्रेनीत	
			जहां			(अत्रनात	
			परियोजनाएं ।			(IIO(I)	
			या कार्यक्रम				
			चालू थे ।				
1	निवारक स्वास्थ्य	(i)	3.	75.25	82.53	82.53	
	देखभाल, जलापूर्ति,						
	स्वच्छता इत्यादि						
2	शिक्षा, रोजगार बढ़ाने	(ii)		36.10	43.54	43.54	
	वाले व्यावसायिक		स्थानीय क्षेत्र,				सभी
	कौशल इत्यादि		कोल्लम एवं				सीएसआर
3	लिंग समानता का	(iii)	उद्योगमंडल	2.20	0.13	0.13	गतिविधयां
	प्रचार		केरल;				आईआरईएल
4	पर्यावरणीय धारणीयता	(iv)	कन्याकुमारी,	12.00	0	0	द्वारा सीधे
5	खेल	(vii)	तमिलनाडु;	0.70	0.69	0.69	कार्यान्वित
6	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय	(viii)	गंजाम,	12.00	0	0	की जाती हैं
	सहायता कोष		ओडिशा				
7	ग्रामीण विकास	(x)		110.75	72.82	108.30	
	परियोजनाएं						
	कुलयोग			249.21	199.71	235.19	
	कुलयोग			249.21	199.71	235.19	

तत्काल पीछे के तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च ना कर पाने के कारण : 6.1.6

धनराशि खर्च नहीं कर पाने के कारण इस प्रकार हैं :

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



6.1.4 Prescribed CSR Expenditure for 2014-15: ₹249 lakhs.

6.1.5 Details of CSR spent during the financial year:

- a) Total amount to be spent for the financial year: ₹249 lakhs
- b)Amount unspent: ₹14.02 lakh
- c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) local area or other (2)Specify the state and district where projects or program was undertaken	Amount outlay (₹ Lakh)	Amoun t Spent (₹ Lakh)	Cumulatie expenditur e upto the reporting period i.e; 31.03.2015 (including carry forward) i.e; 31.03.2015 (including carry forward)	Amount spent: Direct or through implementin g agency
1	preventive health care, water supply, sanitation, etc	(i)		75.25	82.53	82.53	
2	education, employment enhancing vocation skills, etc	(ii)		36.10	43.54	43.54	
3	promoting gender equality	(iii)	Local area, Kollam & Udyogmandal Kerala;	2.20	0.13	0.13	All the CSR activities are implemente
4	environmental sustainability	(iv)	Kanyakumari, Tamil Nadu;	12.00	0	0	d directly by IREL
5	Sports	(vii)	Ganjam, Odisha	0.70	0.69	0.69	
6	prime minister's national relief fund	(viii)		12.00	0	0	
7	rural development projects	(x)		110.75	72.82	108.30	
	Total			249.21	199.71	235.19	

6.1.6 Reasons for failure to spend two per cent of the average net profit of the immediately preceding three financial years:

Reasons for not spending the amount are as under:

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (क) राज्य/जिला प्राधिकरणों से लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने में विलंब तथा स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमित मिलने में विलंब ।
- (ख) कई योजनाएँ कार्यान्वित की गईं परंतु भुगतान 31.03.2015 के बाद किया गया ।

6.1.7 सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं निगरानी के संबंध में उत्तरदायित्व विवरण :

आईआरईएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं समय समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन करती है । सीएसआर एवं धारणीयता योजनाओं के कार्यान्वयन का क्षेत्र खनन स्थलों के आस पास एवं पिछड़े जिले हैं जहां कंपनी की अपनी प्रचालन यूनिटें हैं । बाद में ऐसे कार्यक्रमों को प्लांट स्थानों के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया । आईआरईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजटरी आबंटन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार है ।

7.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

7.1.1 इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके अनुसरण में निम्नलिखित पहल कर रही है :

- i) राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी संबंधित आदेशों के अनुपालन के साथ साथ कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट एवं यूनिट स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने क्रियाकलाप जारी रखे । ये समितियाँ तिमाही आधार पर राजभाषा कार्यान्वन में की गई प्रगति की समीक्षा का कार्य निष्पादित करती हैं ।
- ii) राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान एवं हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा के दौरान क्रमश: कई कार्यशालाएं एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं ने कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी की ।
- iii) सरकार के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों सहित एमके यूनिट , रेअर अर्थ्स प्रभाग यूनिट एवं ऑसकॉम यूनिट का राजभाषा निरीक्षण किया गया ।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को वर्ष 2013-14 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उपक्रम मुख्यालयों हेतु प्रदान की जानेवाली राजभाषा शील्ड का एनपीसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया । यह पुरस्कार इंडिय रेअर अर्थ्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. आर.एन. पात्र द्वारा अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग डॉ. आर.के. सिन्हा के करकमलों से प्राप्त किया गया ।

8.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- 8.1.1 कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती रही है । वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने 138 आरटीआई आवेदन, 35 प्रथम अपीलें प्राप्त की एवं कोई द्वितीय अपील प्राप्त नहीं की ।
- 8.1.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013 के अनुसार अनिवार्य प्रकटनों की तृतीय पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा की गयी तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट आईआरईएल की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है । कंपनी ने शिलोंग में स्कोप द्वारा आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम-2015 के कार्यान्वयन पर 7वी संगोष्ठी में भाग लिया तथा सीपीआईओ ने आरटीआई के मामलो एवं चिंताओं पर सीपीएसई की अच्छी कार्यप्रणालियों पर एक प्रस्तुति दी ।

9.0 <u>सतर्कता</u>

9.1.1 वर्तमान परिदृश्य में सतर्कता की भूमिका दंडात्मक कम और प्रबन्ध्कों में सही व्यापारिक निर्णय लेने के लिए विश्वास पैदा करने पर अधिक है तथा एक ऐसी संस्कृति स्थापित करती है जहां कार्रवाई ना करने के लिए एक बहाने के रूप में सतर्कता का भय उपयोग नहीं किया जाए । इसे कंपनी के व्यापार को बाधित नहीं करना चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- a) Delay in receiving list of beneficiaries from State/ District authorities and delay in clearances from the local authorities.
- b) Certain schemes were implemented, but payment released after 31.03.2015.

6.1.7 Responsibility statement regarding the implementation and monitoring of CSR policy:

IREL complies with the provisions of Companies, Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later on it is proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the limits specified under the Companies, Act 2013.

7.0 <u>Implementation of Official Language Policy</u>

7.1.1 Indian Rare Earths Limited is committed to implement official language policy and in pursuance of the same, it has undertaken the following initiatives:

- i) The Official Language Implementation Committees continued to function at the Corporate and Unit levels for increasing the progressive use of Hindi in Official work in compliance with the Official Language Act, 1963, Official Language Rules, 1976 and related orders issued by the Government of India from time to time. These Committees perform the task of reviewing the progress made in Official Language implementation on quarterly basis.
- ii) To encourage the use of Official language, several workshops and various competitions were organized throughout the year and during the Hindi Day/Hindi Fortnight respectively. These competitions and workshops have increased progressive use of Hindi by employees of the company in their day-to-day working.
- iii) In compliance with the Government directives, Official Language inspection was carried out during the year in MK, RED and OSCOM Unit including various departments of Head Office.

Indian Rare Earths Limited was declared joint winner with NPCIL of the Rajbhasha Shield by Department of Atomic Energy for year 2013-14 under Undertaking's Headquarters category. This award was received by Dr. R.N. Patra, Chairman & Managing Director from the hands of Dr. R.K. Sinha, Chairman, Atomic Energy Commission and Secretary, Department of Atomic Energy (DAE).

8.0 Right to Information Act, 2005

- 8.1.1 The company has been complying with the requirements of RTI Act-2005. During the year 2014-15 Company has received 138 RTI applications, 35 first appeals and no second appeals.
- 8.1.2 Pursuant to OM no.1/6/2011-IR dated 15.04.2013 issued by DoPT, the mandatory disclosures have been audited by third party and the audit report is uploaded in the IREL website. The company has participated in the 7th Symposium on RTI implementation RTI ACT-2005, organized by SCOPE at Shillong and CPIO made a presentation on Good practices of CPSE's on RTI issues and concerns.

9.0 Vigilance

9.1.1 In the present scenario the role of Vigilance is less on punitive and more on to build the confidence in managers to take the right business decision and inculcates a culture where the fear of vigilance is not used as an excuse for inaction. It should not hamper but should augment the business of the company.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 9.1.2 सतर्कता विभाग ने सीवीसी, सीबीआई एवं संगठन के बीच एक प्रभावी सूत्र के रूप में कार्य किया ताकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी मार्गनिर्देशो का अनुपालन हो । 'नियमों का सरलीकरण' एवं 'पारदर्शिता' लाने पर जोर दिया गया । इसकी शुरुवात सतर्कता विभाग से हुई । सतर्कता अनुमति (वीसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया ।
- 9.1.3 सीवीओ कार्यालय में शिकायतें 03 चैनलों अर्थात सीवीसी, डीएई एवं आईआरईएल प्रधान कार्यालय से सीधे प्राप्त होती हैं । सभी की उचित ढंग से समयसीमा के अंदर जांच की गयी । सीवीसी एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) सहित संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से उचित कार्रवाईयां की गई ।
- 9.1.4 वर्ष के दौरान यूनिटों के 55 सी टी ई प्रकार की जाँचे, 47 आवधिक निरीक्षण और 88 औचक निरीक्षण किए गए । सीवीसी/सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा उनकी जांच रिपोर्टों में दी गयी सलाहों के संबंध में उचित, त्वरित एवं समय से कार्रवाई सुनिश्चित की गयी ।

9.1.5 समीक्षाधीन वर्ष के दरान सतर्कता जागरूकता पर सीवीओ द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं उसके बाद चर्चा सत्रों का आयोजन किया गया ।

- चवरा यूनिट, केरल में 'सतर्कता एक सिंहावलोकन'।
- ऑसकॉम यूनिट एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, आईआरईएल, मुंबई में भंडार/क्रय संविदाओं में देखी गयी सामान्य अनियमितताएं/चूक तथा खरीद प्रणाली में सुधार के लिए मार्गनिर्देश ।
- कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई एवं मनवलाकुरिची में फाईलिंग प्रणाली एवं उचित फाइलिंग सुनिश्चित करना ।
- कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई, मनवलाकुरिची यूनिट, तमिलनाडु एवं ऑसकॉम यूनिट, उड़ीसा में सीवीओ द्वारा 'निविदाओं के संसाधन' पर कार्यशाला आयोजित की गयी ।
- ऑसकॉम यूनिट, उड़ीसा में 'अभिलेख रखरखाव प्रणाली में सुधार एवं उचित फाइलिंग सुनिश्चित करना'।

9.1.6 प्रणाली सुधार के लिए निम्नलिखित सुझावों पर कार्रवाई की गयी:

- सीवीओ के निर्देश पर आईआरईएल वेबसाइट पर निविदा सूचना को डाउन लोड करने के लिए आईआरईएल वेबसाइट में एक लिंक दिया गया ।
- औचक जाँचों एवं सीटीई प्रकार की प्रणाली संशोधित की गयी तथा अब प्रधान कार्यालय के निर्देशों के अनुसार की जाती हैं।
- केन्द्रीय भंडारों से सामग्री जारी करने एवं बिक्री में बारकोड प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया तथा इसपर कार्रवाई की जा रही है ।
- संविदा की सामान्य शर्तों की समीक्षा की गयी तथा क्रय प्रक्रिया में संशोधन किया जा रहा है ।
- 9.1.7 **सर्तकता जागरूकता सप्ताह**ः दिनांक 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2014 तक आईआरईएल कॉर्पोरेट कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय यूनिटो में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 मनाया गया ।

कॉर्पोरेट कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 की शुरुआत श्री दीपेंद्र सिंह, निदेशक (विपणन)/मासंप्र द्वारा हिन्दी में तथा श्री संजय बांगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल द्वारा अँग्रेजी में सतर्कता शपथ दिलाकर हुई । वर्ली कार्यालय में विरिष्ठ अधिकारी (सिस्टम) द्वारा सतर्कता शपथ दिलाई गयी । सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए जाने के दौरान विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय यूनिटों में माननीय भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त संदेशों का परिचालन किया गया । इस अवसर पर संगठन के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं वर्ली कार्यालय तथा संबंधित यूनिटों में सतर्कता सप्ताह के बैनरों का प्रदर्शन किया गया । सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाए जाने के दौरान इस वर्ष की थीम 'भ्रष्टाचार से संघर्ष - प्रौद्योगिकी एक संबल के रुप में 'थी ।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान प्रधान कार्यालय, आईआरईएल द्वारा आयोजित की गयी दो पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं :

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 9.1.2 Vigilance Department worked as an effective link between CVC, CBI and organization so that the guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC) are complied. There was more emphasis on 'Simplification of Rules' and bringing 'Transparency'. This started with Vigilance department. The process of obtaining Vigilance Clearance (VC) was also simplified.
- 9.1.3 The Complaints in CVO office are received from 3 channels i.e. CVC, DAE and IREL HO directly. All were properly investigated within the time frame. The appropriate actions were taken in consultation with the concerned authorities including CVC and Department of Atomic Energy (DAE).
- 9.1.4 55 CTE type examinations, 47 Periodic inspections and 88 Surprise inspections of the units were conducted during the year. Proper, prompt and timely action was ensured in respect of the advices given by agencies like CVC/CBI in their investigation reports.
- 9.1.5 The following training Courses followed by interactive sessions were conducted by the CVO on Vigilance Awareness during the year under review
 - Vigilance an Overview' at Chavara unit, Kerala.
 - Common Irregularities/lapses observed in stores/purchase contracts & guidelines for improvement in the procurement system' at OSCOM unit, Orissa & at Corporate Office, IREL. Mumbai
 - Filing System and Ensuring proper filing' at Corporate Office, Mumbai and Manavalakurichi
 - workshop on 'Processing of Tenders' was organized by the CVO at Corporate Office, Mumbai, Manavalakurichi unit, Tamil Nadu & at OSCOM unit, Orissa.
 - Improvement in Record keeping System and Ensuring proper filing at OSCOM unit, Orissa.

9.1.6 The following suggestions were undertaken for System improvement:

- At the instruction of CVO, a link in IREL website was provided for downloading of Tenders information on IREL website.
- System of Surprise Checks and CTE type was modified and is now done as per instructions of HO.
- Adoption of barcode system in issue of material from Central Stores & Sales was suggested and is under implementation.
- Review of General Conditions of Contract was done and the purchase procedures are under modifications.
- 9.1.7 **Vigilance Awareness week**: Vigilance Awareness Week 2014 was observed from 27th October to 1st November 2014 at IREL Corporate Office and all the field units.

At corporate office the Vigilance Awareness Week 2014 opened with the administration of Vigilance Pledge by Shri D. Singh, Director (Marketing) /HRM in Hindi and Shri Sanjay Banga, CVO, IREL in English at Corporate Office. At the Worli Office, the vigilance pledge was administered by Senior Manager (System). Messages received from Hon'ble President of India, Vice President of India, Prime Minister of India and Central Vigilance Commission was circulated amongst various departments and field units during the observance of Vigilance Awareness Week. Banners highlighting observance of Vigilance Week were displayed at Corporate Office and Worli Office and respective units of the organization on this occasion. During the observance of Vigilance Awareness Week, the theme for this year was 'Combating Corruption – Technology as an Enabler'.

Two Power Point Presentations were organized by HO, IREL during the vigilance awareness week as follows:

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- श्री पी .बी. आहूजा, (सीवीसी में भूतपूर्व टीई) एवं मुख्य अभियंता सिविल (बीडब्लयू), एमटीएनएल, मुंबई द्वारा 'सीटीई की कार्यप्रणाली के बारे में अनुभव साझा करना';
- श्री संजय बंगा, सीवीओ, आईआरईएल द्वारा 'सतर्कता एक सिंहावलोकन तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से भ्रष्टाचार से संघर्ष'

सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं अर्थात प्रश्नोतरी प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए विषय 'भ्रष्टाचार से संघर्ष - प्रौद्योगिकी एक संबल के रूप में 'था। दिनांक 03 नवंबर 2014 को आयोजित समापन समारोह में सभी कार्यात्मक निदेशकगणों की उपस्थिति में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को डॉ. आर. एन. पात्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। सभी कार्यक्रमों में हमारे कॉपीरेट कार्यालय एवं वर्ली कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया।

10.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक खरीद पर सूचना का प्रकटन।

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 के लिए
सं.		(रू. करोड़ में)	प्रस्तावित लक्ष्य (रू. करोड़ में)
i.	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	187.39	163.50
ii.	एमएसई से खरीदे गए सामान एवं सेवाओं का कुल मूल्य		
	(एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित)	22.51	22.60
ii.	केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली		
	एमएसई से खरीदे गए सामान एवं सेवाओं का कुल मूल्य		
iv.	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का प्रतिशत	12%	13.80
	(एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित)		
V.	कुल खरीद में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों के	-	-
	स्वामित्व वाली एमएसई से खरीद का प्रतिशत		
vi.	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	4	4

*नोट: आईआरईएल के वार्षिक खरीद का 60-70% भट्टी के तेल, डीजल, ऊर्जा, आयातित कलपुर्जे, रसायनों, कच्ची रेत के परिवहन इत्यादि पर होता है जिसके लिए एमएसएमई संगठन उपलब्ध नहीं हैं /अत्यंत सीमित हैं । तथापि उपर्युक्त प्रमुख वस्तुओं को छोड़ने के बाद यह सारणी उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी ।

11.0 जन जागरूकता पहलें

11.1 आईआरईएल डीएई के निदेशों के अनुसार अपनी द्रश्यता एवं छवि को बढ़ाने के लिये जन जागरूकता गतिविधियाँ को लगातार आगे जारी रख रही है । इस पहल के एक भाग के रूप में आईआरईएल ने बड़ी संख्या में विज्ञान प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेकर, स्थानीय स्टेकहोल्डरों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित करके तथा आईआरईएल के कारखानों में स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों के दौरे आयोजित करके जागरूकता अभियान चलाया। कंपनी के बारे में जागरूकता आगे पीएसई इनसाइट पत्रिका में लेख प्रकाशित करके तथा स्टेकहोल्डरों के बीच वितरण के लिए जागरूकता पुस्तिका का प्रकाशन करके बढ़ायी गयी। आईआरईएल के प्रतिनिधियों ने आम जनता, व्यावसायिक निकायों, संघों, ग्राम समितियों एवं स्कूल/कॉलेजों सहित विभिन्न मंचो पर व्याख्यान भी दिये जिनमें समाज के लिए उपयोगी उत्पादों एवं गतिविधियों तथा कंपनी द्वारा अपनी यूनिटों के आसपास में चलाये जा रहे सीएसआर गतिविधियों के संबंध में आईआरईएल की गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य बाते थीं।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- Sharing experience about working of CTE' by Shri P. B. Ahuja, (Former TE in CVC) & Chief Engineer Civil (BW) MTNL, Mumbai;
- Vigilance an Overview and Combating Corruption by using Technology' by Shri Sanjay Banga, CVO, IREL

During the week various competitions i.e. Quiz Competition, Slogan Writing competition, Debate and Essay writing competition were organized. Topic for the Essay writing competition was 'Combating Corruption – Technology as an Enabler'. Prizes were distributed by *Dr. R. N. Patra, CMD, IREL* in presence of all the Functional Directors to the winners of various competitions on the valedictory function day, which was held on 3rd November 2014. All the programmes were well attended by officials/employees of our Corporate Office and Worli Office.

10.0 <u>Disclosure of information on public procurement notified by the Government under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006.</u>

SI No.	Particulars	Year 2014-15 (₹ in Crores)	Proposed target for the year 2015-16 (₹ in Crores)
I.	Total annual procurement (in value)	187.39	163.50
ii.	Total value of goods and services procured	22.51	22.60
	from MSEs (including MSEs owned by SC / ST entrepreneurs		
iii.	Total value of goods and services procured from only MSEs owned by SC/ST entrepreneurs	-	-
iv.	%age of procurement from MSE (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) out of total procurement	12%	13.80%
V.	% age of procurement from only MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement	-	-
vi.	Total number of vendor development programmes for MSEs	4	4

^{*}Note: 60-70% of IREL's annual procurement are on Furnace Oil, Diesel, Power Imported Spares, Chemicals, raw sand transportation etc. for which MSME organizations are not available/very limited.

11.0 Public Awareness Initiatives

11.1.1 IREL is continuously taking forward the public awareness activities as per directives of DAE in order to enhance its visibility and image. As a part of this initiative, IREL carried out awareness drive by participating in numerous science exhibitions/fair, conducted awareness meetings with local stakeholders and organized visits of students from schools and colleges to IREL's factory. Awareness about the Company was further created by publishing article in PSE Insight magazine and publication of awareness booklet for distribution amongst the stakeholders. IREL's representatives also delivered lectures at various fora that inter alia included general public, professional bodies, associations, village committees and school/colleges that highlighted IREL's sphere of activities with respect to the products and activities that are useful to society and CSRactivities undertaken by the company in the vicinity of its Units

.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



11.2 उपर्युक्त के अलावा आईआरईएल ने समाज के लाभ के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए दक्षिणी प्लांटो में समर्पित एवं केन्द्रित प्रयासों को प्रस्तुत किया ।

12.0 अनुसंधान एवं विकास

- 12.1.1 आईआरईएल प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईआरईएलटीडीसी) ने रु. 1153.32 लाख* की लागत पर कुल 20 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया । डीएई ने परियोजनाओं में सहभागी विभिन्न अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को वितरित करने के लिए रु. 893.81 लाख* जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष में रु. 21.83 लाख* वितरित किए गए तथा वर्ष 2014-15 के अंत तक कुल वितरित की गयी धनराशि रु. 734.67 लाख* है।
- 12.1.2 आईआरईएलटीडीसी परियोजनाओं से व्युत्पन्न लाभ:

20 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं पूर्ण की गई जिसमें से निम्निलखित ४ परियोजनाओं को पहले ही प्लांट/पायलट प्लांट स्केल पर अपना लिया गया है ।

- i. रेयर अर्थ्स प्रभाग में पीआरईई सोलवेंट एक्सट्टैकसन परीक्षण सुविधा की वृद्धि ।
- ii. मोनाजाइट की प्राप्ति के लिए एयरटेबेल्स के लिए प्रतिस्थापन के रूप में मैग्नेटिक सेपरेटर्स की उपयुक्तता का अध्ययन।
- 12.1.3 उन परियोजनाओं की सूची जिनमें वाणिज्यिकरण की संभावना है तथा जिनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, नीचे दी गयी है :
 - i. रेयर अर्थ आधारित कलरेंट्स का अभिकल्पन एवं विकास ।
 - ii. यूरेनियम, थोरियम एवं रेयर अर्थ्स की प्राप्ति के लिए सल्फ्यूरिक एसिड रुट द्वारा मोनाजाइट का संसाधन ।
 - iii. आईआरईएल, ऑसकॉम में बहुमुखी नैनो जिरकोनिया उत्पादन सुविधा ।
 - iv. आरई ऑक्साइड पर आधारित हाई फील्ड कम्पोजीट वारिस्टर्स का विकास ।
 - v. इल्मेनाइट से नैनो टिटानिया के उत्पादन के लिए प्रक्रिया विकास तथा 1 टन/बैच की प्रक्रिया के लिए एक पायलट फ्लांट की स्थापना ।
 - vi. सरफेस कोटिंग अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रेयर अर्थ ऑक्साइड ब्राउन पिगमेंट का पायलट प्लांट उत्पादन ।

13.0 कुर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

13.1.1 कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) की अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिक आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बिहर्गमन के संबंध में जानकारी एवं विवरण अनुलग्नक - 'क' के रूप में इसमें संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है ।

14.0 सरकारी लेखापरीक्षा

14.1.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं ।

"मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आई है जिसकी वजह से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अथवा उसके अनुपूरक पर कोई टिप्पणी करनी पड़े।"

15.0 कराधान

15.1 कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी स्वीकार्य कटौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान कराधान के लिए प्रावधान किए हैं ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



11.1.2 In addition to the above, IREL has put up dedicated and focused efforts at southern plants to make the general public aware about the work being done for the benefit of society.

12.0 Research & Development

- 12.1.1 IREL Technology Development Council (IRELTDC) had approved total of 20 projects at a cost of ₹1153.32 lakhs*. DAE has released ₹ 893.81 lakhs* for disbursement to various research and academic institutions participating in the projects. ₹ 21.83 lakhs* was disbursed in the current fiscal and the total amount disbursed till the end of 2014-15 is ₹ 734.67 lakhs*
- 12.1.2 Benefits derived from IRELTDC Projects:

Out of the 20 projects, 14 projects have been completed, of which the following 4 projects have already been adopted in plant/pilot plant scale.

- i. Augmentation of PREE Solvent Extraction Test facility at RED.
- ii. Study of suitability of magnetic separators as replacement for air tables for recovery of monazite.
- iii. Pilot Scale Production of Nano sized Rare Earth Phosphate.
- 12.1.3 List of projects which have the potential for commercialization and for which efforts are underway are given below:
 - i. Design and Development of rare earth based colorants.
 - ii. Processing of Monazite by sulphuric acid route for the recovery of uranium, thorium and rare earths.
 - iii. Versatile Nano Zirconia production facility at IREL, OSCOM.
 - iv. Development of High Field Composite Varistors based on RE Oxide.
 - v. Process development for the production of Nano Titania from ilmenite and set up a pilot plant to process 1 ton/ batch.
 - vi. Pilot plant Production of Environmentally Secure Rare Earth Oxide Brown Pigment for Surface Coating Applications.

13.0 Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo

13.1.1 In accordance with the requirements of section 134(3)(m) of the Companies Act,2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 information and details in respect of Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo is annexed hereto as **Annexure-'A'** and forms part of this report.

14.0 Government Audit

14.1.1 Pursuant to the provisions of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 the Comptroller and Auditor General of India has given their comments on the audit report submitted to them for the financial year 2014-15.

"Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 143(6) of the Companies Act, 2013."

15.0 Taxation

15.1.1 The company has made provision for taxation during the year 2014-15 after taking into account all the permissible deductions under the Income Tax Act, 1961.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



16.0 लाभांश

16.1.1 निदेशक मण्डल ने 16 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 1,727.30 लाख के लाभांश के भुगतान के लिए सिफारिश की है । लाभांश के उपर्युक्त वितरण पर रु. 351.68 लाख की राशि का भुगतान लाभांश वितरण कर के रुप में किया जाना है ।

17.0 सार्वजनिक जमा

17.1.1 रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से ना तो कोई जमा आमंत्रित किया है और ना ही स्वीकार किया है । अत: कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अनुसार रिपोर्ट में देने की आवश्यकता नहीं है ।

18.0 <u>निदेशकगणों अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र</u> <u>दिया ।</u>

- 18.1.1 श्री आर. ए. राजीव, संयुक्त सचिव (वित्त), डीएई ने 20 नवंबर 2014 से अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।
- 18.1.2 श्री संजीव सूद, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई ने श्रीमती चित्रा रामचंद्रन के स्थान पर 11 जून 2015 से अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।
- 18.1.3 श्री राकेश तुमाने निदेशक (वित्त) को 18 मार्च 2015 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।
- 18.1.4 बोर्ड ने 18 मार्च 2015 को आयोजित अपनी बैठक डॉ. आर. एन. पात्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दीपेंद्र सिंह निदेशक (विपणन), श्री सी. के. असनानी निदेशक (तकनीकी), श्री राकेश तुमाने निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी तथा श्री बी. आर. तरफदार कंपनी सचिव को आईआरईएल के पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया ।

19.0 कर्मचारियों का विवरण

19.1.1 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के तहत प्रकट किए जाने के लिए यथा अपेक्षित कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य विवरणों से संबन्धित सूचना नहीं दी गयी है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने उपर्युक्त नियमों में दी गयी सीमा रेखा के समान या उससे अधिक पारिश्रमिक अथवा उसका भाग आहरित नहीं किया है।

20.0 लेखापरीक्षक

- 20.1.1 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स एस. के. पटोदिया एंड अशोसिएट्स, सनदी लेखापाल, मुंबई की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
- 20.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र सं सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, आईआरअर्थ (1)/292 दिनांक 07.07.2015 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स एस के पटोदिया एंड अशोसिएट्स, सनदी लेखापाल, मुंबई को नियुक्त किया है ।

21.0 लागत लेखापरीक्षा

21.1.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी से एक अभ्यासरत लागत लेखाकार द्वारा अपने लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है । उपर्युक्त को देखते हुए निदेशक मण्डल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के उत्पादों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स एस. पी. भट्टाचार्य एंड कं, लागत लेखाकार की रु. 1.00 लाख (सर्व निहित) के पारिश्रमिक पर भावी आम सभा में इसकी संपुष्टि के अधीन नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



16.0 Dividend

16.1.1 Board of Directors at their meeting held on 16th July, 2015 has recommended for payment of dividend of ₹ 1,727.30 lakh for the financial year 2014-15, subject to approval of the shareholders. On the above distribution of dividend, an amount of ₹ 351.68 lakhs to be paid as dividend distribution tax.

17.0 Public Deposit

17.1.1 During the year under report the Company has neither invited nor accepted any deposit from public. Hence, there is no reporting requirement as per Chapter V of the Companies Act, 2013 read with rule 8 of the Companies (Accounts) Rule, 2014.

18.0 <u>The details of Directors or Key managerial personnel who were appointed or have</u> resigned during the year

- 18.1.1 Shri R A Rajeev, Jt.Secretary (Finance), DAE has joined as part time official (Nominee) Director with effect from 20th November 2014.
- 18.1.2 Shri Sanjeev Sood, Jt.Secretary (I & M), DAE has joined as part time official (Nominee) Director with effect from 11th June 2015 in place of Smt.Chitra Ramachandran.
- 18.1.3 Shri Rakesh Tumane Director (Finance), has been appointed as Chief Financial Officer of the Company with effect from 18th March,2015.
- 18.1.4 Board in its meeting held on 18th March,2015 appointed Dr.R.N.Patra Chairman & Managing Director, Shri D.Singh Director (Marketing), Shri C.K.Asnani Director (Technical), Shri Rakesh Tumane Director (Finance) & CFO and Shri B.R.Tarafdar Company Secretary, as Whole time Key Managerial Personnel of IREL.

19.0 Particulars of Employees

19.1.1 Information pertaining to remuneration and other details of employees as required to be disclosed under Rule 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are not given, as none of the employees drew remuneration during the financial year 2014-15 or part thereof which is equal to or more than the threshold limits specified in the above said rules.

20.0 Auditors

- 20.1.1 Report of the Statutory Auditors M/s S.K.Patodia & Associates, Chartered Accountants, Mumbai on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2015 is attached to this report.
- 20.1.2 The Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s S.K.Patodia & Associates, Chartered Accountants, Mumbai as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2015-16 vide its letter No.CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IRARTH(1)/292 dated 07.07.2015

21.0 Cost Audit

21.1.1 Pursuant to section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. In view of above, the Board of Directors has on the recommendation of the Audit Committee, approved the appointment of M/s S.P.Bhattacharyya & Co., Cost Accountants as the cost auditors of the Company to conduct audit of cost records of the Company's products for the financial year 2015-16, at a remuneration of Rs.1.00 lakh (all inclusive) subject to its ratification at the ensuing Annual General Meeting.



22.0 निदेशकगणों के उत्तरदायित्व का विवरण

- 22.1.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (सी) की अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में निदेशकगण अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के आधार पर तथा अपने द्वारा प्राप्त की गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार पुष्टि करते हैं कि :
 - (क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में तात्विक रूप से अनुसरण नहीं किए जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है ;
 - (ख) निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं निरंतरता से उनका अनुप्रयोग किया तथा ऐसे तर्कसंगत और बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सत्य एवं सही दृश्य प्रस्तुत कर सकें ;
 - (ग) निदेशकगणों ने कंपनी की पिरसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा ;
 - (घ) निदेशकगणों ने वर्तमान चिंताओं के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया ; तथा
 - (ड) निदेशकगण सभी लाग कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करने तथा ऐसी प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावी रूप से कार्य कर पाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हैं।

23.0 स्वतंत्र निदेशकगणों (आईडी) द्वारा घोषणा

23.1.1 कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणापत्र प्राप्त कर लिया है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में निर्धारित स्वतन्त्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं ।

24.0 जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन के साथ जोखिम के तत्वों की पहचान पर विवरण

- 24.1.1 बोर्ड ने 17 दिसम्बर 2013 को हुई अपनी बैठक में (i) मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का नामांकन तथा (ii) एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति का विकास करने एवं प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य/छिपे हुए जोखिमों की पहचान करने के साथ साथ शमन तंत्र में सुधार करने के लिए आईआरईएल को सहायता प्रदान करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।
- 24.1.2 बोर्ड द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार आईआरईएल ने श्री एल. आर. मोहंती, महाप्रबंधक (रसायन) को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आईआरईएल ने एक इंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्यक्रम स्थापित करने में परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए मेसर्स आईसीआरए मैनेजमेंट कंसिल्टिंग सर्विसेस लि. (आईएमएसीएस), मुंबई को भी नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने आईआरईएल के लिए इंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्यक्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें (i) आईआरईएल की जोखिम प्रबंधन नीति का सिंहावलोकन (ii) तौर-तरीका (iii) जोखिम वर्गीकरण (iv) जोखिम संगठनात्मक संरचना शामिल है।
- 24.1.3 रिपोर्ट को 15.7.15 को लेखापरीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया गया । लेखापरीक्षा समिति के सुझावों/प्रतिपृष्टियों को सम्मिलित करने के पश्चात नीति का संशोधित मसौदा अनुमोदन हेतु लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

25.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

25.1.1 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में कंपनी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का विवरण इस रिपोर्ट का भाग बनाते अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है ।



22.0 Directors' Responsibility Statement

- 22.1.1 Pursuant to the requirement of Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, relating to Directors' Responsibility Statement, the Directors, to the best of their knowledge and belief and according to the information and explanations obtained by them, confirm that:
 - in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
 - (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
 - (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
 - (e) the directors are in the process of devising proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and to ensure that such systems are adequate and operates effectively.

23.0 Declaration by the Independent Directors (ID)

23.1.1 The Company has received the necessary declaration from each ID in accordance with Section 149(7) of the Companies Act, 2013, that he meets the criteria of independence as laid out in subsection (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

24.0 <u>Statement on development and implementation of Risk Management Policy including</u> identification of elements of risk

- 24.1.1 Board in its meeting held on 17th December, 2013 has approved (i) the nomination of a senior officer of the Company as Chief Risk Officer and (ii) for appointment of a consultant by CMD to facilitate IREL to develop a comprehensive Risk Management Policy and to identify the other / hidden risks in different areas of operation as well as to improve upon the mitigation mechanism.
- 24.1.2 As advised by the Board, IREL has appointed Sri L.Mohanty, GM (Chemical) as Chief Risk Officer. IREL has also appointed M/s ICRA Management Consulting Services Ltd. (IMaCS), Mumbai for providing consultancy services in establishing an Enterprise Risk Management (ERM) programme. The consultant had submitted the Report on Enterprise Risk Management (ERM) Programme for IREL which consists of (i) Overview of risk management policy of IREL (ii) Methodology (iii) Risk categorization (iv) Risk organization structure.
- 24.1.3 The Report was presented before the Audit Committee meeting on 15.7.2015. After incorporating the suggestions/ feed back of the Audit committee the revised draft policy shall be presented before the Board through Audit Committee for its approval.

25.0 <u>Safety, Healthcare & Environment</u>

25.1.1 Details of Safety, Health Care and activities related to Environment Protections undertaken by the Company are given in the **Annexure 'B'** forming part of this report.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



26.0 कॉर्पोरेट शासन

26.1.1 कॉर्पोरेट शासन के साथ साथ अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित कॉर्पोरेट शासन पर एक अनुपालन रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट पर अलग से एक खंड अनुलग्नक 'ग' में दिया गया है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है ।

27.0 संबंधित पार्टी संव्यवहार

27.1.1 वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए को छोड़कर कंपनी तथा निदेशकगणों, प्रबंधन अथवा संबंधियों के बीच कोई संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण तथा इसके साथ फॉर्म एओसी-2 में ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था करने के औचित्य इस रिपोर्ट का भाग नहीं बनाते हैं।

28.0 नियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण एवं तात्विक आदेश

28.1.1 नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कंपनी की वर्तमान चिंता की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण एवं तात्विक आदेश नहीं दिये गए हैं ।

29.0 वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण

29.1.1 वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-घ) ।

30.0 व्हिसिल ब्लोवेर नीति

30.1.1 आईआरईएल ने एक व्हिसिल ब्लोवेर नीति बनाई है जो अपने कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के आचरण या आचार नीति पर सामान्य मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को तथा अपवाद मामले में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सूचित करने में सुविधा प्रदान करती है । यह नीति कंपनी में हो रहे किसी कदाचार अथवा अनैतिक क्रियाकलाप को सही मायने में उजागर करने तथा व्हिसिल ब्लोवेर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है । बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी को व्हिसिल ब्लोवेर नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उपर्युक्त के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि कि वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति तक व्यक्तिगत रूप से पहुँचने से किसी भी कर्मचारी को रोका नहीं गया है। व्हिसिल ब्लोवेर नीति कंपनी की वेबसाईट www.irel.gov.in पर उपलब्ध है ।

31.0 आभार

- 31.1.1 निदेशक मण्डल विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, बैंकों एवं अन्य व्यापारिक सहयोगियों सहित परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनके मूल्यवान सेवाओं एवं सतत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है ।
- 31.1.2 निदेशक मण्डल इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिये गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करता है ।

कृते बोर्ड

(डॉ. आर.एन. पात्र) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28 सितंबर, 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



26.0 Corporate Governance

26.1.1 A separate section on Corporate Governance alongwith a Compliance Report on the Corporate Governance certified by a practicing Company Secretary and the Management Discussion & Analysis Report are placed in **Annexure 'C'** and forms part of this Report.

27.0 Related Party Transactions

27.1.1 There have been no related party transactions between the Company and the Directors, the management or the relatives except for those disclosed in the financial statements. Accordingly, particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) along with the justification for entering into such contract or arrangement in Form AOC-2 does not form part of this report.

28.0 Significant and Material Orders Passed by the Regulators or Courts

28.1.1 There have been no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting Company's going concern status.

29.0 Extract of the Annual Return

29.1.1 The extract of the Annual Return in Form MGT-9 as per provisions of section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed to this report [Annexure – D].

30.0 The Whistle Blower Policy

30.1.1 IREL has formulated a "Whistle Blower" Policy which facilitates its employees to report to the management and in exceptional cases to the Chairman of the Audit Committee about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's general guidelines on conduct or ethics policy. This policy provides employees of IREL to genuinely blow the whistle on any misconduct or unethical activity taking place in the Company and to protect the whistleblower. Board was apprised that during the year 2014-15, Company has not received any complaint under the Whistle Blower Policy. Based on above, Chairman of the Audit Committee affirmed that none of the employees has been denied any personnel access to the Audit Committee during the year 2014-15. Whistle blower policy is available on the company's website www.irel.gov.in.

31.0 Acknowledgements

- 31.1.1 The Board of Directors' wishes to place on record their grateful thanks to the Department of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Centre, Central and State Governments including various Government departments and agencies, banks and other business associates for their valuable service and continued support during the year under review.
- 31.1.2 The Board also takes this opportunity to place on record its appreciation of the contribution made by employees at all levels.

For and on behalf of the Board

(Dr. R.N.Patra) Chairman & Managing Director

Date: 28th day of September, 2015



अनुलग्नक 'क'

(निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक)

कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 8 के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय ।

(क) ऊर्जा का संरक्षण

(i) ऊर्जा के संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा प्रभाव ;

ऑसकॉम :

ऑसकॉम में काउंटर भार प्रणाली (7.5 कि.वा. मोटर सिंहत) के स्थान पर वाइब्रो मोटर्स (1.1 कि.वा.) लगाकर 03 वाइब्रेटिंग स्क्रीन का संशोधन, 150 वाट (एमएच) फिटिंग्स से 250 वाट (एमवी) के 55 लैम फिटिंग्स, 70 वाट (एमएच) फिटिंग्स से 125 वाट (एमवी) के 80 लैम फिटिंग्स का प्रतिस्थापन, 18 वाट एलईडी लाईट्स से 40 वाट के 1100 ट्यूब लाइट्स एवं एलईडी लाइट फिटिंग्स से 250 एमएच की 30 फिटिंग्स इत्यादि का प्रतिस्थापन।

एमके :

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष पंपों एवं मोटरों का उपयोग शुरू किया गया ।

चवरा :

लगभग 146 परंपरागत ट्यूब लाइट्स का ऊर्जा दक्ष टी5 28 वाट ट्यूब लाइट्स से एवं लगभग 29 परंपरागत ट्यूब लाइट्स का 18 वाट एलईडी ट्यूब लाइट्स से, एमसीसी में 79 इंडिकेटिंग लैम्प यूनिट्स का एलईडी इंडिकेटर्स से प्रतिस्थापन तथा एमएसपी में पारदर्शी शीटों का उपयोग इत्यादि ।

रे अप्र:

60 वाट के 120 उद्दीप्त लैम्पों एवं 100 वाट के 200 एचपीएमवी/एचपीएसवी का क्रमश: 15 वाट एवं 65 वाट के सीएफएल लैम्पों से प्रतिस्थापन, 48 डीओएल स्टार्टर्स का उचित क्षमता के वैरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइव्स से प्रतिस्थापन।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम ;

चवरा यूनिट ने अतिथि गृह में 9 वाट के 16 सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट और 1 घन मीटर/दिवस क्षमता का बायोगैस प्लांट का अधिष्ठा पन किया। रे.अ. प्र. यूनिट ने सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटों एवं सौर ऊर्जा चालित वॉटर हीटर्स का अधिष्ठापन किया है।

ऑसकॉम एवं एमके यूनिट क्रमश : 50 किलो वाट ऑन ग्रिड सोलर पीवी प्लांट तथा 1 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट अधिष्ठापित करने की संभावनाएं तलाश कर रही हैं ।

रेअप्र यूनिट प्रशासनिक भवन में लाइटिंग लोड के लिए 10 किलोवाट सौर प्रणाली के अधिष्ठापन की संभावना तलाश कर रही है ।

उपर्युक्त (i)और (ii) में उल्लिखित उपायों का कार्यान्वयन करके ऑसकॉम, चवरा एवं रेअप्र यूनिट ने रु. 7.88 लाख, रु. 2.57 लाख एवं रु. 5.17 लाख (लगभग) बचाए । इसके अलावा रेअप्र यूनिट ने हाई पावर फैक्टर (0.98) बनाए रखने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड से प्रोत्साहन के रूप में रु. 1.24 लाख की धनराशि प्राप्त की ।

(iii) <u>ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेशः</u>

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों जैसे कि सौर स्ट्रीट लाइट, सौर वॉटर हीटर्स, बायोगैस प्लांट इत्यादि का अधिष्ठापन पर पूंजीगत निवेश रु. ९ लाख (लगभग) है ।



Annexure 'A'

(Annexure to the Directors' Report)

Matters required to be included in the Board's report for the year ended 31st March, 2015 pursuant to Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(A) Conservation of Energy

(i) The steps taken or impact on conservation of energy;

OSCOM:

Modifications of 3 nos. vibrating screen by fixing vibro motors (1.1 kW) in place of counter weight system (with 7.5 kW motor) at OSCOM, replacement of 55 nos. of 250 W (MV) lamp fittings with 150 W (MH) fittings, 80 nos. of 125 W (MV) lamp fittings with 70 W (MH) fittings, 1100 nos. of 40W tube light with 18 W LED lights & 30 nos. of 250MH fittings with LED light fittings etc.

MK:

Started using energy efficient pumps and motors in critical areas.

Chavara:

Replacement of about 146 nos. of conventional tube lights with energy efficient T5 28W tube lights & about 29 nos. of conventional tube lights with 18W LED tube lights, 79 nos. of indicating lamp units with LED indicators in MCC and use of translucent sheets at MSP etc.

RED:

Replacement of 120 nos. of 60W incandescent lamps & 200 nos. of 100W HPMV/ HPSV with 15W & 65 W CFL lamps respectively. Replacement of 48 nos. of DOL starters with variable frequency drives of appropriate capacity.

(ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy;

Chavara unit has installed 16 nos. of 9W solar street light and biogas plant of 1m3/day capacity at quest house. RED unit has installed solar powered street lights and solar powered water heaters.

OSCOM and MK unit is exploring the possibility of installation of 50kw on grid solar PV plant and 1MW solar power plant respectively.

RED unit is exploring the possibility of installation of 10KW solar system for lighting load in administrative building.

By implementing the measures as mentioned in (i) and (ii) above, OSCOM, Chavara & RED. unit saved ₹ 7.88 lakhs, ₹ 2.57lakhs & ₹ 5.17 lakhs (app.). Moreover, RED unit received an amount of ₹ 1.24 lakhs as incentive from Kerala State Electricity Board for maintaining high power factor (0.98).

(iii) The capital investment on energy conservation equipments;

The capital investment on energy conservation equipments such as procurement of solar street lights, solar water heaters, installation of Biogas plant etc. is ₹ 9 lakhs (app.).



(ख) <u>प्रौद्योगिकी आमेलन</u>

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास -

- आईआरईएल चवरा एवं आईआरईएल मनवालाकुरिची प्लांट में खनिज पृथक्करण प्लांटो में किए गए अध्ययन के आधार पर ल्यूकोक्जिन का पृथक्करण शुरू किया गया ।
- प्रयोगशाला स्तरीय अध्ययनों के आधार पर 99% शुद्ध डाइसप्रोसियम ऑक्साइड के उत्पादन के लिए सोल्वेंट एक्सट्रैकसन प्लांट स्थापित किया जा रहा है ।
- नए मूल्य संवर्धित उत्पादों इल्मेनाइट से उच्च पिगमेंट ग्रेड टिटानिया एवं नैनो टिटानिया, जिरकान से नैनो
 जिर्कानिया का विकास किया गया तथा बाजार अनुकूलता एवं अनुप्रयोग परीक्षण किए जा रहे हैं । सल्फ्यूरिक
 एसिड रुट द्वारा पायलट प्लांट स्तर पर मोनाजाइट संसाधन भी सिद्ध किया गया । ये सभी संसाधन तरीके उच्च
 क्षमता पायलट प्लांट स्तर परीक्षण की स्थापना के लिए अभी प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं ।
- आईआरईएलटीडीसी परियोजनाओं के माध्यम से विकसित रेयर अर्थ आधारित पिगमेंट्स, नैनो सामग्रियों, वैरिस्टर्स बाजार अनुकूलता परीक्षण चरणों में हैं तथा पायलट प्लांट स्तर पर उत्पादन की सुविधाएं पहले से ही स्थापित हैं।

(ii) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात स्थानापन्न जैसे व्युत्पन्न लाभ।

- उच्चतर क्षमता वाले पायलट प्लांटों की स्थापना ने प्लांट के समीप स्तर के प्रचालनीय अनुभव पर मूल्यवान जानकारी दी तथा प्रचालक स्तर के विश्वास को बढ़ाया ।
- नए उत्पाद एवं विकसित प्रक्रियाएं उच्चतर उत्पाद मूल्य प्राप्ति प्रदान करते हैं ।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से शुरु करके पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) -

- (क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण शून्य
- (ख) आयात का वर्ष एन ए
- (ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से आमेलित की गयी 1- एन ए
- (घ) यदि पूर्ण रूप से आमेलित नहीं की गयी तो वे क्षेत्र जहां आमेलन नहीं किया गया तथा उसके कारण एन ए

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर वहन किया गया व्यय

कुल व्यय	197.05
आवर्ती व्यय	186.04
पूंजीगत व्यय	11.01
विवरण	(रु. लाख)

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक रूप से अर्जित विदेशी मुद्रा रु. 12,942 लाख है तथा इसी अवधि के दौरान वास्तविक रूप से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन रु. 401.93 लाख है ।



(B) <u>Technology Absorption</u>

(i) Efforts made towards technology absorption-

- Separation of Leucoxene initiated at mineral separation plants at IREL Chavara and IREL Manavalakurichi plant based on the studies conducted.
- Based on Laboratory scale studies, Solvent Extraction plant for production of 99% pure Dysprosium Oxide is being set up.
- New value added products high purity pigment grade titania and nano titania from ilmenite, nano zirconia from zircon were developed and market adaptability & application tests are being carried. Monazite process by sulphuric acid route was also proved at pilot plant level. All these process methods are now being scaled up for setting up high capacity pilot plant level testing.
- The RE based pigments, nano materials, varistors developed through IRELTDC projects are at market adaptability testing stages and facility for producing on pilot plant scale is already set up.

(ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution as a result of the above efforts.

- Establishing higher capacity pilot plants gave valuable information on near plant level operational experience and increased operator level confidence.
- The new products and processes developed provide higher product value realization.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) –

- (a) The details of technology imported-Nil
- (b) The year of import- NA
- (c) Whether the technology been fully absorbed –NA
- (d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof NA

(iv) The expenditure incurred on Research & Development

Particulars (₹ Lakhs)
Capital expenditure 11.01
Recurrig expenditure 186.04
Total expenditure 197.05

(C) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year 2014-15 the actual inflow of foreign exchange earned is of ₹ 12,942 lakhs and the actual foreign exchange outgo during the same period is ₹ 401.93 lakhs.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



अनुलग्नक 'ख'

1.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

उच्चतर उत्पादकता, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद/सेवाएं प्राप्त करने के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । कर्मचारियों एवं आस पड़ोस की उचित स्वास्थ्य देखभाल कंपनी द्वारा हमेशा की जाती है।

सभी प्रचालन प्लांट आईएसओ 9001-2008, 14001-2004 एवं ओएचएसएएस 18001-2007 प्रमाणन प्राप्त हैं तथा आईआरईआरसी में कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं संरक्षा यूनिट को आईएसओ 9001-2008 प्राप्त है ।

2.0 संरक्षा

2.1 कंपनी के पास सभी प्रचालनीय यूनिटों के संरक्षा मानकों के निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए एक स्थापित प्रणाली है । संरक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति ने सभी प्रचालनीय यूनिटों का दौरा किया तथा सभी प्रचालनीय यूनिटों के संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा एवं जल संरक्षण मानकों का मूल्यांकन किया तथा संरक्षा, हाउस कीपिंग, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शील्ड प्रदान करने के लिए सिफारिश की । वर्ष के दौरान कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई ।

3.0 स्वास्थ्य देखभाल

3.1 कंपनी की सभी प्रचालनीय यूनिटों में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए सभी आधुनिक उपकरण के साथ साथ पात्र, अनुभवी, प्रशिक्षित एवं सक्षम पुरुष एवं मिहला चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं । इसके अतिरिक्त वे कॉपीरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में पास के गाँवो में रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा शिविर संचालित करते हैं ।

4.0 पर्यावरण देखभाल

4.1 प्रचालनीय प्लांट पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए खनन किए जा चुके क्षेत्रों, कॉलोनियों एवं आवासीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर रहे हैं । उन क्षेत्रों के जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संरक्षण बिन्दु स्थापित किए गए हैं । कंपनी अपने कार्यस्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है । कंपनी की प्रचालनीय यूनिटें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित सभी संरक्षा मानकों का अनुपालन कर रही हैं ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Annexure 'B'

1.0 Safety, Health care & Environment

To achieve higher productivity, safe working environment and better quality product/services Safety, health and environment are given utmost importance. Due health care of the employees and neighborhood is always addressed by the company.

All the operating plants are accredited with ISO 9001-2008, 14001-2004 and OHSAS 18001-2007 certification and Corporate Research and Safety unit at IRERC is accredited with ISO 9001-2008.

2.0 Safety

2.1 Company has an established system for assessment and evaluation of safety standards of all the operating plants. An expert committee with members of prominence in the field of safety visited all operating units and evaluated/assessed the safety, health, environment, energy & water conservation standards of all the operating units and recommended for the award of CMD shield in the areas of safety, housekeeping, environment and water conservation. There was no fatal accident except few minor accidents during the year.

3.0 Health Care

3.1 All the operational units of the company are having occupational health centers with qualified, experienced, trained & competent male and female medical practitioners and Para medical staff along with all modern gadget to look after the health of the employees and their dependant family members. Besides, they conduct medical camps for the people living in the nearby villages as a part of corporate social responsibility.

4.0 Environment Care

4.1 The operating plants are planting saplings in the mined out areas, colony and residential areas with a view to maintain ecological equilibrium. Rain water harvesting points are set up to improve the water table of that area. The company is committed to provide clean environment both at its work place and surrounding areas. The operational units of the company are adhering to all safety norms/standards fixed by the respective state pollution control boards/Central Pollution Control Board and other statuary bodies.



अनुलग्नक - 'ग'

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1.0 कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी का दर्शन

आईआरईएल में हम सुनिश्चित करते हैं कि हम डीपीई द्वारा जारी कॉपीरेट शासन मार्गनिर्देशों तथा सभी स्टेक होल्डरों के अधिकारों का आदर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का विकास एवं गंभीरतापूर्वक अनुपालन करें । कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व के प्रकट मूल्यों द्वारा प्रदर्शित होते हैं । हम समझते हैं कि हमारे वित्तीय एवं कार्यनिष्पादन के साथ साथ कंपनी के शासन के संबंध में समयबद्ध एवं सही सूचना प्रकट करना हमारा निहित उत्तरदायित्व है ।

2.0 निदेशक मण्डल

2.1 निदेशकों का संघटन एवं वर्ग

बोर्ड में 12 निदेशक हैं जिसमें से 4 पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक हैं तथा 8 गैर अधिशासी निदेशक हैं । 8 गैर अधिशासी निदेशकों में से 4 अंशकालिक सरकारी/नामित निदेशक हैं तथा 4 स्वतंत्र निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों के दो पद 23.09.2014 से रिक्त हैं ।) कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा - 2(77) के तहत दिये गये संबंधी के अर्थ के अनुसार किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है ।

2.2 बैठकें

वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मण्डल की सात बैठकें हुईं तथा दो बैठकों के बीच का अंतर चार माह से अधिक का नहीं था । उक्त बैठकों की तारीखें इस प्रकार है :

30 मई 2014, 30 जून 2014, 25 अगस्त 2014, 22 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 3 दिसंबर 2014, 18 मार्च 2015। सभी बोर्ड बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित था।

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तथा 31 मार्च 2015 को के अनुसार उनका बाह्य निदेशकत्व नीचे दिया गया है :

क्र.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व की	बोर्ड बैठकों में	बाह्य	टिप्पणी
सं.		प्रकृति	उपस्थिति की	निदेशकत्व की	
			सं.	सं.	
1	डॉ. आर. एन. पात्र	कार्यात्मक	7	-	
2	श्री दीपेंद्र सिंह	कार्यात्मक	7	-	
3	श्री सी. के. असनानी	कार्यात्मक	7	-	
4	श्री राकेश तुमाने	कार्यात्मक	6	-	
5	श्रीमति चित्रा रामचंद्रन	नामित	3	-	
6	श्री आर. ए. राजीव	नामित	1	4	20.11.14 को कार्यभार ग्रहण
7	श्री एन. साईबाबा	नामित	4	1	
8	श्री बी. ज्योति कुमार	नामित	4	5	
9	डॉ. एस. डी. आवले	स्वतंत्र	2	-	22.09.14 को समाप्ति
10	श्री अरुण बालाकृष्णन	स्वतंत्र	2	-	22.09.14 को समाप्ति
11	डॉ अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र	7	1	30.05.14 को कार्यभार ग्रहण
12	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र	7	-	30.05.14 को कार्यभार ग्रहण



Annexure - 'C'

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 Company's Philosophy on Corporate Governance

At IREL, we ensure that we evolve and sincerely follow the corporate governance guidelines issued by DPE and best practices to respect all stakeholder rights. The company's policy is reflected by the very values of transparency, professionalism and accountability. We consider it our inherent responsibility to disclose timely and accurate information regarding our financials and performance, as well as the governance of the Company.

2.0 Board of Directors

2.1 Composition and category of Directors

The Board consists of 12 Directors of which 4 are whole time functional Directors and 8 are Non-Executive Directors. Out of 8 Non-Executive Directors, 4 are part time Official/ Nominee Directors and 4 are Independent Directors (two post of independent Directors are vacant since 23.09.2014). None of the Directors are related with other Directors' as per meaning of relative provided under section -2(77) of the Companies Act, 2013.

2.2 Meetings

The Board of Directors' met seven times during the year 2014-15 and the gap between two meetings did not exceed four months. The dates on which said meetings were held are as follows:

30th May, 2014, 30th June, 2014, 25th August, 2014, 22nd September, 2014, 9th October, 2014, 3rd December, 2014, 18th March, 2015. Required quorums were present in all the Board meetings.

Attendance of the Directors' at the Board Meetings held during the year 2014-15 and their outside directorship as on 31st March, 2015 are given hereunder:

SI.No.	Name of the Director	Nature of Directorships	No. of Board meetings attended	No.of outside Directorships
1	Dr.R.N.Patra	Functional	7	-
2	Shri D Singh	Functional	7	-
3	Shri C K Asnani	Functional	7	-
4	Shri Rakesh Tumane	Functional	6	-
5	Smt.Chitra Ramachandran	Nominee	3	-
6	Shri R A Rajeev	Nominee	1	4
7	Shri N Saibaba	Nominee	4	1
8	Shri B. Jyothikumar	Nominee	4	5
9	Dr.S.D.Awale	Independent	2	-
10	Shri Arun Balakrishnan	Independent	2	-
11	Dr.Ashok Kumar Lomas	Independent	7	1
12	Shri Shakeel Ahmed	Independent	7	_

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



2.3 इस रिपोर्ट को तैयार करने की तारीख तक नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त जीवन वृत ः

2.3.1 श्री आर. ए. राजीव

श्री आर. ए. राजीव, आईएएस का जन्म 1 मार्च 1961 को हुआ, वे राजनीति विज्ञान, अँग्रेजी साहित्य एवं गणित में स्नातक एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में तथा मैक्सवेल स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ साइराक्यूस एनवाई, यूएसए से लोक प्रशासन में परास्नातक हैं।

उन्हें भूराजस्व एवं जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण, वस्त्र, नगर विकास, कृषि एवं सहयोग इत्यादि के क्षेत्र में 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है ।

उन्होंने यू. के. से 4 सप्ताह की अवधि का "ग्रामीण गरीबी उपशमन" में तथा यूएसए से 38 सप्ताह की अवधि का "लोक प्रशासन में एमए" में विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

श्री आर. ए. राजीव ने 1 अक्टूबर 2014 से परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया है ।

2.3.2 श्री संजीव सूद

श्री संजीव सूद का जन्म 28 फरवरी 1961 को हुआ, उनके पास पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स डिग्री है। उन्होंने 1985 में इलेक्ट्रीकल इंजीनियर्स की भारतीय रेल सेवा में कार्यभार ग्रहण किया।

उन्होने कई चुनौतीपूर्ण कार्य संभाले हैं । डीसी से एसी परिवर्तन परियोजना एक जटिल और ऐतिहासिक कार्य था जिसमें मुंबई के सर्वप्रथम अनुभागों के परिवर्तन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी । उन्होने मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना में विश्व बैंक की आधारभूत संरचना परियोजना संभाली है ।

उन्होंने फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं जापान तथा हॉगकॉग एवं सिंगापुर में कई शहरों के उपनगरीय रेलवे प्रणालियों का दौरा एवं अध्ययन किया है । मुख्य विद्युत अभियंता रोलिंग स्टॉक के रूप में वे मध्य रेलवे की सम्पूर्ण उपनगरीय प्रणाली के अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए समग्र रूप से प्रभारी रहे जिसमें प्रतिदिन लगभग 27 लाख यात्री सफर करते हैं तथा पीकआवर्स में 3 से 4 मिनट की आवृत्ति पर ट्रेनें चलती हैं ।

सीमेंस इलेक्ट्रीक सहित नई डिजाइन की रेकों का प्रचालन उनके कार्यकाल में शुरू हुआ । ये रेकें बहुत सी शुरूआती समस्याएँ दे रही थीं । उनका प्रचालन नवोपचारी अनुरक्षण द्वारा स्थिर किया गया जिन्हें व्यापक रूप से सराहा गया ।

उन्होंने पेपर्स भी प्रकाशित कराये हैं जिन्हे परिवहन प्रणाली पर दो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए थे । मझगाँव डॉक लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते समय उन्होंने कई उपयोगी व्यवस्थित सुधारों का कार्यान्वयन किया तथा धोखाधड़ियों का पता लगाया ।

श्री संजीव सूद ने 11 मई 2015 से परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव (आई एंड एम) का कार्यभार ग्रहण किया है ।

2.4 22 सितंबर 2014 को 64 वीं आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार थी :

शेयर धारकों के नाम

1.माननीय भारत के राष्ट्रपतिउपस्थित (प्रतिनिधि के माध्यम से)2.डॉ. आर. के. सिन्हाउपस्थित (प्रोक्सी के माध्यम से)3.डॉ. आर. एन. पात्रउपस्थित

 3.
 जार एन. पात्र
 उपस्थित

 4.
 श्रीमित चित्रा रामचंद्रन
 उपस्थित

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



2.3 Brief Resume of the Directors who were appointed till the date of preparation of this report:

2.3.1 Shri R.A. Rajeev

Shri R.A. Rajeev, IAS born on 1st March, 1961 is a graduate in Political Science, English Literature & Mathematics and Postgraduate in Political Science from Allahabad University and in Public Administration from Maxwell School University of Syracuse N.Y., USA.

He has 27 years of rich experience in the areas of land revenue & district administration, rural development, environment & forest, environment & pollution control, textiles, urban development, agriculture & co-operation etc.

He has undergone foreign training in "rural poverty alleviation" of 4 weeks duration from UK & "MA in public administration" of 38 weeks duration from USA.

Shri R.A. Rajeev has assumed the charge of Joint Secretary (Finance) in the Department of Atomic Energy with effect from 1st October, 2014.

2.3.2 **Shri Sanjeev Sood**

Shri Sanjeev Sood, born on 28th February, 1961 is having honors degree in Electrical Engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh. He joined Indian Railway Services of Electrical Engineers in 1985.

He has handled a number of challenging assignments. DC to AC conversion project was a complex and historical task in which he was instrumental in converting the first ever sections of Mumbai. He has handled infrastructure project of the World Bank in Mumbai Urban Transport Project.

He has visited and studied Suburban Railway Systems of number of cities in France, Holland, Switzerland, Germany and Japan and also Hongkong and Singapore. As Chief Electrical Engineer Rolling Stock, he was overall in-charge for maintenance and operation of complete suburban system of Central Railway, which carries approximately 27 million commuters per day and is running trains at 3 to 4 minutes frequency during peak hours.

The new design rakes with Siemens Electric were commissioned and operated during his tenure. These rakes were giving lot of teething troubles. Their operation was stabilized by innovative maintenance which was widely acclaimed.

He has also published papers which were presented in two international seminars on transportation system. He got many useful systematic improvements implemented and detected frauds while working as Chief Vigilance Officer at Mazgon Dock Ltd.

Shri Sanjeev Sood has assumed the charge of Joint Secretary (I & M) in the Department of Atomic Energy with effect from 11th June, 2015.

2.4 The attendance at the 64th AGM held on 22nd September 2014 were as under:

Name of the Shareholders

1. Hon'ble President of India - Present (through representative)

2. Dr.R.K.Sinha - Present (through proxy)

3. Dr.R.N.Patra - Present

4. Smt. Chitra Ramachandran - Present

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



3.0 लेखापरीक्षा समिति

- 3.1.1 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :
 - (क) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति से पूर्व तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा ।
 - (ख) आंतरिक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा एवं सरकारी लेखापरीक्षा रिपोर्टो की समीक्षा ।
 - (ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं इसकी पर्याप्तता की प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना ।
 - (घ) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू लेखांकन मानकों एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
 - (ङ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं परिवर्तनों, यदि कोई हों, की समीक्षा ।
 - (च) लेखा परीक्षक योग्यताओं, यदि कोई हों, की समीक्षा करना ।
 - (छ) लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना ।
 - (ज) सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश देना।
 - (झ) कर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण ।
 - (ट) सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन देना जिनपर सांविधिक रूप से निषेध नहीं है ।
 - (ठ) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा ।
 - (इ) किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा ।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 30 मई 2014 को आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 333 में किया गया । लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 30 मई 2014, 30 जून 2014, 22 सितंबर 2014, 3 अक्टूबर 2014 एवं 18 मार्च 2015 को पाँच बैठकें आयोजित हुईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के नाम एवं उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री अरुण बालाकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक	2
2	डॉ. एस. डी. आवले	स्वतंत्र निदेशक	2
3	श्रीमति चित्रा रामचंद्रन	नामित निदेशक	3
4	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र निदेशक	4
5	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र निदेशक	4

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रधान लेखापरीक्षा समिति के स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होते हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



3.0 Audit Committee

3.1.1 Brief description of the terms of reference of the Audit Committee are as follows:

- a) Review the quarterly/annual financial statements before submission to the Board.
- b) Review of internal audit, statutory audit and Government audit reports.
- c) Reviewing with the management, statutory auditors and internal auditors of the internal control system and its adequacy.
- d) Ensure compliance with the applicable Accounting Standards and other statutory requirements for the preparation of financial statements.
- e) Review of Significant Accounting Policies and changes, if any.
- f) Reviewing audit qualifications, if any.
- g) Recommending appointment of cost auditors
- h) Recommending to the Board for the fixation of audit fees of statutory auditors & Cost Auditors.
- I) Appointment & fixation of remuneration of Tax Auditors.
- j) Approving payment to statutory auditors for any other services, which are not statutorily prohibited.
- k) Review of cost audit report and Tax Audit report.
- 1) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up thereon.

3.1.2 Composition & other particulars of Audit Committee

The Audit Committee of the Board of Directors was reconstituted in the Board meeting no:333 held on 30th May, 2014. The Audit Committee met five times during the year on 30th May, 2014, 30th June 2014, 22nd September 2014, 3rd December, 2014 and 18th March, 2015. The name and attendance of the members at the Audit Committee Meetings were as follows:

SI.No.	Name of Director	Category	No. of meetings attended
1	Shri Arun Balakrishnan	Independent Director	2
2	Dr. S.D.Awale	Independent Director	2
3.	Smt.Chitra Ramachandran	Nominee Director	3
4.	Dr.Ashok Kumar Lomas	Independent Director	4
5.	Shri Shakeel Ahmed	Independent Director	4

Chairman & Managing Director, Director (Finance) and Head of Internal Audit Department are permanent invitees and the Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee.

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



4.0 पारिश्रमिक समिति :

4.1.1 विचारार्थ विषय संक्षिप्त में :

निर्धारित सीमा में अधिकारियों एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं नीति का निर्णय करना तथा ऐसे अन्य मामलों की जांच एवं अनुमोदन करना जिन्हें बोर्ड पारिश्रमिक समिति के पास समय समय पर भेजे।

4.1.2 पारिश्रमिक समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वर्ग	टिप्पणी
1.	डॉ. एस. डी. आवले	स्वतंत्र निदेशक	22 सितंबर 2014 से निदेशक नहीं रहे ।
2.	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र निदेशक	-
3.	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र निदेशक	-
4.	श्री एन. साईबाबा (गैर-सरकारी)	नामित निदेशक	18 मार्च 2015 को नियुक्त ।

4.1.3 वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष के दौरान पारिश्रामिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

4.1.4 पारिश्रमिक नीति

कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) कंपनी के समय कार्य निष्पादन के साथ साथ कंपनी में प्रत्येक अधिकारी एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के कार्यनिष्पादन द्वारा चलती है । पारिश्रमिक समिति द्वारा 30 जून 2015 को आयोजित बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए पीआरपी का अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

5.0 स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

5.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने बोर्ड एवं बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए अपने गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को रु. 10,000/- प्रति बैठक की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया । कंपनी बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठक में उपस्थिति के लिए बाह्य स्थानों के स्वतंत्र निदेशकों के दैनिक भत्तों का भुगतान भी करती है तथा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वहन किए गए स्थानीय यात्रा शुल्क, यात्रा व्यय एवं आवास व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान सिटिंग फीस के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को रु. 4,40,000/- की धनराशि का भुगतान किया गया।

5.1.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

अलग अलग मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक को वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स के नोट-41 में प्रकट किया गया है।

6.0 आम सभा बैठकें

6.1.1 प्रभादेवी, मुंबई में आईआरईएल के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित कंपनी की पिछली तीन आम सभा बैठकें इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय
2013-14	22.09.2014	अपराह्न 1.00
2012-13	05.09.2013	अपराह्न 1.00
2011-12	26.09.2012	अपराह्न 4.30



4.0 Remuneration Committee:

4.1.1 Terms of reference in brief

To decide the annual bonus/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non unionized supervisors, within the prescribed limits and such other matters as the Board may refer from time to time to the remuneration committee to examine and approve.

4.1.2 Composition & other particulars of Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of directors consists of the following members:

SI.No.	Name of Directors	Category	Remarks
1	Dr S.D.Awale	Independent Director	Ceased to be Director w.e.f 22 nd September,2014
2.	Dr.Ashok Kumar Lomas	Independent Director	-
3.	Shri Shakeel Ahmed	Independent Director	-
4.	Shri .N Saibaba	Nominee Director	Appointed on 18 th March,2015
	(Non-Official)		

4.1.3 Meeting and attendance during the year

Remuneration Committee did not met during the year

4.1.4 Remuneration policy

Performance Related Pay (PRP) is driven by the overall performance of the Company vis-a-vis performance of each executives and non unionized supervisors across the company. PRP for the year 2012-13 has been approved by the Remuneration Committee in its meeting held on 30th June, 2015.

5.0 Remuneration paid to Independent Directors

5.1.1 During the year 2013-14, the Company paid sitting fees @ Rs. 10,000/- per meeting to its Non-Executive Independent Directors for attending each meetings of the Board and Board appointed committees. The Company also pays daily allowance to outstation Independent Directors and reimburses local conveyance, travelling expenses and accommodation expenses incurred by the Independent Directors for attending meetings of the Board and committees thereof. An amount of Rs.4,40,000/- was paid to the Independent Directors towards sitting fees during the year 2014-15.

5.1.2 **Details of remuneration paid to the Key Managerial Personnel**

Remuneration paid to the individual key management personnel has been disclosed in Note - 41 of the Notes forming part of financial statements.

6.0 General Body Meetings

6.1.1 The last three Annual General Meetings of the Company were held at the registered office of IREL at Prabhadevi, Mumbai as under:

Financial year	Date	Time
2013-14	22.09.2014	1.00 p.m
2012-13	5.09.2013	1.00 p.m
2011-12	26.09.2012	4.30 p.m

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



6.1.2 पिछली तीन आम सभा बैठकों के दौरान कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया ।

6.1.3 वर्तमान वर्ष की आम सभा बैठक की तारीख, समय एवं स्थान।

कंपनी की 65वीं आम सभा बैठक मुंबई में इसके पंजीकृत कार्यालय में 28 सितंबर 2015 को अपराहन 1.00 बजे आयोजित होगी।

7.0 सूचना प्रेषण के उपाय

7.1.1 लेखापरीक्षा नहीं किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाता है तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं । चूंकि आईआरईएल एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है अत : सरकार की अपेक्षा के अनुसार समय समय पर सूचनाएँ बाहर भेजी जाती हैं ।

8.0 लेखापरीक्षा योग्यताएं

8.1 कंपनी बिना योग्यता के वित्तीय विवरणों के शासन काल की ओर बढ़ रही है । 2005-06 से ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक से तथा ना ही सरकारी लेखापरीक्षक से कोई योग्यता प्राप्त हुई हैं ।

9.0 प्लांट स्थान

9.1 खनन एवं खनिज पृथक्करण प्लांट मनवालाकुरिची-तमिलनाडु, चवरा-केरल तथा छत्रपुर-उड़ीसा में स्थित हैं । रसायनों में कार्य व्यवहार करने वाला रेयर अर्थ प्रभाग अलूवा, केरल में स्थित है ।

10.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

10.1 कार्य वातावरण एवं उद्योग संरचना

- 10.1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रित मुद्रास्फीति, घरेलू मांग में बढ़ोतरी, निवेशों में वृद्धि, तेल कीमतों में कमी एवं अन्य सुधारों के बल पर एक आशाजनक दृष्टिकोण के साथ विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक उबरती हुई अर्थव्यवस्था है । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष मुद्रा नीति को सख्त किया था जिसने मांग दबाव को कम करने में, किसी बाह्य अनिश्चितताओं के विरुद्ध चेतावनी देने में तथा रुपये के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रणाधीन रखने में सहायता दी । अपेक्षाकृत सहज हो रही मुद्रा स्फीति की दशाओं से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीति रेपो रेट्स में कटौती करके तथा एसएलआर में कमी करके मुद्रा नीति को थोड़ा उदार बनाने का संकेत दिया । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत में व्यापक आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया है । वैश्विक मंदी के काल में सेवाओं एवं विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से हुई वृद्धि भी घरेलू मांग का सुदृढ़ होना दर्शाती है । तथापि निर्माण एवं खनन क्षेत्र में चिंताएँ व्याप्त हैं । सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए घरेलू वृहद अर्थशास्त्र के मापदंडो का परिदृश्य आशाजनक नजर आता है तथा 2015-16 में वृद्धि दर 8.5% रहने की संभावना प्रतीत होती है ।
- 10.1.2 परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड तटीय रेत खनिजों एवं रेयर अर्थ यौगिकों के खनन एवं उत्पादन में संलिप्त है । आईआरईएल द्वारा उत्पादित कुछ खनिज व्यापक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों के अलावा भारत सरकार के नाभिकीय कार्यक्रमों में भी उपयोग किए जाते हैं । आईआरईएल द्वारा केरल, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में स्थित तीन यूनिटों में तटीय रेत से पृथक्कृत प्रमुख खनिज इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्जिन, सिलिमेनाइट, गारनेट, जिरकान एवं मोनाजाइट हैं । आईआरईएल यूरेनियम, थोरियम एवं रेयर अर्थ लवणों का भी उत्पादन करती है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



6.1.2 No Special Resolution was passed during the previous three Annual General Meeting.

6.1.3 Date, Time & Venue of the Current years AGM:

The 65th Annual General Meeting of the Company will be held on 28th day of September, 2015 at 1.00 PM at its registered office at Mumbai.

7.0 Means of Communication

7.1.1 Unaudited quarterly financial results are reviewed by the audit committee and approved by the Board and are furnished to the administrative ministry concerned. Since, IREL is un-listed company, external communications are made as required by the Government from time to time.

8.0 Audit Qualifications

8.1.1 Company is moving towards a regime of financial statements without qualification. There is no qualification either from the statutory auditor and the government auditor since, 2005-06.

9.0 Plant Locations

9.1.1 Mining & Mineral Separation Plants are located at Manavalakurichi - Tamil Nadu, Chavara – Kerala, and Chatrapur - Orissa. The Rare Earths Division dealing in chemicals is located at Aluva Kerala.

10.0 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

10.1 <u>Business environment & Industry Structure</u>

- 10.1.1 The Indian economy has emerged as one of the largest economies with a promising outlook on the back of controlled inflation, rise in domestic demand, increase in investments, decline in oil prices and reforms among others. The RBI had tightened the monetary policy last year which helped to contain demand pressure, creating a buffer against any external uncertainties and to keep under control the volatility in the value of the rupee. With relatively easing inflationary conditions RBI signaled softening of monetary policy by cutting the policy reporates and reducing the SLR. The macro economic situation in India has improved significantly during the year under review. Also accelerated growth in services and manufacturing sector in the face of subdued global demand indicates strengthening of domestic demand. However, concerns exist in the construction & mining industry. In the light of the government's commitment to reforms, the outlook for domestic macroeconomic parameters looks optimistic and a growth rate of around 8.5% seems possible in 2015-16.
- 10.1.2 Indian Rare Earths Limited, under the Administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE) is engaged in mining and production of beach sand minerals and rare earth compounds. Some of the minerals produced by IREL find use in the Nuclear Power Programme of the Govt. of India apart from wide ranging industrial applications. The main minerals separated by IREL from the beach sands at its three Units located at Kerala, Tamilnadu and Orissa are ilmenite, rutile, leucoxene, silimanite, garnet, zircon and monazite. IREL also produces uranium, thorium and rare earth salts.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.2 शक्ति एवं दुर्बलता

10.2.1 शक्ति

- विभिन्न द्वितीयक स्त्रोतों से एनजीएडीयू उत्पादित करने की प्रौद्योगिकी ।
- परस्पर संबद्ध कार्य एवं व्यवहार के लिए एनआईआईएसटी, सीईएसएस, आईएसआरओ जैसे प्रयोगशालाओं, संस्थानों से नजदीकी ।
- नवीनतम खनिज संसाधन उपकरणों एवं परीक्षण सुविधा की उपलब्धता ।
- क्षमता विस्तार के लिए ऑसकॉम, ओडिशा में वृहद खनन पट्टा उपलब्ध है ।
- उच्च शुद्ध रेयर अर्थ्स का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी ।
- रेयर अर्थ उत्पादों में रेडियोधर्मिता का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के नीचे रोक रखना ।
- देश की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोरियम की उपलब्धता ।
- गोपालपुर पत्तन से प्रमुख प्लांट ऑसकॉम की नजदीकी जिसे सर्वऋतु पत्तन के रूप में विकसित किया गया है ।
- एमके में जमा में मोनाजाइट लगभग 1 से 3% तक उपलब्ध है जो देश में सर्वाधिक ऊंचा है ।

10.2.2 दुर्बलता

- सभी खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज पृथक्कृत प्लांट सीआरजेड क्षेत्र में स्थित हैं जिन्हे ईआईए-2006 एवं सीआरजेड-2011 अधिसूचना के तहत अनुमित की आवश्यकता है ।
- एमके के लिए जहां एएमडी ने भूमि की तलाश की है, धारा 17ए(1ए) के तहत भूमि के आरक्षण के लिए राज्य एवं जिला प्राधिकरणों से सहयोग में कमी ।
- प्रयोगशाला स्तर के उपकरणों की डिजाइन एवं रचना के लिए कुशल मानवशक्ति की अनुपलब्धता ।
- प्रौढ़ कार्यबल एवं सेवानिवृत्तियों के कारण मानवशक्ति की कमी ।
- कच्ची रेत की खराब गुणवत्ता ।
- एमके में सभी विद्यमान खनन पट्टे सीआरजेड क्षेत्रों में स्थित हैं अत : खनन प्रचालनों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सीआरजेड अनुमति की आवश्यकता है ।
- ऑसकॉम में विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने में विलंब ।
- नए एमओपीपी प्लांट के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए नया एवं गैर अनुभवी कार्यबल ।
- केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में सामाजिक-राजनैतिक मुद्दों के कारण भूमि अर्जन में कठिनाई ।
- चवरा में पर्याप्त भूमि बैंक की कमी तथा कच्ची रेत आपूर्ति में बार बार अवरोध ।

10.3 अवसर एवं आशंकाएं

10.3.1 अवसर

- गारनेट, सिलिमेनाइट, टिटैनियम वहनीय खनिजों एवं उच्च शुद्ध रेयर अर्थ्स उत्पादों की बढ़ती हुई मांग ।
- देश में परमाणु खनिजों के साथ संव्यवहार के लिए एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 11(बी) केंद्र सरकार/डीएई को पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है ।
- राष्ट्र के लिए भावी नाभिकीय ईंधन थोरियम की उपलब्धता ।
- रेयर अर्थ्स, टिटैनियम एवं जिरकोनियम के आधार पर मुल्य संवर्धन के लिए अवसर विद्यमान है ।
- टिटैनियम वहनीय खनिजों एवं रेयर अर्थ क्लोराइड की ऊंची मांग ।
- चीन द्वारा रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध ।
- गारनेट, सिलिमेनाइट एवं रेयर अर्थ के नए अनुप्रयोग ।
- बीएआरसी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी तक पहुँच ।
- मुल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए डीएमआरएल के साथ प्रस्तावित सहयोग ।

10.3.2 आशंकाएं

- इंटर टाइडल क्षेत्र में खनन गतिविधि करने में तमिलनाडु स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रतिबंध ।
- आईआरईएल द्वारा तलाशे गए एवं प्रयोग में लाये जा रहे खनन पट्टा क्षेत्रों के अंदर तमिलनाडु सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को खनन पट्टा प्रदान करना ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.2 Strength & Weakness

10.2.1 **Strength**

- Technology to produce NGADU from various secondary sources
- Nearness to major laboratories, institutions such as NIIST, CESS, ISRO for cross functional and interactions
- Availability of latest mineral processing equipments and testing facility
- Vast mining lease are available at OSCOM, Odisha for capacity expansion.
- Technology to produce High Pure Rare Earths
- Containing radioactivity level in rare earth products below international standards.
- Availability of thorium to meet country's future requirement
- Nearness of major plant OSCOM to Gopalpur Port which is developed to all weather port
- At MK deposit contains about 1 to 3 % of monazite which is highest in the country.

10.2.2 Weakness

- In all the mining lease areas, MSP are located in CRZ area requiring clearance under EIA-2006 and CRZ-2011 notification
- Lack of support from State and District authorities for reservation of land under section 17A(1A) where AMD has explored the lands for MK
- Non availability of skilled man power for design and fabrication of lab scale equipments
- Ageing work force and shortage of man power due to retirement.
- Poor grade of raw sand.
- All the existing mining leases at MK are located in the CRZ areas hence mining operations requires CRZ clearance from MoEF.
- Delay in obtaining environmental clearance for the expansion project at OSCOM.
- New and inexperience work force for operation and maintenance of new MoPP plant.
- Difficulties in acquiring land due to socio-political issues in the state of Kerala & Tamil Nadu.
- Lack of sufficient land bank at Chavara and frequent interruptions in raw sand supplies

10.3 Opportunities & Threats

10.3.1 Opportunities

- Growing demand for Garnet, Sillimanite, titanium bearing minerals and for High Pure Rare Earths Products,
- Use of byproducts as fertilizer and in the production of fly ash bricks
- Section 11(B) of the MMDR Amendment Act, 2015 enables full control to Central Govt./DAE for dealing with atomic minerals in the country
- Availability of thorium, the future nuclear fuel for the nation.
- Opportunities exist for value addition based on rare earths, titanium and zirconium
- High demand of Titanium bearing minerals and Rare Earth Chloride.
- Restriction on export of Rare Earth by China
- New applications for garnet, sillimanite and rare earth
- Access to technologies developed by BARC
- Proposed association with DMRL to produce value added products.

10.3.2 **Threats**

- Prohibition by Tamilnadu State Coastal Zone Management Authority to undertake mining activity in the inter tidal zone
- Grant of mining lease to private entities by the Govt. of Tamilnadu within the explored and applied mining lease areas of IREL

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- रसायनों, विद्युत एवं मानवशक्ति की बढ़ती हुई लागत ।
- तटीय रेत एवं ड्रेज फीड में एचएम के गिरावट की प्रवृत्ति ।
- तटीय रेत खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं 100% एफडीआई।
- सरकारी नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन ।
- केरल एवं तमिलनाडु में खनन के लिए भूमि अर्जन में कठिनाई तथा ऊंची लागत ।
- भावी विस्तारों के लिए जन आंदोलन ।
- ऊंची क्षतिपूर्ति, रोजगार इत्यादि की मांग कर रहे स्थानीय लोगों की ऊंची अपेक्षाएँ ।
- कंपनी के खनन पट्टा क्षेत्र में चयनित स्थानों में निजी प्रतियोगियों द्वारा भूमि की खरीद के परिणामस्वरूप खनन पट्टा क्षेत्र तक पहुँचने में अवरोध ।
- खनन पट्टा देने के लिए एक पूर्व आवश्यकता के रूप में सतही अधिकार पर तमिलनाडु सरकार जोर दे रही है।
- आरईडी में विस्तार/संशोधन के लिए सीमित क्षेत्र ।

10.4 खंडवार अथवा उत्पादवार कार्यनिष्पादन

10.4.1 मात्रा एवं राजस्व दोनों के लिए इल्मेनाइट कंपनी का प्रमुख उत्पाद एवं सहारा बना हुआ है इसके बाद जिर्कोन एवं रुटाइल है । वृहद एवं सूक्ष्म स्तर पर विविध बाधाओं के बावजूद कंपनी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2014-15 में एक साथ सभी खनिजों की अधिक मात्रा में लगभग 14% की वृद्धि पर बिक्री करने में सफल रही । परंतु आईआरईएल द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद आर्थिक मंदी एवं विभिन्न उद्योग विशिष्ट कारकों के कारण 2014-15 के दौरान इन खनिजों के मंद बाजार ने कीमत वसूली एवं कंपनी के राजस्व में सतत रूप से प्रभाव डाला ।

टीआई पिग्मेंट के उत्पादक के साथ साथ टीआई इंटरमीडियरी फीडस्टॉक के विनिर्माता इल्मेनाइट के लिए अपनी बिक्री मात्रा का लगभग 99% के लिए प्रमुख ग्राहक क्षेत्र रहे । रुटाइल के मामले में समस्त मात्रा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उद्योग को आपूर्त की गयी । जिर्कोन के लिए रिफ्रैक्टरी एवं रसायन उद्योग में बिक्री में बढ़ोतरी के साथ बाजार क्षेत्र में परिवर्तन हुआ । सिलिमेनाइट के लिए भी सेरेमिक उद्योग में बिक्री में बढ़ोतरी हुई । गारनेट की बिक्री सैंड ब्लास्टिंग एवं वाटर जेट किटांग उद्योग में हुई ।

10.5 <u>परिदृश्य</u>

10.5.1 वृहद स्तर पर सामान्य रूप से विश्व आर्थिक मंदी एवं रियल्टी क्षेत्र में मोड़ के कारण विशिष्ट नकारात्मक प्रभाव, इस्पात उद्योग में मंदी की प्रवृत्ति, तेल की कीमतों में गिरावट जो तेल उद्योग की प्रमुख असफलता है, इत्यादि तटीय रेत खनिज उद्योग के लिए शुभ संकेत नहीं है।

उद्योग मोर्चे पर विशेष रूप से बाद में चीन में मिश्रण एवं अग्र - पश्च एकीकरण तथा TiO₂ पिग्मेंट कीमतों में जारी गिरावट के समेकन से टिटानियम फीड स्टॉक बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है । आईआरईएल के अन्य खनिज उत्पादों के एंड-यूज उद्योग में मंदी से भी इन उत्पादों के विपणन एवं लाभदायकता पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

चवरा एवं एमके द्वारा सामना किए जा रहे स्थानीय मुद्दे सुलझने बाकी हैं तथा इनके प्रचालन इष्टतम क्षमता से कम पर चल रहे हैं। आईआरईएल इन्हें सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन मुद्दों ने आईआरईएल में ऊंचे से नीचे स्तर तक प्रभाव डाला है तथा भावी परिदृश्य इन मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाने पर निर्भर है।

जबिक अल्प समय में खिनज क्षेत्र में सुधार की संभावना सीमित है, अत: एमओपीपी से विभिन्न उत्पादों एवं आरईडी से एचपीआरई का उत्पादन एवं उनकी बिक्री से कंपनी के राजस्व में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस के लिए एमओपीपी में उत्पादन बढ़ाने तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार एचपीआरई से उत्पादों के अनुरेखी उत्पादन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । बाजार की आवश्यकताओं को त्विरत रूप से अपनाकर रेयर अर्थ कीमतो में विश्व व्यापी गिरावट के बावजूद राजस्व में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

आईआरईएल सतत भावी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इल्मेनाइट एवं जिरकॉन से मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन पर भी कार्य कर रही है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- Growing cost of chemicals, electricity and man power.
- Decreasing trend of HM in beach sand and dredge feed.
- Private sector participation and 100% FDI in beach sand mining sector.
- Change in Govt. rules and regulation.
- Difficulty in acquiring land for mining at Kerala and Tamilnadu and associated high cost.
- Public agitation for future expansions.
- High expectation of locals demanding higher compensation, employment etc.
- Purchase of land by private player in selected locations in the mining lease area of the company resulting in blockage of access to the mining lease area.
- Govt. of Tamilnadu is insisting of surface rights as a pre-requisite for grant of mining leases
- Limited space for expansion/modification at RED

10.4 <u>Segment-wise or Product-wise performance</u>

10.4.1 Ilmenite continues to be major product and mainstay for the Company both in terms of quantity and revenue followed by Zircon and Rutile. Despite various hurdles at macro and micro level the Company was able to sell higher tonnage of all the minerals put together in 2014-15 vis-à-vis last financial year – an increase of about 14%. But, despite all efforts by IREL, the lacklustre market for these minerals during 2014-15 due to the economic slowdown and various industry specific factors has had impact on prices realised and consequently on the revenue of the Company.

Producers of Ti pigment as well as manufacturers of Ti intermediary feedstock were the major customer segment for Ilmenite accounting for about 99% of its sales volume. In case of Rutile, the entire tonnage was supplied to the welding electrode industry. Zircon saw a shift in the market segment with increase in sales to Refractory and Chemical industry. Sillimanite also saw increased sales to the Ceramic industry. Sand blasting and water jet cutting industry accounted for sales of garnet.

10.5 Outlook

10.5.1 At the macro level, the economic slowdown world-wide in general and specific negative impact on account of downturn in the realty sector, recessionary trend in the steel industry, collapse of oil prices that is a major setback to the oil industry, etc, do not bode well for the beach sand mineral industry.

On the industry front, the consolidations that have taken place with amalgamation and forward-backward integration especially in China of late and the continued weakening of TiO2 pigment prices are likely to have negative impact on the Titanium feedstock market. The downturn in the end-use industry of other mineral products of IREL is also likely to have adverse impact on the marketing and profitability of these products.

The local issues being faced by Chavara and MK are not yet resolved and these operations are running at sub-optimal capacity. IREL is making all efforts to resolve them. These issues have impact on IREL's top as well as bottom line and future outlook is dependent on successful resolution of these issues.

While the prospects on improvement on the mineral side are limited in the short run, production of various products from MoPP and HPRE from RED and sales thereof are likely to have significant impact on the revenues of the Company. To this effect, attempts are being made to ramp up the production at MoPP and to align the products from HPRE as per the market needs. Quick adoption to the market needs would have positive impact on revenue despite the falling rare earth prices worldwide.

IREL is also working on production of value added products from Ilmenite and zircon for ensuring sustained future growth

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.6 जोखिम एवं चिंताएँ

- एमके में बीच वॉशिंग ग्रेड बहुत कम है तथा वर्ष दर वर्ष बीच वॉशिंग संग्रहण की लागत बढ रही है ।
- खनन भूमि के स्वामियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण भूमि अर्जन में, यदि खनन योग्य नहीं है, निवेश करना उपयोगी नहीं हो सकता है, भिम खरीद की लागत भी तेजी से बढ सकती है ।
- चूंकि एचपीआरई परियोजनाएं पूर्णतः एमओपीपी से आरई क्लोराइड की आपूर्ति पर निर्भर है अतः ऑसकॉम में एमओपीपी परियोजना में कोई भी समस्या आरईडी में संसाधन को प्रभावित करेगी ।
- प्रतियोगिता का प्रवेश एवं स्थानापन्नों की उपलब्धता खनिज बाजार को प्रभावित कर सकती है ।
- चूंकि प्लांट तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं अत : वहाँ चक्रवाती मौसम, भारी वर्षा, सुनामी इत्यादि की संभावना बनी रहती है ।

10.7 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास सुव्यवस्थित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली एवं प्रक्रिया है जो इसके प्रचालन के अनुसार है । इनकी आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा आवधिक रूप से सत्यापन किया जाता है तथा इनमें कंपनी के सभी कार्यालय तथा यूनिटें सम्मिलित हैं । महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाईयों की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है । लेखापरीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावकता की समीक्षा भी करती है । राजस्व के साथ साथ पूंजीगत व्यय का अनुमोदन करने के लिए निर्णय लेने की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत शक्ति का प्रत्यायोजन विद्यमान है । लेखाओं को तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश भी विद्यमान हैं जिनका निरंतरता एवं एकरूपता से अनुपालन किया जाता हैं । लेखाकारों के अनुभवी प्रतिष्ठानों द्वारा कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के समन्वय से आंतरिक लेखापरीक्षाएं आयोजित की जाती हैं । कंपनी की एक लेखापरीक्षा समिति है जिसका विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है ।

10.8 प्रचालनीय कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

10.8.1 समग्र कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 420.97 करोड़ का सकल टर्न ओवर एवं रु. 3.15 करोड़ का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया । पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का टर्न ओवर 2% बढ़ा तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ में 96% की गिरावट आई । कर पूर्व लाभ में गिरावट मुख्य रूप से खनिज कीमतों में कमी के कारण आई इसके अलावा इल्मेनाइट पर 10% की दर से निर्यात शुल्क के भुगतान ने भी वर्तमान वर्ष के लाभ में रु. 10.92 करोड़ तक की कमी की । ऑसकॉम प्लांट का प्रचालन वर्ष 2014-15 के दौरान बहाल हुआ तथा प्लांट ने 96% प्रचालन किया ।

10.8.2 प्रचालनों से राजस्व

वर्ष के दौरान प्रचालनों से कुल राजस्व रु. 411.79 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक रहा । कंपनी के कुल टर्नओवर में 68% घरेलू बिक्री तथा 32% निर्यात सम्मिलित है ।

10.8.3 कुल व्यय

उपभोग की गयी सामग्री की लागत मुख्य रूप से चवरा एवं एमके में सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण रु. 12.35 करोड़ तक ऊंची रही । कर्मचारियों की नियमित वेतनवृद्धि/महंगाई भत्ते के कारण कर्मचारी लाभ व्यय 2.7% की वृद्धि के साथ रु. 209 करोड़ रहा । अन्य व्यय रु. 2.35 करोड़ तक ऊंचे रहे ।

10.8.4 कर पश्चात लाभ

आयकर के लिए रु. 2.48 करोड़ का प्रावधान करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी का कर पश्चात लाभ रु. 0.67 करोड़ रहा । INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.6 Risks and concerns

- Beach washing grade is very low at MK and the cost of beach washings collection is increasing year to year
- Investment in acquisition of land may not be useful if not minable due to increasing number of title holders of mining land, the cost of land procurement may also increase sharply
- Since HPRE projects is entirely dependent on supply of RE chloride from MoPP, any problem in MoPP Project at OSCOM will affect processing at RED
- The entry of competitors and availability of substitutes may affect the mineral market
- Since plants are located in coastal areas they are prone to cyclonic weather, heavy rainfall, Tsunami etc

10.7 <u>Internal control systems and their adequacy</u>

The Company has well settled internal audit system and procedure which is commensurate with its operation. These are periodically verified by the internal auditors and cover all offices and units of the Company. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the audit committee. Audit Committee also reviews adequacy and effectiveness of the Company's internal control environment. Detailed delegation of power exists to ensure smooth decision making process towards approving revenue as well as capital expenditure. Guideline also exists for preparation of accounts which are followed consistently and uniformly. Internal audits are conducted by experienced firms of accountants in close coordination with company's internal audit department. The Company has an audit committee, the details of which have been provided elsewhere in this report.

10.8 Discussion on financial performance with respect to operational performance

10.8.1 Overall performance

During the year, the company recorded a gross turnover of ₹ 420.97 crore and profit before tax of ₹ 3.15 crore. Company's turnover rose by 2% and profit before tax during the current year had declined by 96% compared to the previous year. Drop in PBT was mainly on account of south ward movement of mineral prices, payment of export duty on ilmenite @10% further impacted the current years profit by ₹ 10.92 crores. Operation of OSCOM plant was restored during the year 2014-15 and plant has operated at 96%.

10.8.2 Revenue from Operations

During the year, total Revenue from Operations was ₹ 411.79 crore which is 3% higher than the previous year. Total turnover of the company comes from 68% domestic sales and 32% export.

10.8.3 Total expenses

Cost of Material consumed was higher by ₹ 12.35 crore mainly due to increase in cost of material at Chavara and MK. Employee Benefits expense amounted to ₹ 209 crore with an increase of 2.7% on account of regular increment/ DA to employees.

Other expenses were higher by ₹2.35 crore.

10.8.4 Profit after tax

After making provision of ₹ 2.48 crore towards income tax, profit after tax of the Company during the financial year 2014-15 was ₹ 0.67 crore.

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



10.8.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदत्त पूंजी के 20% के रूप में रु. 17.27 करोड़ के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश वितरण पर भुगतान किए जाने वाले कर की धनराशि रु. 351.68 लाख है।

10.9 चेतावनी कथन:

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी की योजना बताने वाले अग्रदर्शी विवरण सिम्मिलित हैं। कंपनी योजना के कार्यान्वयन की गारंटी नहीं दे सकती है क्योंकि वास्तविक कार्यान्वयन विभिन्न कारकों के कारण अलग हो सकते है जो प्रबंधन के नियंत्रण से परे हैं। कंपनी का अग्रदर्शी विवरणों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं है जिनमें बाद की किसी गतिविधि, सूचना अथवा घटनाओं के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

11.0 समझौता ज्ञापन

11.1 कंपनी ने भारत सरकार के साथ 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है तथा पिछले तीन वर्षो की एमओयू रेटिंग इस प्रकार है :

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	एमओयू रेटिंग
1	2014-15	अच्छा (अनंतिम)
2	2013-14	बहुत अच्छा
3	2012-13	बहुत अच्छा

11.2 कंपनी की एमओयू रेटिंग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य रूप से (i) चवरा एवं एमके में पर्याप्त फीड स्टॉक सामग्री की अनुपलब्धता के कारण खनिजों का उत्पादन सीमित होना (ii) एमओपीपी परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब ने रसायनों का उत्पादन प्रभावित किया (iii) ऑस कॉम क्षमता विस्तार परियोजना के लिए एमओईएफ अनुमित प्राप्त होने में विलंब (iv)खिनजों की कीमतों में गिरावट ने खिनजों की बिक्री उगाही को प्रभावित किया (v) निर्मित वस्तुसूचीके कारण "अच्छा" (अनंतिम) बनी रही।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.8.5 Dividend

Your Directors have recommended a dividend of ₹17.27 crore for the financial year 2014-15 representing 20 % of the paid up capital. The amount of tax to be paid on divided distribution amounts to ₹351.68 lakhs

10.9 <u>Cautionary statement</u>

The Management Discussion and Analysis Report contain forward looking statements describing the Company's plan. The Company cannot guarantee the implementation of plan as the actual implementation may differ due to factors which are beyond the control of Management. The Company assumes no responsibility in respect of forward looking statements which may undergo change on the basis of any subsequent developments, information or events.

11.0 MOU

11.1.1 The Company has signed MoU for 2014-15 with the Government of India and MoU ratings for the previous three years are as follows:

SINo	Financial year	MoU rating
1	2014-15	Good (Provisional)
2	2013-14	Very Good
3	2012-13	Very Good

11.1.2 The Company's MoU rating remained "Good" (provisional) during the current financial year 2014-15 mainly due to (i) Limitation in production of minerals at Chavara and MK owing to non-availability of sufficient feed stock material (ii) delay in implementation of MoPP project HPRE projects affected the production of chemicals (iii) delay in obtaining MoEF clearance for OSCOM capacity expansion project (iv) southward movement of prices of minerals affected the sales realization of minerals (v) inventory built up.



अनुलग्नक - घ

<u>फॉर्म संख्या एमजीटी - 9</u>

वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष को के अनुसार

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

।. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i.	सीआईएन	यू 15100 एमएच 1950जीओआई 008187
ii.	पंजीकरण तिथि	18 अगस्त 1950
iii.	कंपनी का नाम	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
iv.	कंपनी का वर्ग/उप वर्ग	मिनिरत्न - वर्ग - 1
V.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	प्लॉट सं. 1207, वीर सावरकर मार्ग,
		सिद्धि विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी,
		मुंबई— 400028
vi.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी नहीं
vii.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो,	लागू नहीं
	का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	

॥. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्न ओवर में 10% या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा :-

क्र.	मुख्य उत्पादों का नाम एवं विवरण	उत्पाद का	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
सं.		एनआईसी कोड	
1.	इल्मेनाइट	13209	43
2.	रुटाइल	13209	15
3.	जिरकोन	13209	19

III. नियंत्रणाधीन, अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्रणाधीन/ अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयरों का	लागू अनुभाग
		,	,	%	.9
	लागू नही				



Annexure -D

FORM NO. MGT - 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2015

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

1.	CIN	U15100MH1950GOI008187
II.	Registration Date	18 th August, 1950
III.	Name of the Company	INDIAN RARE EARTHS LTD
IV.	Category/Sub-Category of the Company	Miniratna - Category-I
V.	Address of the Registered office and contact	Plot No.1207,Veer Savakar Marg,
	details	Near Siddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 028
VI.	Whether listed company	No
VII.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent,ifany	Not applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sr.No.	Name and Description of	NIC Code of the Product	% to total turnover of
	main products		the company
1	ILMENITE	13209	43
2	RUTILE	13209	15
3	ZIRCON	13209	19

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No	. Name and address Of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary Associate	%of shares held	Applicable Section
	Not Applicable				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



।∨. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्योरा)

i. वर्गवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों का वर्ग	I .	शुरुआत में	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	-	- AC				- AE	T		परिवर्तन %
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल	
				शेयरों				शेयरों	
				का %				का %	
प्रमोटर्स									
1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/									
एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	शून्य
(ग) राज्य सरकार									
(सरकारें)									
(घ) निकाय निगम									
(ङ) बैंक/एफआई									
(च) कोई अन्य		1							
नोट:		टी शेयर केंद्र	सरकार के न	मितों द्वारा	धारित है	ξ I			1
उप कुलयोग		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
(क)(1) :-									6
2) विदेशी									
(छ) एनआरआई-									
व्यक्तिगत									
(ज) अन्य -									
व्यक्तिगत									
(झ) निकाय निगम									
(ञ) बैंक /एफआई									
(ट) कोई अन्य									
उप कुलयोग									
(क)(2):-		000050	000050	4000/		000050	000050	4000/	VI-71
प्रमोटर की कुल		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
शेयरहोल्डिंग (क)=									
(क)(1)+(क)(2)									
आ. सार्वजनिक			एन	ए					
शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थान			एन	ए					
(क) म्यूचुअल फंड									
(ख) बैंक/एफआई									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(सरकारें)									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियाँ									
				26					

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No.of Shares held at the beginning of the year				No. of shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of	Demat	Physical	Total	% of	
				Total				Total	
				Shares				Shares	
Promoters									
1) Indian									
a) Individual/ HUF									
b) Central Govt	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	NIL
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp									
e) Banks / FI									
f) Any Other									
Note:	4 equity	4 equity shares are held by Nominees of the Central Govt.							
Sub-total(A)(1):-		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
2) Foreign									
g) NRIs-Individuals									
h) Other-Individuals									
i) Bodies Corp.									
j) Banks / FI									
k) Any Other									
Sub-total(A)(2):- Total									
shareholding									
of Promoter (A) =									
(A)(1)+(A)(2)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
B. Public				•					
Shareholding			N	I A					
1. Institutions			N	Α					
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital									
Funds									
f) Insurance									
Companies									

26

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(छ) एफआईआई							
(ज) विदेशी वेंचर							
कैपिटल फंड							
(झ) अन्य(विनिर्दिष्ट करें)							
उप कुलयोग (आ)(1)							
2. गैर संस्थान		एनए	1				
(क) निकाय निगम							
(i) भारतीय							
(ii) विदेशी							
(ख) व्यक्तिगत							
(I) रु. 1 लाख तक की नाम							
मात्र की शेयर पूंजी धारक							
व्यक्तिगत शेयरधारक							
(I) रु 1 लाख से अधिक							
की नाम मात्र की शेयर पूंजी							
धारक व्यक्तिगत							
शेयरधारक							
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							
उप कुलयोग (आ)(2)		एन	ए				
कुल सार्वजनिक							
शेयरहोल्डिंग							
(आ)=(आ)(1)+(आ)(2)							
(इ) जीडीआर एवं एडीआर							
के लिए संरक्षक द्वारा							
धारित शेयर							
कुलयोग (अ+आ+इ)	863650	863650	100%	863650	863650	100%	शून्य

ii. प्रमोटरो की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान
		शेयरो की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ भारप्रस्त शेयरों का %	शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन %
1	भारत सरकार	863650	100 %	0	863650	100 %	0	शून्य
2								
3	_							
	कुलयोग	863650	100 %	0	863650	100 %	0	शून्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



g) FIIs							
h) Foreign Venture							
Capital Funds							
i) Others (specify)							
Sub-total(B)(1)			•				
2. Non Institutions		N	A				
a) Bodies Corp.							
(i) Indian							
(ii) Overseas							
b) Individuals							
(i) Individual							
shareholders							
holding nominal							
share capital							
upto Rs. 1 lakh							
(ii) Individual							
shareholders							
holding nominal							
share capital in							
excess of							
Rs 1 lakh							
c) Others(Specify)							
Sub-total(B)(2)		N	Α				
Total Public							
Shareholding							
(B)=(B)(1)+ (B)(2)							
C. Shares held by							
Custodian for							
GDRs & ADRs							
GrandTotal							
(A+B+C)	863650	863650	100%	863650	863650	100%	NIL

ii. Share holding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	•			Shareholding at the end of the year			
	 	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbe red to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbe red to total shares	% change in share holding during the year
1.	Govt. of India	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL
2.								
3.								
	Total	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



III. Change in Promoters' Shareholding(please specify, if there is no change)

Sr. No.		Shareholding beginning of t		Cumulative Shareholding during the year		
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company	
	At the beginning of the year					
	Date wise Increase /					
	Decrease in Promoters					
	Share holding during the					
	year specifying the reasons	No Cha	ange			
	for increase / decrease					
	(e.g. allotment / transfer /					
	bonus/ sweat equity etc):					
	At the End of the year					

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No		Shareholding at the		Cumulative S	hareholding
		beginning of the year		during the year	
		No. of shares	No. of shares % of total		% of total
			shares of the		shares of the
			company		company
	For Each of the Top 10				
	Shareholders				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase /				
	Decrease in Share holding				
	during the year specifying	Not app	olicable		
	the reasons for increase /				
	decrease (e.g. allotment /				
	transfer / bonus / sweat				
	equity etc):				
	At the End of the year				
	(or on the date of				
	separation, if separated				
	during the year)				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



v. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरहोल्डिंग :

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
1.	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल शेयरो का %
	वर्ष के आरंभ में	3	रावरा प्रा 70	3	रापरा प्रा ७
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी इत्यादि):	3 लागू नही			
	वर्ष के अंत में				

v. ऋणबकाया/अर्जित किए गए परंतु भुगतान नहीं किए जाने वाले ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोडकर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	•			
iii) अर्जित किया गया ब्याज परंतु देय नहीं				
कुलयोग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता				
में परिवर्तन				
- योग				
- कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
।) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया				
iii) अर्जित किया गया ब्याज				
परंतु देय नहीं				
कुल योग (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors	No. of shares	% of total	No. of shares	% of total
	and KMP		shares of the		shares of the
			company		company
	At the beginning of the year	3		3	
	Date wise Increase /				
	Decrease in Promoters				
	Share holding during the				
	year specifying the reasons	Not app	licable		
	for increase / decrease				
	(e.g. allotment / transfer /				
	bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. <u>INDEBTEDNESS</u>

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not	NIL	NIL	NIL	NIL
Total(i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year - Addition				
- Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount ii) Interest due but notpaid iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकी कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबन्धक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		
				(लाख में)	
1.	सकल वेतन	डॉ. आर एन पात्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	43.41	
	(क) आयकर अधिनियम 1961				
	की धारा 17(1) में दिये				
	गए प्रावधानों के अनुसार				
	वेतन	श्री दीपेंद्र सिंह	निदेशक (विपणन)	30.62	
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	29.76	
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त)	20.61	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961	डॉ. आर. एन. पात्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1.04	
	की धारा 17(2) के तहत	श्री दीपेंद्र सिंह	निदेशक (विपणन)	5.12	
	अनुलब्धियों का मूल्य	श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	5.06	
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त)	3.89	
	(ग) आयकर अधिनियम 1961	डॉ. आर. एन. पात्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0	
	धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	श्री दीपेंद्र सिंह	निदेशक (विपणन)	0	
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	0	
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त)	0	
2.	स्टॉक विकल्प			शून्य	
3.	स्वेट इक्विटी			शून्य	
4.	कमीशन			शून्य	
	- लाभ के % के रूप में				
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें			शून्य	
6.	कुलयोग (क)			139.51	
	अधिनियम के अनुसार सीमा				
				•	



VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

SI. No.	. Particulars of Remuneration	Name of MD/WTI	Name of MD/WTD/ Manager		
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section17(1) of the	Dr. R. N. Patra	CMD	43.41	
	Income-tax Act,1961	Shri D Singh	Director (Marketing)	30.62	
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	29.76	
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance)	20.61	
	(b) Value of perquisites u/s	D DND (OMP	4.04	
	17(2)Income-tax Act, 1961	Dr. R.N.Patra	CMD	1.04	
		Shri D Singh	Director (Marketing)	5.12	
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	5.06	
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance)	3.89	
	(c)Profits in lieu of salary undersection17(3)Income-	Dr. R.N.Patra	CMD	0	
	tax Act,1961	Shri D Singh	Director (Marketing)	0	
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	0	
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance)	0	
2.	Stock Option			NIL	
3.	Sweat Equity			NIL	
4.	Commission - as % of profit - others, specify			NIL	
5.	Others, please specify			NIL	
6.	Total (A)			139.51	
	Ceiling as per the Act				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्र	कुल धनराशि (लाख में)	
	स्वतंत्र निदेशक - बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	डॉ. एस. डी. आवले	आई डी	0.40
		श्री अरुण बालाकृष्णन	आई डी	0.40
		डॉ अशोक कुमार लोमस	आई डी	1.60
		श्री शकील अहमद	आई डी	1.60
	कमीशन -अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ।			शून्य शून्य
	कुलयोग (1)			4.00
	अन्य गैर अधिशासी निदेशक बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क (केरल सरकार के राजकोष में जमा करने के लिए त्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि. को प्रेषित)	श्री बी. ज्योतिकुमार	नामित निदेशक	0.40
	-कमीशन			शून्य
	-अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ।			शून्य
	कुलयोग (२)			0.40
	कुलयोग (ख) = (1+2) कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			4.40
	अधिनियम के अनुसार समय सीमा			

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



B. Remuneration to other directors:

SI. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/W	TD/ Manager	Total Amount (in lakhs)
	Independent Directors - Fee for attending board committee meetings	Dr. S D Awale	ID	0.40
		Shri Arun Balakrishnan	ID	0.40
		Dr. Ashok Kumar Lomas	ID	1.60
		Shri Shakeel Ahmed	ID	1.60
	.Commission -Others,pleasespecify			NIL NIL
	Total(1)			4.00
	Other Non-Executive Directors Fee for attending board committee meetings (Remitted to Travancore Titanium Products Ltd for depositing to Kerala Govt.Treasury)	Shri B Jyothikumar	Nominee Director	0.40
	- Commission - Others, pleasespecify			NIL NIL
	Total(2)			0.40
	Total(B)=(1+2)			4.40
	Total Managerial Remuneration			
	Overall Ceiling as per the Act			

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



क. एमडी/प्रबन्धक/डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र _.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
सं.						
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुलयोग	
					(लाख में)	
9.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की			सीएफओ के रुप		
	धारा 17(1) में दिये गए प्रावधानों के			में पदनामित		
	अनुसार वेतन		14.66	निदेशक (वित्त)	14.66	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की			, ,		
	धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का					
	मूल्य		0		0	
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की					
	धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले					
	में लाभ		0		0	
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	- लाभ के के % रूप में					
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	कुलयोग		14.66		14.66	

VII. अपराधों के अर्थदंड/दंड/समझौते : शून्य

प्रकार	कंपनी	संक्षिप्त	अधिरोपित अर्थदंड/दंड/समझौता	प्राधिकरण	की गयी अपील,		
VI -171 (अधिनियम अधिनियम	विवरण	शुल्क का विवरण	(आरडी/एनसीएलटी/	यदि कोई हो,		
	की धारा			न्यायालय)	(विवरण दें)		
क. कंपनी							
अर्थदंड							
दंड							
समझौता							
ख. निदेशक	गण						
अर्थदंड							
दंड							
समझौता							
ग. चूक कर	ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी						
अर्थदंड							
दंड							
समझौता							

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD

SI. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company	CFO	Total
			Secretary		(in lakhs)
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions		14.66	Director	14.66
	contained in section17(1)of the			(Finance)	
	Income-tax Act,1961			designated	
				as CFO	
	(b) Value of perquisites u/s 17(2)		0		0
	Income-tax Act,1961				
	(c)Profits in lieu of salary under		0		0
	section 17(3)Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission				
	- as % of profit				
	- others, specify	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total		14.66		14.66

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Туре	Section of the compani- es Act	Brief description	Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	Authority[RD /NCLT/Court]	Appeal made, If If any (give details)
A. Company					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. Directors					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OtherOfficersInDefault					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



मेहता एण्ड मेहता कंपनी सचिव नवजीवन सोसायटी बिल्डींग नं.3, 12वी मंजिल, ऑफिस नं.9, लेमिंग्टन रोड.

मुंबई - 400 008.

इमेल : diptimehta-mehta.com

फोन:022-6611 9696

कारपोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में, सदस्यगण, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट शासन पर मार्गनिर्देश 2010 (मार्गनिर्देश) के तहत उल्लिखित कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से **इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड** ("कंपनी") के सभी संबंधित अभिलेखों की जांच की है ।

कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है । हमारी जाँचें कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं एवं उनके अनुपालन तक सीमित रहीं । यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं हमें प्रदान की गयी सूचना एवं दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक क में यथाउल्लिखित को छोड़कर मार्गनिर्देश में यथानिर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रुप में कोई आश्वसान है और न ही प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन कंपनी का कार्य करता है ।

> कृते मेहता एंड मेहता कंपनी सचिव (आईसीएसआई यूनिक कोड पी 1996 एमएच 007500)

स्थान : मुंबई

दिनांक: 16 सितंबर 2015

अंशुल कुमार जैन

पार्टनर

सीपी सं. : 13181 एफसीएस सं. : 5547

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



MEHTA & MEHTA COMPANY SECRETARIES

Navjivan Society Bldg. No.3, 12th Floor, Office No.9, Lamington Road, Mumbai - 400 008.

Email: diptimehta-mehta.com

Tel.: 022-6611 9696

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE CERTIFICATE

To,
The Members of

Indian Rare Earths Limited

We have examined all the relevant records of **Indian Rare Earths Limited** ("the Company") for the purposes of certifying compliances of the conditions of Corporate Governance as mentioned under the Guideline on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSE) 2010 ("the Guideline") for the Financial Year ended March 31, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the mangement. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring compliances of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the information provided and explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guideline except as mentioned in the Annexure A to this certificate.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Mehta & Mehta Company Secretary (ICSI Unique Code - P1996MH007500)

Place: Mumbai

Date: 16th September, 2015

Anshul Kumar Jain

Partner

CP No.: 13181 FCS No.: 5547



Annexure A

	•	Annexure A	
क्र. सं.	खंड	प्रावधान	टिप्पणियाँ
1.	3.1.3	सरकार अथवा अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी।	बोर्ड की वर्तमान संरचना के अनुसार कंपनी के बोर्ड में चार नामित निदेशक हैं जिनके नाम श्री ज्योतिकुमार बालाकृष्णन पिल्लई, श्री राजीव आर. ए., श्री साईबाबा नुदुरपति एवं श्रीमित चित्रा रामचंद्रन हैं।
2.	3.1.4	अन्य सभी सीपीएसई (स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध परंतु बिना किसी अधिशासी अध्यक्ष के, अथवा सूचीबद्ध गैर सीपीएसई) के मामले में बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 94 के अनुसार बोर्ड की वर्तमान संख्या न्यूनतम तीन एवं अधिकतम 12 निदेशक हैं। तदनुसार कंपनी के न्यूनतम चार स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालांकि बोर्ड में वर्तमान में नौ निदेशक हैं और कंपनी में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं।
3.	3.3.3	बोर्ड कंपनी द्वारा तैयार किए गए कंपनी के लिए लागू सभी कानूनों के साथ साथ कंपनी द्वारा गैर अनुपालन के उदाहरणों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की अनुपालन रिपोर्ट की आवधिक समीक्षा करेगा।	हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराये गए कार्यवृत्त के आधार पर बोर्ड द्वारा कोई ऐसी समीक्षा नहीं की गयी। कंपनी ने विभिन्न प्रचालनीय यूनिटों द्वारा अनुपालनों के रिपोर्टिंग प्रारुप का मानकीकरण करने के लिए उठाए जा रहे उन कदमों को प्रस्तुत किया है। एक बार रिपोर्टिंग प्रारुप का मानकीकरण होते ही शीघ्र ही बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की आवधिक समीक्षा कार्यान्वित की जाएगी।
4.	3.6	बोर्ड कारपोरेट एवं प्रचालनीय उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण एवं सरेखण सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि जोखिम प्रबंधन का कार्य एक निर्धारित समयसीमा में सामान्य व्यापारिक प्रचलन के एक भाग के रुप में किया जाए न कि एक पृथक कार्य के रुप में।	हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराये गए कार्यवृत्त के आधार पर बोर्ड द्वारा ऐसी कोई नीति अपनाई नहीं गयी। इसेक अतिरिक्त कंपनी ने कारपोरेट शासन पर अपनी आवधिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई जोखिम प्रबंधन योजना नहीं है तथा बोर्ड जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं इसके कार्यान्वयन के लिए उपचारी कार्रवाई नहीं करता है। कंपनी ने बताया है कि परामर्शदाता द्वारा 15 जुलाई 2015 को लेखापरीक्षा समिति को तथा उसके बाद 16 जुलाई 2015 को बोर्ड को उद्यम जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ने सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को समावेशित करने के बाद लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से अंतिम रुप से अनुमोदन हेतु इसे पुन: बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।



Annexure A

Sr. No.	Clause	Provisions Annexure A	Observations
Sr. NO.	Clause	Provisions	Observations
1.	3.1.3	The number of Nominee Directors appointed by Government/other CPSEs shall be restricted to a maximum of two.	As per the present structure of the Board, there are four nominee directors on the Board of the Company namely, Mr. Jyothikumar Balakrishna Pillai, Mr. Raj eev R A, Mr. Saibaba Nudurupati and Mrs. Chitra Ramachandran.
2.	3.1.4	In case of all other CPSEs (i.e. listed on Stock Exchange but without an Executive Chairman, or not listed CPSEs), at least one-third of the Board Members should be Independent Directors.	The present strength of the Board as per the Article 94 of the Articles of Association of the Company is minimum three and maximum twelve directors. Accordingly, the Company should have minimum four independent directors. Even the present filled up strength of the Board is nine directors and the Company has only two independent directors.
3. 3.3.3		The Board shall periodically review compliance reports of all laws applicable to the company, Prepared by the company as well as stone taken by the company to	On the basis of the minutes provided for our verification, there was no such review is done by the Board.
		well as steps taken by the company to rectify instances of non-compliances.	The Company has represented that steps being taken to standardize the format of reporting of compliances by various operating units. Once the reporting format is standardized the Periodical review of compliance report by the Board to be implemented shortly thereafter.
4.	3.6	The Board should ensure the integration and alignment of the risk management system with the corporate and operational objectives and also that risk management is	On the basis of the minutes provided for our verification, there was no such policy is adopted by the Board.
		undertaken as a part of normal business practice and not as a separate task at set times.	Further, the Company is its periodic Compliance Report on Corporate Governance submitted that the Company does not have any risk management plan approved by the Board and the Board does not review and take remedial action to implement the risk management plan.
			The Company has represented that Draft Enterprise Risk Management Program was submitted by Consultant to the Audit Committee on 15th July, 2015 and thereafter to the Board on 16th July, 2015. Board suggested that after incorporating recommendation of the Audit committee the same will be placed again before the Board through Audit Committee for its final approval.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेअर अर्थ्स** लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का होता है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं । इसे उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16.07.2015 के माध्यम से उनके द्वारा किया गया कहा गया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है । यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों की कार्यकारी कागजों तक पहुँचें बिना की गयी है तथा मुख्य रुप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की जाँचों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है । मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिसकी वजह से सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा पूरक लेखापरीक्षा करनी पड़े ।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 15.09.2015

> (डॉ. आशुतोष शर्मा) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य. लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015.

The preparation of financial statements of **INDIAN RARE EARTHS LIMITED** for the year ended 31st March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16.07.2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **INDIAN RARE EARTHS LIMITED** for the year ended 31st March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

(Dr. Ashutosh Sharma)

Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place: New Delhi Date: 15.09.2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2015 के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित हैं, की लेखा परीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी (लेखाएं) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सिहत भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्मादन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति देने के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में दिये गए विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की पिरसंपित्तयों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय करना एवं अनुमान लगाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हों, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो सत्य एवं सही स्थिति देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन नीतियों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से प्रचालित रहे और जो किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं, भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

- 3. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है ।
- 4. हमने लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किए जाने के लिए आवश्यक लेखांकन मानकों एवं विषयों सहित अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके तहत निर्मित नियमों को ध्यान में रखा है ।
- 5. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी अन्य लागू आधिकारिक उद्धोषणाओं के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। ये मानक एवं उद्घोषणाएं अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं।
- 6. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन करने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं । धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन करने सहित सभी चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं । उन जोखिम मूल्यांकनों को करते समय लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन करने के लिए सत्य एवं सही स्थिति देने वाले वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की कंपनी की तैयारी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है परंतु इस बात पर

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



S. K. PATODIA & ASSOCIATES Chartered Accountants

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Rare Earths Limited ("the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements to give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- 3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 4. We have taken into account the provisions of the Act and the Rules made there under including the accounting standards and matters which are required to be included in the audit report.
- 5. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and pronouncements require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- 6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए विचार नहीं करता है कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और क्या ऐसे नियंत्रण की प्रचालनीय प्रभावकता है ।

7. हमें विश्वास है कि लेखा साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हैं ।

राय

8. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों केअनुसार अन्य नोट्स के साथ पूर्वोक्त वित्तीय विवरण यथावश्यक ढंग से अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा 31 मार्च 2015 को के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति की एवं इसके लाभ एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं सही स्थिति देते हैं।

मामले का जोर

- 9. हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :
 - (क) कंपनी की ऑसकॉम यूनिट की वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन जो ऑसकॉम यूनिट के आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) विभाग द्वारा वर्ष के अंत में किया गया, के संबंध में वित्तीय विवरणों का नोट सं.14 वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा कुछ तैयार माल की मात्रा के मामले में महत्वपूर्ण विसंगतियों की सूचना दी गयी । तद्नुसार प्रबंधन ने आगे की जांच के लिए मामले को कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के सामने प्रकट कर दिया है । सीवीओ ने पूछताछ एवं निरीक्षणों के साथ एवं बिना वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किए मामले की जांच की । सीवीओ ने भी निम्नलिखित रूप में कुछ मुद्दे उठाए हैं :
 - (i) जून 2010 से ट्रांसपोर्टर उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड (ओएसएल) का खाता बंद नहीं किया जाना जिसे वार्षिक आधार पर बंद किया जाना पड़ता है । वित्तीय विवरणों में ओएसएल के साथ खाते, यदि कोई हो, के समाधान के पश्चात आगे के परिणामी समायोजन की सीमा वर्तमान में निश्चित कर पाना संभव नहीं है अत: वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रभाव नहीं दिया गया है ।
 - (ii) सीवीओ ने जांच की और सूचित किया है कि उत्पादों का उत्पादन डाटा पर बेल्ट वेअर रीडिंग में त्रुटि के कारण बुक स्टॉक में गलत ढंग से विचार किया गया । इसके कारण कुछ तैयार माल की मात्रा के मामले में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ हैं । सीवीओ द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार तैयार माल की अंतिम वस्तुसूची से मिलान करने के लिए उत्पादन मात्रा को कम किया गया है । अत: ऑसकॉम यूनिट से संबंधित तैयार माल की अंतिम वस्तुसूची पर सीवीओ की रिपोर्ट के अनुसार विचार किया गया है । सीवीओ रिपोर्ट में दिये गए सुझावों के अनुसार प्रबंधन किसी प्रकार की विसंगति से बचने के लिए उचित कार्रवाई करे तथा आंतरिक नियंत्रणों को भी सुदृढ़ बनाया जाए ।
 - (iii) सीवीओ ने चक्रवात (फाईलिन) के कारण 31 मार्च 2014 से संबंधित रु. 217.86 लाख (7,218.43 मी.टन) का मूल्यांकित प्रदूषित स्टॉक के बारे में भी सूचित किया है जिसे पिछले वर्ष में एवं वर्तमान वर्ष में वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा माना नहीं गया । इसे लेखा बहियों में 31 मार्च 2015 को के अनुसार तैयार माल के अंतिम स्टॉक के रुप में माना गया है । इस कारण वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ रु 217.86 लाख अधिक रहा ।
 - (ख) वित्तीय विवरणों के नोट सं. 27 एवं नोट सं. 38 के संबंध में कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में रु. 860.76 लाख (पिछले वर्ष किए गए अधिक प्रावधान की रु. 121.39 लाख की वापसी एवं बीमा कंपनी से प्राप्त रु. 739.37 लाख) के असाधारण लाभ की गणना की है क्योंकि इसे वित्तीय वर्ष 2013-14 में चक्रवात (फाईलिन) के कारण हानियों के लिए वर्ष के दौरान बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है । कंपनी ने पिछले वर्ष रु. 474.30 लाख (बीमा कंपनी से प्राप्त रु. 200 लाख की शुद्ध प्राप्ति) की असाधारण हानि की गणना की है जिसमें वस्तुसूचियों के नुकसान के कारण हानि शामिल नहीं थी।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

7. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements

Opinion

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, together with other notes, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2015, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

- 9. We draw attention to the following matters:
- a) Note No. 14 to the financial statements regarding physical verification of inventory of OSCOM Unit of the Company, which was conducted at the year-end by the internal audit (IA) department of OSCOM Unit. During the physical verification of inventory, material discrepancies were reported in case of quantity of certain finished goods by the internal audit department. Accordingly, the Management has disclosed the matter to the Central Vigilance Officer ("the CVO") of the Company for further investigation. The CVO investigated the matter with enquiries and inspections and without having physical verification of the inventories. The CVO has also raised certain issue as follows:
 - (i) Non-closure of account of transporter, Orissa Stevedores Limited ("OSL")since June 2010 which has to be closed on yearly basis. The extent of further consequential adjustment after reconciliation of account with OSL, if any, in the financial statements is presently not ascertainable hence no effect has been given in the financial statements.
 - (ii) The CVO has enquired and reported that the production data of the products were wrongly considered in the book stock due to error in Belt Weigher reading. Due to this, there were material discrepancies in case of quantity of certain finished goods. The production quantity has been reduced to match the closing inventory of finished goods as reported by the CVO. Hence, closing inventories of finished goods related to OSCOM Unit has been considered as per the CVO report. As suggested by the CVO report, the management should take appropriate action to avoid any discrepancies and the also internal controls should be strengthened.
 - (iii) The CVO has also reported about the contaminated stock valued related to March 31, 2014 of ₹ 217.86 lakh (7,218.43 MT) attributed to the Cyclone (Phailin), which was not considered by the Internal Auditor during physical verification of inventories in the previous year and in the current year. The same has been considered as the closing stock of finished goods as at March 31, 2015 in the books of account. Due to this, the profit before tax for the year is higher by ₹ 217.86 lakh.
- b) Note No. 27 and Note No. 38 to the financial statements regarding the Company has accounted for Extra Ordinary Gain of ₹ 860.76 lakh (₹121.39 lakh reversal of excess provision made in the previous year and ₹ 739.37 lakh received from insurance company) in the Statement of Profit and Loss as the same is admitted by the insurance company during the year for losses due to Cyclone (Phailin) during the financial year 2013-14. The Company has accounted for an Extra-Ordinary

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (ग) कंपनी ने कच्ची रेत की निकासी एवं परिवहन तथा जॉब वर्क के आधार पर केएमएमएल की ओर से खनिजों का पृथक्करण के लिए केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल) के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है । उक्त एमओयू 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो गया था । प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है ।
- (घ) वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19 के संबंध में, कंपनी को सांद्र थोरियम की पुनर्प्राप्ति, पुनर्प्रक्रिया एवं पुनर्भण्डारण (थ्रस्ट) परियोजना सौंपी गयी है । कंपनी द्वारा आपूर्त न्यूक्लियर ग्रेड अमोनियम डाइ-यूरेनेट (एनजीएडीयू) के लिए क्षतिपूर्ति भारत सरकार की अंतिम अनुमोदित दर पर चिन्हित की गयी है । वर्तमान वर्ष में भारत सरकार ने 2011-12 में आपूर्त एनजीएडीयू के संबंध में रु. 19,655 प्रति किलोग्राम की दर अनुमोदित की है तथा रु. 1,715.37 लाख के धनराशि के अंतर को वर्तमान वर्ष में चिन्हित किया गया है एवं उत्पादों की बिक्री में शामिल किया गया है । तथापि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक की गयी आपूर्तियों के संबंध में क्षतिपूर्ति की दर रु. 13,557 प्रति किलोग्राम पर चिन्हित की गयी है जो कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2012 के माध्यम से वर्ष 2010-11 के लिए सूचित अनुमोदित दर है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लिए लागत रु. 19,655 प्रति किलोग्राम से कम है । तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लिए किसी भी अंतर धनराशि के प्रभाव को भारत सरकार से दर अनुमोदन के पश्चात चिन्हित किया जाएगा ।
- (च) निदेश मण्डल ने 18 मार्च 2015 को आयोजित बैठक में चवरा यूनिट में विभिन्न कर्मचारी मंचों को दिये गए रु. 1,221.83 लाख के अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में डीपीई का.ज्ञा.सं.11/36/97 वित्त दिनांक 9 अक्टूबर 1997 के अनुसार सरकारी निदेशकों द्वारा सहमति के अधीन एक संकल्प पारित किया है । तथापि इन मंचो को दिये गए अग्रिमों का शेष 31 मार्च 2015 को के अनुसार रु. 1,542.51 है । प्रबंधन की दृष्टि के अनुसार लेखा बहियों में कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं है ।
- (छ) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास वसूल करना कंपनी से अपेक्षित है । अनुसूची II के अनुसार जहां कही 01 अप्रैल 2014 को के अनुसार किसी पिरसंपत्ति का शेष उपयोगी जीवन शून्य हो जाता है यहाँ अविशष्ट मूल्य को धारण करने के पश्चात वहनीय धनराशि के शेष को धारित अर्जनों के आदि शेष में चिन्हित किया जाए। आईसीएआई द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 कीअनुसूची II के प्रावधानों पर अनुप्रयोग मार्गनिर्देशों के अनुसार इसके कर प्रभाव को भी धारित अर्जनों के प्रति प्रत्यक्ष रुप से समायोजित किया जाना होता है । धारित अर्जनों को दिये गए ये प्रभाव उपर्युक्त मार्गनिर्देश नोट के समान हैं । तथापि आस्थिगित कर परिसंपत्तियों के शेष में दिया गया प्रभाव 31 मार्च 2015 को के अनुसार रु. 341.49 लाख तक अधिक विवरिणत है । आस्थिगत कर व्ययों को प्रकट न करने एवं लाभदायकता में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उसी सीमा तक वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित हैं ।

अन्य मामले

10. 31 मार्च 2015 को के अनुसार एवं तभी समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सनदी लेखाकारों के एक अन्य प्रतिष्ठान द्वारा की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 जून 2014 के माध्यम से उन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय अभिव्यक्त की है ।

संशोधन के कारण

11. इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत पूरक लेखापरीक्षा के तहत टिप्पणियों पर विचार करते हुए संशोधित किया गया है । इस रिपोर्ट में हमने ऊपर एक पैरा 9(च) सिम्मिलित किया है। यह संशोधन दिनांक 16 जुलाई 2015 को हमारे द्वारा जारी पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Loss of ₹ 474.30 lakh (net of receipt of ₹ 200 lakh received from insurance company) in the previous year which was not inclusive of loss on account of damage of inventories.

- c) The Company has entered in to a MOU with Kerala Minerals and Metals Limited ("KMML") for extraction and transportation of raw sand and separation of minerals on behalf of KMML on Job Work basis. The said MOU was expired on December 31, 2014. As informed by the Management, the renewal is under process.
- d) Note No. 19 to the financial statements regarding, the Company is entrusted with the project of retrieval, reprocess and re-storage of Thorium Concentrate ("THRUST"). The Compensation for Nuclear Grade Ammonium Di-Uranate (NGADU) supplied by the Company is recognised at the last approved rate of the Government of India (GoI). During the current year, GoI has approved the rate of ₹19,655 per k.g. in respect of NGADU supplied during 2011-12 and the differential amount of ₹1,715.37 lakhs has recognised during the current year and included in Sale of Products. However, in respect of the supplies made from financial year 2012-13 to financial year 2014-15, the compensation is recognized at ₹13,557 per kg., which is the approved rate of the GoI for the year 2010-11 vide communication dated April 13, 2012 as the cost for financial year 2012-13 to financial year 2014-15 is less than ₹ 19,655 per kg. Accordingly, any differential impact for the financial year 2012-13 to financial year 2014-15 will be recognised after rate approval from Got
- e) The Board of Directors has passed a resolution in the meeting held on March 18, 2015 regarding written-off of advances given to various employee's forums in the Chavara Unit aggregating to ₹1,221.83 lakhs subject to its concurrence by the Government Directors pursuant to DPE O.M.No.11/36/97-Fin. Dated 9th October, 1997. However, the balance of advances given to these forums is aggregating to ₹ 1,542.51 as at March 31, 2015. As per the Management's view, No adjustment has been made in the books of account as the same is not approved by the Board of Directors.
- f) As per the Companies Act, 2013, the Company is required to charge depreciation on fixed assets as per the Schedule II of the Act. As per the Schedule II, wherever remaining useful lives of an asset is nil as on April 1, 2014, the balance of carrying amount after retaining the residual value may be recognised in the opening balance of retained earnings. As per the Application Guide on the provisions of the Schedule II to the Companies Act, 2013' issued by the ICAI, the tax effect of the same has to be also adjusted directly against the retained earnings. The effect given to the retained earnings are in line with the above guidance note. However, the effect given in the balance of deferred tax assets is overstated by ₹ 341.49 Lakh as at March 31, 2015. Leading to understatement of deferred tax expenses and increase of profitability figures in the financial statements to the same extent for the financial year 2014-15.

Other Matter

10. The financial statements of the Company as at March 31, 2014 and for the year then ended were audited by another firm of chartered accountants under the Companies Act, 1956 who, vide their report dated June 30, 2014, expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Reasons for Revision

11. This audit report is revised in consideration with the comments under supplementary audit under section 143(6) of the Companies Act, 2013. In this report we have incorporated a para 9(f) above. This revision is of the earlier audit report issued by us dated July 16, 2015.

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 12. भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी 'कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015' द्वारा यथा अपेक्षित अधिनिय की धार 143 की उपधारा (11) के रुप में (इसमें इसके आगे 'आदेश' के रूप में संदर्भित) तथा बहियों की ऐसी जाँचों के आधार पर एवं कंपनी के अभिलेखों जिन्हें हम उचित समझते हैं तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम अनुलग्नक में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर कथन देते है ।
- 13. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे :
 - ख. हमारी राय में जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा अभी तक कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गयी हैं :
 - ग. इस रिपोर्ट के द्वारा देखे गये तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - घ. हमारी राय में पूर्वीक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखाएं) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ।
 - च. हमारी राय के अनुसार ऊपर पैरा 9(क) में यथा उल्लिखित मामले कंपनी के क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते थे ।
 - छ. निदेशक मण्डल द्वारा अभिलेखित 31 मार्च 2015 को के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च 2015 को के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।
 - ज. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार :
 - (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2015 को के अनुसार लंबित मुकदमों के प्रभाव, यदि कोई हों, को प्रकट किया है नोट 29 देखें;
 - (ii) कंपनी की 31 मार्च 2015 को के अनुसार व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाएं है जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण निकट हानियाँ नहीं थीं ;
 - (iii) ऐसी कोई धनराशियां नही थीं जिन्हे 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था ।
- 14. इसे अतिरिक्त अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी को 31 मार्च 2015 को के अनुसार विनिवेश के लिए चयनित नहीं किया गया है
 - ख. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए शेष निम्नलिखित हैं :



Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 12. As required by `the Companies (Auditor's Report) Order, 2015', issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act (hereinafter referred to as the "Order"), and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- 13. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) As per our opinion, the matters as mentioned in the Para 9(a) above, which could have an adverse impact on the functioning of the Company.
 - (f) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
 - (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us:
 - (i) The Company has disclosed the impact, if any, of pending litigations as at March 31, 2015, on its financial position in its financial statements Refer Note 29;
 - (ii) The Company has long-term contracts including derivative contracts as at March 31, 2015 for which there were no material foreseeable losses;
 - (iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2015
- 14. Further, as required by Section 143(5) of the Act, we report that:
 - (a) As informed by the Management, the Company has not been selected for disinvestment as on March 31, 2015;
 - (b) According to the information and explanations given to us, following are the balances written off during the year:

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (i) विविध देनदारों के प्रति रु. 4000/- बट्टे खाते में दिये गए क्योंकि ये 3 वर्ष से अधिक से बकाया थे ।
- (ii) विविध लेनदारों के अग्रिमों के प्रति रु. 676,243/- बट्टे खाते में दिये गए क्योंकि ये 3 वर्ष से अधिक से बकाया थे।
- ग. कंपनी को तीसरे पक्षों के पास पड़ी वस्तुसूचियों के संबंध में रखे गए अभिलेखों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ;
- घ. प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी ने सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं की है ; तथा
- च. प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2015 को के अनुसार लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों को आयु वार विश्लेषण निम्नलिखित है :

प्रकृति	5 वर्षों से	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम
	अधिक	परंतु 5 वर्षों से कम	कम
सेवा मामले (उच्चतम न्यायालय में लंबित)	2	0	0
अन्य मामले (उच्चतम न्यायालय में लंबित)	1	1	2
सेवा मामले (उच्च न्यायालय में लंबित)	23	62	5
अन्य मामले (उच्च न्यायालय में लंबित)	32	25	1
सेवा मामले (निचले न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों			
में लंबित)	15	58	2
अन्य मामले (निचले न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों			
में लंबित)	54	34	2

कृते एस.के. पटोदिया एंड एसोशिएट्स फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 112723डब्ल्यू सनदी लेखापाल

स्थान : मुंबई

दिनांक : 3 सितंबर 2015

(अरुण पोद्दार) भागीदार

सदस्यता सं. 134572

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (i) $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}{=}} 4,000$ written off towards sundry debtors as the same were outstanding for more than 3 years.
- (ii) ₹ 676,243 written off towards advances to creditors as the same were outstanding for more than 3 years.
- (c) The Company needs to be strengthened the records maintained in respect of inventories lying with third parties;
- (d) As informed by the Management, the Company has not received any assets as gift from the Government or other authorities; and
- (e) As per the information provided by the Management, following are the age-wise analysis of pending legal/arbitration cases as on March 31, 2015:

Nature	More than 5 years	More than 1 Years but less than 5 years	Less than 1 years
Service Matters (Pending at Supreme Court)	2	0	0
Other Matters (Pending at Supreme Court)	1	1	2
Service Matters (Pending at High Court)	23	62	5
Other Matters (Pending at High Court)	32	25	1
Service Matters(Pending at lower court/			
other authorities)	15	58	2
Other Matters (Pending at lower court			
other authorities)	54	34	2

For S.K. Patodia & Associates Firm Registration Number: 112723W Chartered Accountants

Arun Poddar Partner

Membership Number: 134572

Place: Mumbai

Date: September 3, 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च 2015 के अनुसार एवं को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सदस्यों के प्रति उसी तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 11 में संदर्भित)

- (i) (क) कंपनी सामान्य रूप से परिमात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेखों को बनाए रख रही है ।
 - (ख) 3 वर्ष की अविध में सभी मदों को सिम्मिलत करने के लिए अभिकल्पित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अचल सम्पत्तियों का भौतिक रुप से सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के रेकॉर्ड एवं इसकी पिरसंपित्तयों की प्रकृति को देखते हुए तर्कसंगत है । कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान ऑसकॉम यूनिट एवं चवरा यूनिट को छोड़कर सभी स्थानों में अचल पिरसंपित्तयों के एक हिस्से का प्रबंधन द्वारा भौतिक रुप से सत्यापन किया गया है तथा ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं दिखी हैं ।
- (ii) (क) वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का सत्यापन किया गया है । हमारी राय में कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति पर विचार करते हुए वस्तुसूचियों के भौतिक रूप से सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत नहीं है ।
 - (ख) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा पालन की जा रही वस्तुसूची के भौतिक रुप से सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत एवं यथोचित हैं।
 - (ग) वस्तुसूची अभिलखों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ऑसकॉम यूनिट में तैयार माल के संबंध में उत्पादन अभिलेखों को छोड़कर वस्तुसूची के उचित अभिलेख बनाए रख रही है । बही अभिलेखों की तुलना में प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची के भौतिक रुप से सत्यापन पर पायी गई रु. 315.69 लाख की विसंगतियाँ महत्वपूर्ण थी तथा उनके साथ लेखा बहियों में उचित ढंग से व्यवहार किया गया है ।
- (iii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, प्रतिष्ठानों अथवा पार्टियों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है । अत : उक्त आदेश की शर्त 3(iii), (iii)(क) एवं (iii)(ख) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं ।
- (iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपित्तयों की खरीद के लिए तथा सामान एवं सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरुप एक यथोचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इसके अतिरिक्त कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने न तो पूर्वोक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख कमजोरियों को सुधारने में कोई सतत चूक पायी है और न ही हमें इसकी सूचना दी गयी है।
- (v) कंपनी ने अधिनियम की धाराओं 73, 74, 75 एवं 76 तथा इसके तहत अधिसूचित सीमा तक निर्मित नियमों के अर्थ के अंदर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है ।
- (vi) हमने उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए रखी गयी लेखा बहियों की व्यापक समीक्षा की है जहां भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है तथा उनपर राय है कि निर्धारित लेखाओं एवं अभिलेखों को सामान्य रुप से निर्मित किया गया है एवं बनाए रखा गया है । तथापि हमने इस दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या वे सटीक अथवा पूर्ण हैं ।
 - (क) हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार हमारी राय में कंपनी समान्यतया उचित प्राधिकरणों के साथ यथा प्रयोज्य भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Annexure to Independent Auditors' Report

Referred to in paragraph 11 of the Independent Auditors' Report of even date to the members of Indian Rare Earths Limited on the financial statements as of and for the year ended March 31, 2015

- i. (a) The Company is generally maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation, of fixed assets.
 - (b) The fixed assets are physically verified by the Management according to a phased programme designed to cover all the items over a period of 3 years which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the programme, a portion of the fixed assets at all locations *except OSCOM Unit and* Chavara *Unit* has been physically verified by the Management during the year and no material discrepancies have been noticed on such verification.
- ii. (a) The inventory has been physically verified by the Management as at the year end. In our opinion, the frequency of the physical verification of inventories is not reasonable considering the size of the Company and the nature of its business.
 - (b) In our opinion, the procedures of physical verification of inventory followed by the Management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.
 - (c) On the basis of our examination of the inventory records, in our opinion, the Company is maintaining proper records of inventory except production records in respect of finished goods at OSCOM Unit.Discrepancies amounting to ₹ 315.69 lakhs, noticed on physical verification of inventory by the Management, as compared to book records were material and have been appropriately dealt with in the books of account.
- iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act. Therefore, the provisions of Clause 3(iii), (iii)(a) and (iii)(b) of the said Order are not applicable to the Company.
- iv. In our opinion, and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Further, on the basis of our examination of the books and records of the Company, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across, nor have been informed of, any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control system.
- v. The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Sections 73, 74, 75 and 76 of the Act and the rules framed there under to the extent notified.
- vi. We have broadly reviewed the books of account maintained by the Company in respect of products where, pursuant to the rules made by the Central Government of India, the maintenance of cost records has been specified under sub-section (1) of Section 148 of the Act, and are of the opinion that, prima facie, the prescribed accounts and records generally have been made and maintained. We have not, however, made a detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate or complete.
 - (a) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues, including provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other material





कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सिहत सभी निर्विवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित है । 31 मार्च 2015 को के अनुसार देय तिथि से छ : माह से अधिक की अविध के लिए बकाया सांविधिक देयों के बकाया की सीमा इस प्रकार है :

16.6	1 2 21		
सांविधि का नाम	देयों का नाम	धनराशि (रु. लाख में)	अवधि जिससे धनराशि
		,	संबंधित है ।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	केंद्रीय बिक्री कर, मूल्य	145.97	01 मार्च 2011 से 31
1956 एवं उड़ीसा मूल्य संवर्धित	संवर्धित कर एवं ब्याज		मार्च 2015
कर अधिनियम 2004			
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम 1999	प्रवेश कर एवं ब्याज	7.10	01 मार्च 2011 से 31
			मार्च 2015

(ख) हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार आय कर, संपत्ति कर एवं उत्पाद शुल्क शेष नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है । 31 मार्च 2015 को के अनुसार बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर एवं उपकर के देयों जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, का विवरण इस प्रकार है :

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities. The extent of the arrears of statutory dues outstanding as at March 31, 2015, for a period of more than six months from the date they became payable are as follows:

Name of the Statute	Nature of the dues	Amount	Period to which	
		(₹in Lakhs)	the amount relates	
Central Sales Tax Act, 1956	Central sales Tax, Value	145.97	March 01, 2011 to	
and Orissa Value Added	Added Tax and interest		March 31, 2015	
Tax Act, 2004				
Orissa Entry Tax Act, 1999	Entry Tax and interest	7.10	March 01, 2011 to March 31, 2015	

(b) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there are no dues of income-tax, wealth-tax and duty of custom which have not been deposited on account of any dispute. The particulars of dues of sales tax, service tax, duty of excise, value added tax and cess as at March 31, 2015 which have not been deposited on account of a dispute, are as follows:

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



सांविधि का नाम	देयों के नाम	धनराशि	अवधि जिससे	फोरम जहां
		(रु.लाख में)	धनराशि संबंधित है।	विवाद लंबित है।
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	निर्णित हरजानों पर सेवाकर	1.56	2012-2013	आयुक्त (अपील), कोच्चि
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क एवं	986.00	1996-1997 से	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं
	ब्याज		1998-1999	सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी), बैंगलोर
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क एवं ब्याज	8,428.52	अक्टूबर 2005 से मार्च 2015	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एर सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी), बैंगलोर
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क एवं ब्याज	4,086.36	01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2015	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एर सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी),कोलकाता
केंद्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	21.13	1980-1981 से 1998-1999	विभिन्न अपीलेट प्राधिकरण
केरल मूल्य संवंधिंत कर अधिनियम 2003	क्रय पर इनपुट की अनुमति नहीं दी गयी	8.13	2013-14	अपील आयुक्त, कोल्लम
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)	रॉयल्टी की अंतर धनराशि हेतु दावा	66.75	2005-2006 एवं 2006-2007	उप निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन कार्यालय, नागरकोईल
अधिनियम, 1957	<u> </u>			तमिलनाडु
खान एवं खनिज (विकास	रॉयल्टी की अंतर	113.30	जून, 2009 से	खनन अधिकारी-गंजाम,
एवं विनियमन) अधिनियम, 1957	धनराशि हेतु दावा		31 मार्च 2011	बेरहामपुर
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957	छूट पर अंतर रॉयल्टी हेतु दावा	2.00	2002-2003	सहायक निदेशक भूविज्ञान खनन कार्यालय, नागरकोइल तमिलनाडु
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम 1999	दावा किए गए प्रवेश कर के सेट ऑफ की अनुमति नहीं देना	86.79	1999-2000 से 31 अक्टूबर 2007	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम 1999	दावा किए गए प्रवेश कर के सेट ऑफ की अनुमति नहीं देना	211.15	01 अप्रैल 2007 से 31 जुलाई 2013	अतिरिक्त आयुक्त (अपील)
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम 1999	राज्य बिक्री कर	19.70	1989-1990 से 2001-2002	विभिन्न अपीलेट प्राधिकरण
राज्य सरकार देय	किराया, उपकर एवं उनपर ब्याज	94.46	1976-2011	कलेक्टरेट, गंजाम, उड़ीसा
तमिलनाडु मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2006	इन्पुट कर क्रेडिट की अनुमति नहीं देना	41.71	2006-2007 से 2009-2010	वाणिज्यिक कर अधिकार, तक्कालय, तमिलनाडु
वित्त अधिनियम 1994	व्यापार सहायक सेवाओं पर सेवा कर	209.15	2007-2008	अपील आयुक्त, मदुरई

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Name of the Statute	Nature of Dues	Amounts (₹ in Lakh)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Central Excise Act, 1944	Service Tax on liquidated damages	1.56	2012-2013	Commissioner (Appeal), Kochi
Central Excise Act, 1944	Excise duty and interest	986.00	1996-1997 to 1998- 1999	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Bangalore
Central Excise Act, 1944	Excise duty and interest	8,428.52	October 2005 to March 2015	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Bangalore
Central Excise Act,1944	Excise duty and interest	4,086.36	March 01, 2011 to March 31, 2015	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Kolkata
Central Sales Tax Act, 1956	Central Sales Tax	21.13	1980-1981 to 1998-1999	Various Appelate Authorities
Kerala Value Added Tax Act, 2003	Disallowed of input on purchase	8.13	2013-2014	Commissioner of Appeal, Kollam
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957	Claim for differential amount of Royalty	66.75	2005-2006 and 2006-2007	Deputy Director of Geology & Mining Collectorate, Nagercoil, Tamil Nadu
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957	Claim for differential amount of Royalty	113.30	June 2009 to March 31, 2011	Mining Officer - Ganjam, Berhampur
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957	Claim for differential Royalty on rebate	2.00	2002-2003	Asst. Director of Geology & Mining Collectorate, Nagercoil, Tamil Nadu
Orissa Entry Tax Act, 1999	Disallowance of setoff of Entry Tax claimed	86.79	1999-2000 to October 31, 2007	High Court of Orissa
Orissa Entry Tax Act, 1999	Disallowance of setoff of Entry Tax claimed	211.15	April 01, 2007 to July 31, 2013	Additional Commissioner (Appeal)
Orissa Value Added Tax Act, 2004	State Sales Tax	19.70	1989-1990 to 2001-2002	Various Appellate Authorities
State Government Dues	Rent, Cess and interest thereon	94.46	1976-2011	Collectorate Ganjam, Orissa
Tamil Nadu Value Added Tax Act, 2006	Disallowance of Input Tax Credit	41.71	2006-2007 to 2009-2010	Commercial Tax Officer, Thuckalay, Tamil Nadu
The Finance Act, 1994	Service Tax on Business Auxiliary Services	209.15	2007-2008	Commissioner of Appeal, Madurai

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



वित्त अधिनियम 1994	कार्गो हैंडलिंग	10.32	2005-2006 से	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
	सेवाओं पर सेवा कर		2011-2012	आयुक्तालय, तिरुनेलवेली,
				तमिलनाडु
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर, ब्याज	58.83	2005-2006 से	आयुक्त (अपील), कोचीन
	एवं पेनाल्टी		2009-2010	
कर्मचारी भविष्य-	भविष्यनिधि प्रेषण	4.29	1997 से 2006	विभिन्न प्राधिकरण
निधि एवं विविध	में विलंब हेतु नुकसान			
प्रावधान अधिनियम 1952				

- (ग) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कंपनी द्वारा कोई भी अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित नहीं की है ।
- viii. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी को कोई संचित हानियाँ नहीं हुई है तथा उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष में अथवा तुरंत के पूर्व वर्ती वित्तीय वर्ष में इसने कोई नकद हानियाँ वहन नहीं की हैं ।
- ix. हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक के देयों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है । कंपनी ने कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है ।
- x. हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से दूसरों के द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है । तद्नुसार आदेश की शर्त 3(x) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं हैं।
- Xİ. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है । तद्नुसार आदेश की शर्त 3(xi) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं हैं ।
- XII. भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रचलनों के अनुसार की गयी कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें वर्ष के दौरान न तो हमें कंपनी में अथवा द्वारा महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना अथवा रिपोर्ट का पता चला है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गयी है ।

कृते एस.के. पटोदिया एंड एसोशिएट्स फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 112723डब्ल्यू सनदी लेखापाल

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2015

(अरुण पोद्दार) भागीदार सदस्यता सं. 134572

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(Rs. in Lakhs)

Name of the Statute	Nature of the dues	Amount (₹ in Lakhs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
The Finance Act,	Service Tax on	10.32	2005-2006	Central Excise
1994	Cargo Handling Services		to 2011-2012	Commissionerate, Tirunelveli, Tamil Nadu.
The Finance Act, 1994	Service Tax, Interest and penalty	58.83	2005-2006 to 2009-2010	Commissioner (Appeal) - Cochin
The Employees' Provident Funds And Miscellaneous	Damage for delayed in remittance of	4.29	1997 to 2006	Various Authorities

- c) There are no amounts required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder.
- viii. The Company has no accumulated losses as at the end of the financial year and it has not incurred any cash losses in the financial year ended on that date or in the immediately preceding financial year.
- ix. According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank. The Company has not issued any debenture.
- x. In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year. Accordingly, the provisions of Clause 3(x) of the Order are not applicable to the Company.
- xi. The Company has not raised any term loans. Accordingly, the provisions of Clause 3(xi) of the Order are not applicable to the Company.
- xii. During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of material fraud on or by the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the Management.

For S.K. Patodia & Associates Firm Registration Number: 112723W Chartered Accountants

Arun Poddar Partner

Membership Number: 134572

Place : Mumbai Date : July 16, 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



<u>31 मार्च 2015 का तुलन पत्र</u>

रु. लाख में

				रु. लाख म
क्र. सं.		नोट सं.	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
			समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
1	इक्विटी एवं देयताएं			
1.0	शेअरधारकों की निधियाँ			
	क) शेअर पूंजी	2	8,636.50	8,636.50
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	65,054.86	67,712.06
	कुल		73,691.36	76,348.56
2.0	गैर-वर्तमान देयताएं			
	क) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	4	5,365.78	5,311.28
	ख) दीर्घकालिक प्रावधान	5	6,052.15	5,898.33
	कुलयोग		11,417.93	11,209.61
3.0	वर्तमान देयताएं			
	क) देय ट्रेड	6	1,624.24	2,434.29
	ख) अन्य वर्तमान देयताएं	7	7,358.45	7,308.52
	ग) अल्पकालिक देयताएं	8	10,267.30	9,229.52
	कुल योग		19,249.99	18,972.33
	कुल योग		104,359.28	106,530.50
_{II}	परिसंपत्तियाँ		104,000.20	100,000.00
1.0	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
1.0	क) अचल संपत्तियाँ			
	क) जबल समाराया i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	9	14,089.70	15,420.12
	i) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	486.80	622.71
	ii) प्रगामी पूंजी कार्य	9	13,182.04	10,948.46
		9	·	•
	कुलयोग ख) गैर वर्तमान निवेश	40	27,758.54	26,991.29
		10	1.42	1.42
	ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	5,580.08	4,667.20
	घ) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	7,396.96	9,080.47
	ङ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	13	0.00	0.00
	कुल योग		12,978.46	13,749.09
2.0	वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
	i) वस्तुसूचियाँ	14	13,473.01	13,859.29
	ii) प्राप्य ट्रेड	15	2,667.18	524.45
	ii) नकदी एवं बैंक जमाशेष	16	40,557.78	45,410.14
	iii) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	17	5,304.82	3,780.67
	iv) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों	18	1,619.49	2,215.57
	कुलयोग		63,622.28	65,790.12
	कुलयोग		104,359.28	106,530.50
महत्वपूर्ण	लेखांकन नीतियों (नोट 1) एवं नोट्स (2-45) इन वित्तीय विवरणों का			
एक अभि	मन्न अंग बनाते है ।	1 से 45		

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड

मुख्य वित्त अधिकारी

एस.के पटोदिया एंड एशोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार वी.आर. तरफदार राकेश तुमाने डॉ. आर.एन. पात्र पार्टनर कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सदस्यता संख्या : 134572

मुंबई, मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2015 दिनांक : 16 जुलाई 2015



BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

₹ in lakh

		Note	Year ended	Year ended
		no	31 st March,2015	31 st March,2014
		110	31 Warch,2013	31 Warch,2014
I.	EQUITY & LIABILITIES			
1.0	Shareholders' Funds			
	a) Share Capital	2	8,636.50	8,636.50
	b) Reserves and Surplus	3	65,054.86	67,712.06
	Total		73,691.36	76,348.56
2.0	Non-Current Liabilities			
	a) Other long term liabilities	4	5,365.78	5,311.28
	b) Long term provisions	5	6,052.15	5,898.33
	Total		11,417.93	11,209.61
3.0	Current Liabilities			
	a) Trade payables	6	1,624.24	2,434.29
	b) Other current liabilities	7	7,358.45	7,308.52
	c) Short term provisions	8	10,267.30	9,229.52
	Total		19,249.99	18,972.33
	TOTAL		104,359.28	106,530.50
II .	ASSETS			
1.0	Non-Current Assets			
	a) Fixed Assets		44 000 70	45 400 40
	i) Tangible assets	9	14,089.70	15,420.12
	ii) Intangible assets	9	486.80	622.71
	iii) Capital work-in-progress	9	13,182.04	10,948.46
	Total	10	27,758.54 1.42	26,991.29 1.42
	b) Non Current Investment c) Deferred Tax Asset (Net)	11		4,667.20
	d) Long Term Loans and Advances	12	5,580.08 7,396.96	9,080.47
	e) Other Non Current Assets	13	0.00	0.00
	Total	13	12,978.46	13,749.09
2.0	Current Assets		12,970.40	13,749.09
2.0	i) Inventories	14	13,473.01	13,859.29
	ii)Trade receivable	15	2,667.18	524.45
	iii) Cash and bank balances	16	40,557.78	45,410.14
	iv) Short term loans and advances	17	5,304.82	3,780.67
	v) Other current assets	18	1,619.49	2,215.57
	Total		63,622.28	65,790.12
	TOTAL		104,359.28	106,530.50
The O:			,	,
	gnificant Accounting Policies (Note 1) and Notes form integral part of these financial statements	1 to 45		
•		1	I	

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board

S. K. PATODIA & ASSOCIATES Chartered Accountants

Firm Registration No. 112723W

Arun Poddar Partner M. No. 134572 B.R.Tarafdar Company Secretary Rakesh Tumane Director (Finance) & CFO Dr.R.N.Patra Chairman and Managing Director

Mumbai,

Dated 16th July, 2015

Mumbai, Dated 16th July, 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

				रु. लाख
क्र. सं.		नोट नं.	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
			समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	राजस्व			
i	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	19	42,351.12	41,456.22
	घटाएं : उत्पाद शुल्क		1,171.79	1,466.08
	प्रचालनों से राजस्व (शुद्ध)		41,179.33	39,990.14
ii	अन्य आय	20	5,169.29	5,624.78
iii	कुल राजस्व		46,348.62	45,614.92
iv	व्यय			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	21	4,818.97	3,583.88
	तैयार माल, प्रगामी कार्य की वस्तुसूची में परिवर्तन	22	1,177.59	(50.81)
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	20,930.28	20,377.80
	वित्त लागतें	24	522.04	550.62
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	25	2,153.28	1,917.86
	अन्य व्यय	26	17,215.72	14,609.85
	कुल व्यय		46,817.88	40,989.20
V	पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध), अपवाद मदें, असाधारण मदें एवं			
	कर पूर्व लाभ		(469.26)	4,625.72
vii	पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	27	76.77	68.79
vii	अपवाद मदों, असाधरण मदों एवं कर पूर्व लाभ		(546.03)	4,556.93
viii	अपवाद मदें	27	0.00	3,094.29
ix	असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ		(546.03)	7,651.22
х	असाधारण मदें	27	(860.76)	474.30
xi	कर पूर्व लाभ		314.73	7,176.92
xii	कर व्यय	28		
	क) वर्तमान कर		819.24	1,677.62
	ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)		(571.39)	821.00
	वर्ष के लिए लाभ		66.88	4,678.30
अर्जन प्र	ति इक्विटी शेअर रु. में - मूल (असाधारण मदों से पूर्व)		(58.05)	596.61
अर्जन प्र	ति इक्विटी शेअर रु. में - तनुकृत (असाधारण मदों से पूर्व)		(58.05)	596.61
अर्जन प्र	ति इक्विटी शेअर रु. में - मूल (असाधारण मदों के पश्चात)		7.74	541.69
	ति इक्विटी शेअर रु. में - तनुकृत (असाधारण मदों के पश्चात)		7.74	541.69
C.	ल्य प्रति इक्विटी शेअर रु. में		1,000.00	1,000.00
महत्वपूर्ण	लेखांकन नीतियाँ (नोट 1) एवं नोट्स (2-45) इन वित्तीय विवरणों का			
एक अधि	भेन्न अंग बनाते है ।	1 से 45		

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड

एस.के पटोदिया एंड एशोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार बी.आर. तरफदार राकेश तुमाने डॉ. आर.एन. पात्र निदेशक (वित्त) एवं पार्टनर कंपनी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मुख्य वित्त अधिकारी

सदस्यता संख्या : 134572

मुंबई मुंबई,

दिनांकः 16 जुलाई 2015 दिनांक : 16 जुलाई 2015



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

₹ in lakh

	Т		T	
		Note	Year ended	Year ended
		no	31 st March,2015	31 st March,201
	REVENUE			
1	Revenue from operations (Gross)	19	42,351.12	41,456.22
	Less: Excise Duty		1,171.79	1,466.08
	Revenue from operations (Net)		41,179.33	39,990.14
II	Other income	20	5,169.29	5,624.7
III	TOTAL REVENUE		46,348.62	45,614.9
IV	EXPENSES			
	Cost of material consumed	21	4,818.97	3,583.8
	Changes in inventories of finished goods,			
	work-in-progress	22	1,177.59	(50.81
	Employee benefits expense	23	20,930.28	20,377.8
	Finance costs	24	522.04	550.6
	Depreciation and amortization expenses	25	2,153.28	1,917.8
	Other expenses	26	17,215.72	14,609.8
	TOTAL EXPENSES		46,817.88	40,989.2
V	Profit before prior period adjustments (net),		,	
	exceptional items, extraordinary items and tax		(469.26)	4,625.7
VI	Prior period adjustments (Net)	27	76.77	68.7
VII	Profit before exceptional items,			
	extraordinary items and tax		(546.03)	4,556.9
VIII	Exceptional items	27	0.00	3,094.2
IX	Profit before extraordinary items and tax		(546.03)	7,651.2
X	Extraordinary items	27	(860.76)	474.3
ΧI	Profit Before Tax		314.73	7,176.9
XII	Tax expenses	28		,
	a) Current tax		819.24	1,677.6
	b) Deferred tax asset/(liability)		(571.39)	821.0
	PROFIT FOR THE PERIOD		66.88	4,678.3
arnings	Per Equity Share in ₹ - Basic (before extraordinary items)		(58.05)	596.6
Earnings	Per Equity Share in ₹ - Diluted (before extraordinary items)		(58.05)	596.6
•	Per Equity Share in ₹ - Basic (after extraordinary items)		7.74	541.6
•	Per Equity Share in ₹ - Diluted (after extraordinary items)		7.74	541.6
_	alue per Equity Share in ₹		1,000.00	1,000.0
	nificant Accounting Policies (Note 1) and Notes (2-45) form		1,000.30	.,555.6
•	part of these financial statements	1 to 45		

As per our report of even date attached

S. K. PATODIA & ASSOCIATES **Chartered Accountants**

Firm Registration No. 112723W

Arun Poddar **Partner** M. No. 134572

Mumbai, Dated 16th July, 2015 B.R.Tarafdar **Company Secretary** Rakesh Tumane Director (Finance) & CFO

For and on behalf of the Board

Dr.R.N.Patra Chairman and **Managing Director**

Mumbai,

Dated 16th July, 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

रु. लाख में

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष 31 मार्च 2014 को र				मार्च 2014 को सम	रु. लाख में गप्त वर्ष
l. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	31	2013 47 (14)	131 44	31	नाय 2014 का राष्ट्र	1111111
कर पूर्व लाभ		314.73			7,176.92	
के लिए समायोजन		011170			7,170.02	
जोड़े : मूल्यहास	2153.28			1,917.86		
ब्याज व्यय	522.04			550.62		
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.21			6.29		
अचल भंडारों पर हानि	51.43			74.14		
भंडार वर्तमान परिसंपत्तियों/अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	7.35			, , , , ,		
उत्पाद शुल्क हेतु प्रावधान	(653.85)			(3,013.73)		
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपदान (अंतरात्मक)	40.55			45.13		
उपदान निधि अंतर	(105.95)			(244.16)		
पूर्व अवधिमूल्यहास समायोजन	3.23			0.18		
प्राथायम् प्राथान पीआरपी प्राथधान	0.20			57.04		
वर्कमन के वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन प्रावधान	1,100.00			825.00		
ऋणों, परिसंपत्तियों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान	13.97	3,132.26		50.97	269.34	
ऋणा, भारतभाराचा एवं आग्रमा हतु प्रापयान	13.91	3,132.20		50.97	209.34	
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान आगे आवश्यक नही	194.78			60.29		
पीछे लिखित खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	31.28			6.31		
ब्याज आय	4,445.21			5,141.65		
म्यूचल फंड से लाभांश आय	299.90			146.62		
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	2.54	4,973.71		0.79	5,355.66	
क) कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ		(1,526.72)			2,090.60	
.,		/			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ख) कार्यशील पूंजी में वृद्धि/कमी						
वस्तुसूची	34.85			(792.93)		
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	1,900.41			1,513.11		
देय ट्रेड एवं अन्य देयताएं	(1,500.68)	734.58		(3,172.27)	(2,452.09)	
ग) प्रचालन से उत्पन्न नकदी (क+ख)		(792.14)			(361.49)	
घ) प्रदत्तकर						
, प्रत्यक्ष कर	(1,881.63)			(3,031.91)		
	, , ,	(1,881.63)		,	(3,301.91)	
ड) प्रचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी			(2,673.77)		,	(3,663.40)
II. <u>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</u>						
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	15.69			1.98		
सीडब्ल्यूआईपी सहित अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,937.12)			(2,761.37)		
प्राप्त ब्याज	2,985.83			3,199.59		
म्यूचूअल फंड से लाभांश आय	299.90			146.62		
ू निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		364.30	364.30		586.82	586.82
्रा. <u>वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</u>						
गाः <u>वित्तायं गातावाययां सं नकदा प्रवाह</u> प्रदत्त लाभांश	(2,020.85)			(3,743.84)		
प्रदत्त व्याज	(522.04)	(2.542.90)		(550.62)	(4,294.46)	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		(2,542.89)	(2,542.89)		(4,294.46)	(4,294.46)
नकदी एवं नकदी तूल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)			(4,852.36)			(7,371.04)
नकदा एवं नकदा तूल्य न शुद्ध वृाद्ध/(कमा) नकद एवं नकद तूल्य - वर्ष के प्रारंभ में		45,410.14			52 701 10	
		45,410.14	45,410.14		52,781.18	52,781.18
नकद एवं नकद तूल्य - वर्ष के अंत में			40,557.78			45,410.14

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड

मुख्य वित्त अधिकारी

एस.के पटोदिया एंड एशोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार बी.आर. तरफदार राकेश तुमाने डॉ. आर.एन. पात्र पार्टनर कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सदस्यता संख्या : 134572

मुंबई, मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2015 दिनांक : 16 जुलाई 2015

47

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2015

₹ in Lakh

		Year e	Year ended 31st March 2015			Year ended 31st March 2014		
l.	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES							
	Profit before Tax		314.73			7.176.92		
	Adjustment for		011.70			7,170.02		
	Add: Depreciation	2,153.28			1,917.86			
	Interest expenses	522.04			550.62			
	Loss on sale of Fixed assets	0.21			6.29			
	Loss on Non Moving Stores	51.43			74.14			
	Write-off of Stores Current Assets/ Advances	7.35			-			
	Provision for Excise Duty	(653.85)			(3,013.73)			
	Gratuity (Differentials) for retired employees	40.55			45.13			
	Gratuity Fund Gap	(105.95)			(244.16)			
	Prior-period Depreciation Adjustment	3.23			0.18			
	Performance Related Pay provision	_			57.04			
	Salary provision for pay revision of workmen	1,100.00			825.00			
	Provision for debts, assets and advances	13.97	3,132.26		50.97	269.34		
	Less: Excess Provision no longer required	194.78	1 '		60.29			
	Provision For Bad and Doubtful debts written back	31.28			6.31			
	Interest income	4,445.21			5,141.65			
	Dividend Income from Mutual Fund	299.90			146.62			
	Profit on sale of Fixed assets	2.54	4,973.71		0.79	5,355.66		
	A) Operating profit before working capital changes		(1,526.72)			2,090.60		
	B) Increase/ Decrease in working capital							
	Inventory	334.85			(792.93)			
	Trade and other receivables	1,900.41			1,513.11			
	Trade payables & Other liabilities	(1,500.68)	734.58		(3,172.27)	(2,452.09)		
	C) Cash Genererated from operation (A+B)		(792.14)			(361.49)		
	D) Taxes paid							
	Direct taxes	(1,881.63)	// 00/ 00		(3,301.91)	(0.004.04)		
			(1,881.63)			(3,301.91)		
	E) Net cash used in Operating activities			(2,673.77)			(3,663.40)	
II.	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES							
	Sale of Fixed Assets	15.69			1.98			
	Purchase of Fixed Assets including CWIP	(2,937.12)			(2,761.37)			
	Interest received	2,985.83			3,199.59			
	Dividend Income from Mutual Fund	299.90	004.00		146.62	500.00		
	Net cash from investing activities		364.30	364.30		586.82	586.82	
III.	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	(0.000.05)			(0.740.04)			
	Dividend paid	(2,020.85)			(3,743.84)			
	Interest paid	(522.04)	(0.540.00)		(550.62)	(4.004.40)		
	Net cash used in financing activities		(2,542.89)	(2,542.89)		(4,294.46)	(4,294.46)	
NET	-							
	INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS			(4,852.36)			(7,371.04)	
CAS	H AND CASH EQUIVALENTS - As at the beginning of the year		45,410.14	45,410.14		52,781.18	52,781.18	
CAS	SH AND CASH EQUIVALENTS -As at end of the year			40,557.78			45,410.14	

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board

S. K. PATODIA & ASSOCIATES Chartered Accountants Firm Registration No. 112723W

Arun Poddar Partner M. No. 134572 B.R.Tarafdar Company Secretary Rakesh Tumane Director (Finance) & CFO Dr.R.N.Patra Chairman and Managing Director

Mumbai,

Mumbai, Dated 16th July, 2015

Dated 16th July, 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



नोट - 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 (i) लेखांकन का आधार :

वित्तीय विवरिणयां ऐतिहासिक लागत पद्धित के तहत तथा आमतौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपचय आधार पर तैयार की गई है तथा यथा लागू अधिसूचित लेखा मानकों (ए एस) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुरुप है।

(ii) आकलनों का इस्तेमाल :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा है कि उन आकलनों और पूर्वानुभवों का सहारा लिया जाए जो वित्तीय विवरण की तिथि पर और रिपोर्टिंग अविध के दौरान राजस्व की सूचित राशि और व्ययों को प्रभावित करते हों। वास्तविक परिणामों और आकलनों के मध्य अंतर को उस अविध में जिसमें परिणामों की जानकारी हो / फलित हो, की पहचान हुई हो।

1.2 अचल परिसंपत्तियां - मूर्तः

(क)(i) मूर्त परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूलीयोग्य करों में से संचित मूल्यहास/परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि को हो, को घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है । मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है ।

उपयोग हेतु रखे गए परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च को तब ही उपयोग में लाया गया है जब वह ऐसी परिसंपत्तियों के पूर्व अनुमानित कार्यनिष्पादन के मानक से परे भावी लाभ में वृद्धि करता है जैसे कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में विस्तार, इसकी क्षमता में वृद्धि, अथवा उसके परिणाम की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण सुधार अथवा पूर्व निर्धारित प्रचालनीय लागत में कमी ।

किसी परिसंपत्ति के लिए प्राप्त सब्सिडी/अंशदान को उनकी लागत से घटा दिया गया है । यदि सब्सिडी/अंशदान किसी परिसंपत्ति की लागत का 100% है तो नाममात्र मूल्य के रूप में रू. 1/- रखा जाता है ।

- (ii) स्विनर्मित मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में विशिष्ट परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित लागतें और वे लागतें सम्मिलित है जो सामान्य रूप से निर्माणकारी गतिविधि से संबद्ध होती है तथा विशिष्ट परिसंपत्ति को आबंटित की जा सकें ।
- (ख) वर्ष के दौरान अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के संबंध में निवल बही मूल्य या साल्वेज समिति द्वारा यथा आकलित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम है, बिहयों में रखा जाता है । अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के निपटान के समय प्रतिधारित मूल्य के संदर्भ में लाभ / हानि को निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाता है । तथापि, यदि इनमें से किसी भी आस्ति की उनके निकालने / अलग करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो जिस वर्ष में यह तीन वर्षीय कालखंड समाप्त हो जाता है उस वर्ष से प्रतिधारित मूल्य को पूर्णत: बट्टे खाते में डालकर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है ।
- (ग) कंपनी के स्वामित्व में नही आने वाली परिसंपत्तियों पर वहन किया गया व्यय ऐसे व्यय को वहन की गई लेखा अवधि में राजस्व से प्रभारित किया गया है ।
- (घ) खनन के लिए धारित भूमि में भूमि की लागत, पेड़ों की क्षतिपूर्ति एवं उस पर बनने वाले भवनों तथा शिफ्टिंग प्रभार के लिए भुगतान क्षतिपूर्ति, पंजीकरण प्रभार, स्टैंग डयूटी आदि का समावेश है जिसमें से वस्ली, यदि कोई हो, को घटा दिया जाता है ।



Note-1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 (i) Basis of Accounting:

The financial statements are prepared under historical cost convention and in accordance with the generally accepted accounting principles in India on an accrual basis and comply with provisions of the Companies Act 2013 and the notified Accounting Standards (AS) as applicable.

(ii) Use of Estimates:

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

1.2 Fixed assets-Tangible:

a) (i) Tangible assets are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. The cost of tangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets beyond its previously assessed standard of performance e.g. an extension in the asset's useful life, an increase in its capacity, or a substantial improvement in the quality of the output or a reduction in previously assessed operating costs.

Subsidy/ contribution received for any asset is reduced from the cost thereof. In case subsidy/ contribution is 100% of the cost of any asset, Re. 1/- is retained as nominal value.

- (ii) The cost of self-constructed tangible assets comprises of the costs directly relating to the specific assets and those that are attributable to the construction activity in general and can be allocated to the specific asset.
- b) In respect of assets discarded/scrapped, the net book value or the estimated realizable value as assessed by the Salvage Committee, whichever is lower is retained in the books. At the time of disposal of the discarded/scrapped assets, the loss/gain with reference to the retained value is adjusted in the year of disposal. However, if any of these assets is not disposed off within a period of three years from the date on which the same is discarded / scrapped, the value retained is fully written off and charged to the Statement of Profit and Loss on expiry of three years.
- c) Expenditure incurred on assets not owned by the Company is charged off to revenue in the accounting period of incurrence of such expenditure.
- d) Land held for mining includes cost of land, compensation for trees & buildings thereon and payment towards shifting charges, solatium, registration charges, stamp duty, etc. less realization, if any.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.3 अचल परिसंपत्तियां - अमूर्तः

अमूर्त अचल परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूलीयोग्य करों में से संचित मूल्यहास/परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है । अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालु दशा मे लाने की लागत शामिल है ।

स्थानीय सरकार (सरकारों) को भुगतान किए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित खनन पट्टा अधिकारों के अधिग्रहण के लिए वहन किए गए व्ययों को एक प्रकार के अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है ।

1.4 मूल्यहास/परिशोधन :

(क) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर मूर्त अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर तथा उस अनुसूची ii में निर्दिष्ट तरीके के आधार पर किया गया है :

क्र. सं.	परिसंपत्ति का विवरण	उपयोगी	तकनीकी औचित्य
		जीवनकाल(वर्षो में)	
1	स्लरी पम्प	5	प्रचालन की प्रकृति एवं कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।
2	एअर कंडीशनर	8	संक्षारीय कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।
3	अग्निशामक	6	प्रतिस्थापक मानदण्ड एवं संक्षारीय कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।
4	मोबाईल फोन्स	2	निरंतर प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।

अंकित मूल्य के रूप में रू 1/- बनाए रखने को छोड़कर नेट ब्लॉक के शून्य होने तक मूल्यहास प्रभारित किया जाता है ।

(ख) भूमि की लागत सहित ठोस कचरा नाली के निर्माण की लागत में नाली की कुल क्षमता तक भरी हुई मात्रा के अनुपात में मूल्यहास किया जाता है ।

व्यय के वर्ष में नाली की सीलबंदी की लागत में मूल्यहास किया जाता है ।

- (ग) वर्ष के दौरान शामिल की गई परिसंपत्तियों के संबंध में नीचे "ङ" में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल्यहास उनके शामिल करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर वसुला गया है ।
- (घ) अलग/समाप्त/नष्ट कर दी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यहास ऐसे अलगाव/समापन/नाशन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है।
- (द) जहां रू 5000/- या उससे कम लागत के प्लांट एवं मशीनरी की अलग-अलग मदों की कुल वास्तविक लागत प्लांट एवं मशीनरी की कुल वास्तविक लागत का 10% से अधिक होता हो तो ऐसे मामलों को छोड़कर अलग-अलग रू. 5000/- या इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों पर उनके शामिल करने के वर्ष में अंकित मूल्य के रूप में रू. 1/- बनाए रखते हुए 100% की दर से मूल्यहास किया जाता है ।
- (च) जिन अचल आस्तियों का ऐतिहासिक मूल्य कीमत समायोजन, शुल्क में परिवर्तन आदि के कारण बदल गई है, ऐसी आस्तियों के संबंध में संशोधित अपरिशोधित मूल्यहास योग्य राशि पर) मूल्यहास आस्ति के अवशेष उपयोगी जीवन में प्रभावी रुप से दिया जाता है।



1.3 Fixed assets-Intangible:

Intangible fixed assets are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated amortization and impairment loss, if any. The cost of intangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

Expenses *including stamp duty, registration fees paid to the local Government(s)* incurred for the acquisition of mining lease rights are recognized as one type of intangible asset.

1.4 Depreciation/Amortization:

a) Depreciation on tangible fixed assets is provided for on straight line basis on the basis of the useful life of the assets as specified under Schedule II of the Companies Act, 2013 and in the manner as specified in that Schedule II, except for the following on the basis of technical evaluation:

SI. No.	Particulars of Asset	Useful life (in Years)	Technical justification
1	Slurry Pumps	5	Life is technically assessed considering the nature of operation and working environment.
2	Air conditioners	8	Life is technically assessed considering the corrosive working environment.
3	Fire extinguishers	6	Life is technically assessed considering the corrosive working environment and replacement norms
4	Mobile Phones	2	Life is technically assessed considering the frequent technological changes.

The depreciation is continued to be charged till the net block becomes Nil except retaining Re. 1/- as nominal value.

b) Cost of construction of solid waste trench together with the cost of the land thereof is depreciated in proportion of the quantity filled to the total capacity of the trench.

The cost of sealing of trench is depreciated in the year of expenditure.

- c) In respect of assets added during the year except assets mentioned under (e) below, depreciation is charged pro-rata from the date of addition.
- d) In respect of assets discarded/demolished/destroyed during the year, depreciation is charged pro-rata up to the date of such discard/demolition/destruction.
- e) Assets costing Rs. 5,000/- or less individually are depreciated at 100% retaining Re. 1/- as nominal value in the year of addition except in cases where the aggregate actual cost of individual items of plant and machinery costing Rs.5000/- or less constitutes more than 10% of the total actual cost of plant and machinery.
- f) In respect of fixed assets whose historic cost has undergone a change due to price adjustments, change in duties etc., depreciation on the revised unamortized depreciable amount is provided prospectively over the residual useful life of the asset.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(छ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खनन के लिए धारित भूमि के संबंध में भावी खनन योग्य भारी खनिजों का उपलब्ध खनन पट्टे तथा/या सतही पट्टे जो भी स्थिति हो पर विचार करते हुए तकनीकी अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है ।

ऐसी भूमि के मूल्य में कमी की पहचान ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष के दौरान खनन से प्राप्त भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात ने मूल्यांकित भावी खननयोग्य भारी खनिजों के अलावा वर्ष के दौरान खनन की गई भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा तक की जाती है ।

(ज) अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का निम्नलिखित रूप में सीधी रेखा के आधार पर प्रावधान किया गया है :

क्र.सं.	विवरण	परिशोधन
1	खनन पट्टा	खान के उपयोगी जीवन (अथवा) पट्टा अवधि पर, जो भी कम हो ।
2	प्रतिपूरक वनरोपण प्रभार	उस भूमि के संबंध में जिसके लिए व्यय किया गया है,
	G.	खान के उपयोगी जीवन (अथवा) पट्टा अवधि पर, जो भी कम हो ।
3	कंम्यूटर सॉप्टवेअर	4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए

नेट ब्लॉक के शून्य होने तक परिशोधन प्रभारित किया जाता रहता है ।

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक पर परिसंपत्तियों की वहनीय धनराशि की समीक्षा की जाती है कि क्या बाह्य/आंतरिक तथ्यों के आधार पर क्षतिग्रस्तता का कोई चिह्न है । यदि ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं तो कंपनी उस परिसंपत्ति के प्रतिप्राप्ति मूल्य का अनुमान लगाती है । परिसंपत्ति का यह प्रतिप्राप्ति मूल्य जिस नकद निर्माण ईकाई के करने में यह परिसंपत्ति हो उसका प्रतिप्राप्ति मूल्य यदि उसकी अग्रनीत राशि से कम है तो अग्रनीत राशि को प्रतिप्राप्ति राशि तक घटाया जाता है । इस घटत को क्षति हानि माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि के विवरण में अंकित किया जाता है । तुलन-पत्र दिनांक पर यदि पाया जाए कि गत काल में आंकी गई क्षति अब उपस्थित नहीं है तो प्रतिप्राप्ति मूल्य को दोबारा आंका जाता है और उस परिसंपत्ति को उस परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति न्यूनतम धनराशि पर या वहनीय धनराशि पर अंकित किया जाता है जिसे निश्चित किया गया होगा (मूल्यहास अथवा परिशोधन का शुद्ध) कि उसे पूर्व लेखांकन अवधियों में संपत्ति के लिए चिन्हित की गई कोई क्षति हानि नहीं हुई।

1.6 निवेश:

दीर्घावधि निवेश को खरीद मूल्य पर घोषित किया गया है व उनके मूल्य में अस्थाई घटत के अलावा अन्य घटत को आंकने का प्रावधान किया गया है ।

चालू निवेश के रुप में निवेश को वित्तीय विवरण में न्यूनतम लागत पर अग्रेनीत किया जाता है अथवा निवेश की श्रेणी के आधार पर उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है ।

1.7 वस्तुसूचियों का मूल्यांकनः

- (क) कच्चे माल/मार्गस्थ माल का मूल्यांकन लागत पर या निव्वल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम है पर किया जाता है ।
- (ख) भंडार अतिरिक्त पुर्जी तथा खुले उपकरणों का मुल्यांकन लागत पर किया जाता है ।
- (ग) चालू कार्य के स्टॉक, अतिरिक्त संसाधन के लिए मध्यवर्ती उत्पाद और तैयार उत्पाद का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



g) At the end of each financial year, future mineable heavy minerals in respect of land held for mining are assessed based on technical estimates considering available mining lease and/or surface lease as the case may be.

Diminution in the value of such land is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year.

h) Amortization of intangible assets is provided for on straight line basis as per the followings:

SI. No.	Particulars	Amortisation
1	Mining lease	Over the useful life of the mine (or) lease period whichever is shorter.
2	Compensatory Afforestation Charges	Over the useful life of the mine (or) lease period whichever is shorter in respect of land for which expenses has been incurred.
3	Computer Software	Over a period of 4(Four) years

The amortization is continued to be charged till the net block becomes Nil.

1.5 Impairment of Assets:

The carrying amount of assets are reviewed at each balance sheet date to ascertain whether there is any indication of impairment based on external/internal factors. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Profit and Loss. If at the balance sheet date there is an indication that if a previously assessed impairment no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the minimum of the recoverable amount or the carrying amount of the asset that would have been determined (net of depreciation or amortization) had no impairment loss been recognized for the asset in prior accounting periods.

1.6. Investments:

Long-term investments are stated at cost with provision to recognize a decline other than temporary in value.

Investments classified as current investments are carried in the financial statements at the lower of cost and fair value determined on the basis of the category of the investment.

1.7 Valuation of Inventories:

- a) Raw material and material in-transit are valued at cost or net realizable value whichever is lower
- b) Stores, spare parts and loose tools are valued at cost.
- c) Inventory of work-in-progress, intermediate products for further processing and finished products are valued at cost or net realizable values whichever is lower.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (घ) ग्रेड-इतर सामग्री तथा दूषित स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत के 80% या पुनर्प्रक्रिया लागत पर विचार करते हुए सामान्य व्यापार के बाजार मूल्य पर किया जाता है ।
- (च) 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जिन भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जीं को हटाया नहीं जाता उन्हें लागत के 95% हासिल मूल्य पर आंका जाता है ।
- (छ) कंपनी भारित औसत सूत्र का पालन करती है ।

1.8 बीमा दावे :

प्राप्त बीमा दावों को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब वे बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिये जाते है ।

1.9 परियोजना पूर्व व्ययः

कंपनी के स्वयं के तत्वावधान में तथा/या संयुक्त उद्यम के अंतर्गत नई-विस्तार परियोजनाओं के संबंध में संभाव्यता, अध्ययन, फ्लो-शीट विकास परियोजना, रिपोर्ट की तैयारी, पर्यावरण मंजूरी तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यय को पूंजीकरण/समायोजन/बट्टे खाते डालने तक ''परियोजना पूर्व व्यय'' के अंतर्गत समूहित किया गया है जिस सीमा तक उन्हें समायोजित नहीं किया गया है ।

1.10 विदेशी मुद्रा में लेन-देन :

- (क) विदेशी मुद्रा लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर प्रारंभिक रूप से दर्ज किया जाता है ।
- (ख) विदेशी मुद्रा से संबंधित अंकित ऐतिहासिक लागत पर लिए गए गैर मौद्रिक मदों को लेन देन की तारीख पर लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए अनुवर्ती तुलन पत्र में दिया जाता है ।
- (ग) तुलन पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उस तारीख पर लागू विनिमय दर पर पुन : दर्ज किया जाता है ।
- (घ) निपटान अथवा पुनर्विवरण पर विनिमय अंतर :
 - i) अर्हक परिसंपत्ति से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार के मामले में इन्हें कुछ सीमा तक ब्याज लागत में समायोजन, उधार लागत के रूप में माना जाता है ।
 - ii) अन्य मामलों में जिस अवधि में निपटान या पुनर्विवरण किया जाता है, को आय या व्यय के रूप में माना जाता है ।

1.11 बिक्री :

बिक्री का लेखांकन ऑन डिलवरी आधार पर, व्यापारी छूट व मूल्य वर्धित/बिक्री कर को घटाने के बाद किया गया है । बिक्री में आउट टर्न वेट से संबंधित समायोजन ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है ।

1.12 निर्यात बिक्री के संबंध में लदान पत्तन/उतराई पत्तन से संबंधित बोनस/विलंब शुल्क ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

1.13 कर्मचारी लाभ:

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के पश्चात 12 महिनों के अन्दर पूर्ण रूप से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा सेवा किए जाने वाले वर्ष में ही प्रदान किए जाते है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- d) Off-grade material / contaminated stock is valued at 80 % of lower of cost or market value of normal merchandise considering the reprocessing cost.
- e) Stores and spares not moved for more than 3 years are written down by 95 % of the cost.
- f) The company follows weighted average cost formula.

1.8 Insurance claims:

Insurance claims receivable are accounted for only when admitted by the Insurance Company.

1.9 Pre-Project Expenditure:

Expenditure on feasibility studies, flow sheet development, preparation of project report, environmental clearance and other related matters on new/expansion projects under its own auspices and/or joint venture, to the extent not adjusted, are grouped under "Pre-Project Expenditure" pending capitalization/adjustment/write off.

1.10 Transactions in Foreign Currency:

- a) Foreign currency transactions are initially recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction.
- b) Non monetary items which are carried at historic cost denominated in terms of foreign currency are reported in subsequent balance sheets using the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- c) Monetary assets and liabilities as on the balance sheet date, denominated in foreign currency are restated at the rate of exchange as on that date.
- d) Exchange differences either on settlement or on restatement:
 - i. in the case of foreign currency borrowings relating to a 'Qualifying Asset', to the extent they are regarded as an adjustment to the interest costs, are treated as borrowing cost.
 - ii. in other cases, are recognised as income or as expense in the period in which settlement or restatement is made.

1.11 Sales:

Sales are accounted for on delivery basis net of trade discount, rebate and value added tax/sales tax. Adjustments on account of out turn weight are made in sales on the basis of available information from customers.

1.12 Bonus/demurrage in respect of load port/discharge port, relating to export sales is accounted on the basis of available information from customers.

1.13. Employee Benefits:

A. Short term employee benefits:

All employee benefits payable wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service are classified as short term employee benefits and are charged off in the year in which the related service is rendered.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(ख) नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अ) परिभाषित योगदान योजनाएं :

सभी कर्मचारियों हेतु कर्मचारी पेंशन योजना तथा कंपनी के कर्मचारियों के विशिष्ट समूह हेतु अधिवर्षिता योजना एवं नई पेंशन योजना पिरभाषित योगदान योजनाएं होती है । पिरभाषित योगदान योजनाओं के प्रति कंपनी का योगदान लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है तथा कर्मचारी द्वारा सेवा किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया जाता है ।

कर्मचारी पेंशन योजना के प्रति योगदान भविष्य निधि एवं अन्य विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाता है तथा नई पेंशन योजना के प्रति योगदान को उपस्थिति के अभिहित बिंदु तक किया जाता है । कंपनी की योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है ।

कंपनी की अधिवर्षिता योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है । मासिक वेतन पर विशिष्ट दरों पर परिगणित योगदान विशिष्ट तारीख को एलआईसी को भेजा जाता है । कंपनी के उपर्युक्त निर्धारित योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है ।

ब) परिभाषित लाभ योजनाएं :

- (i) उपदान : कंपनी कर्मचारियों के लिए उपदान योजना चलाती है तथा उपदान दायित्व को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी को योगदान करती है ।
- (ii) भविष्य निधि: कंपनी द्वारा प्रदत्त न्यास को कंपनी भविष्य निधि के लिए विशिष्ट मासिक अंशदान करती है। प्रत्येक वर्ष सदस्यों को न्यास द्वारा देय ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। कंपनी के लिए न्यास के निवेश के लाभ एवं अधिसूचित ब्याज के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने की बाध्यता होती है।
- (iii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना : कंपनी पूर्व कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना प्रचालित करती है तथा उसके लाभ परिभाषित हैं ।

(स) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश एवं बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश की हकदारी तभी मानी जाती है जब वे कर्मचारी को प्रोद्भूत की जाती है । जबिक वार्षिक अवकाश अवकाशों के संचयन की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध के अधीन या तो प्राप्त किए अथवा नकदीकृत किए जा सकते हैं, बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश सेवा के दौरान केवल प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनको नकदीकृत नहीं किया जा सकता है । तथापि समस्त संचित अर्जित अवकाश, पात्रता के अंतर्गत बीमारी, अर्ध वेतन अवकाश सेवा छोड़ते समय नकदीकृत किए जा सकते हैं ।

कंपनी जहां भी आवश्यक हो वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक लाभ हेतु देयताएं निश्चित करती है ।

नौकरी पश्चात एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के संबंध में वास्तविक लाभ/हानि लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



B. Post employment and other long term employee benefits:

a) Defined Contribution plans:

Defined contribution plans are Employees' Pension Schemes covering all employees and Superannuation Scheme and new pension scheme for specified group of employees of the Company. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss and charged off in the year in which the employee has rendered service.

The contribution towards Employees' Pension Scheme is remitted to the Provident Fund authority concerned under the Provident Fund and Other Miscellaneous Provisions Act, 1952 and contribution towards New Pension Scheme is made to designated point of presence. The Company has no further liability beyond the contribution.

The Superannuation Scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). The contribution calculated at the specified rates on the monthly salary is remitted to LIC on the specified dates. The Company has no further liability beyond the contribution determined as above.

b) Defined Benefit Plans:

i) Gratuity

The company operates a gratuity scheme for employees and contributes to Life Insurance Corporation of India (LIC) towards meeting the gratuity obligation.

ii) Provident Fund

The Company makes specified monthly contributions towards provident fund to a trust administered by the Company. The interest payable by the trust to the members every year is being notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return on investments of the trust and the notified interest.

iii) Post Retirement Medical Scheme.

The Company operates a Post Retirement Medical Scheme covering the past employees and the benefits are defined.

c) Other Long term Employee Benefits:

Entitlements to earned leave and sick leave/half pay leave are recognized when they accrue to employees. While annual leave can be either availed or encashed subject to restriction on the maximum number of accumulation of leaves, sick leave/ half pay leave can only be availed and can not be encashed during service. However, the entire accumulated earned leave, sick / half pay leave subject to eligibility, can be encashed while leaving service.

The Company determines the liability for the Post employment and other long term benefits every year on actuarial valuation wherever mandated.

Actuarial gain/loss in respect of post employment and other long term benefits are charged to the Statement of Profit and Loss.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.14 वी आरएस क्षतिपूर्ति :

वीआरएस का विकल्प लेने वालों को क्षतिपूर्ति उसी वर्ष में लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में वीआरएस विकल्प लेने वालों को कार्यमुक्त किया जाता है ।

1.15 रॉयल्टी :

खिनजों पर रॉयल्टी उत्पादन के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है तथापि, खिनजों की हानि/कमी/सीमित खपत सिहत कंपनी प्रेषण के आधार पर भुगतान किया जाता है । देशी बिक्री मूल्य/निव्वल मूल्य के आधार पर अंतिम स्टॉक पर रॉयल्टी दी जाती है ।

1.16 अनुसंधान एवं विकासः

अचल आस्तियों के अर्जन पर व्यय को छोड़कर अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है । अनुसंधान एवं विकास उत्पादन को तैयार माल के मूल्य में तभी शामिल किया जाता है जब उत्पाद को विक्रय स्टॉक/भंडार में स्थानांतरित किया जाता है ।

1.17 उत्पाद शुल्क :

- (क) उत्पाद-शुल्क प्रभार्य तैयार उत्पाद के मामले में उत्पाद शुल्क को जब कभी देय होने पर हिसाब में लिया जाता है ।
- (ख) देश के अंदर बिक्री के लिए उपर्युक्त संदर्भित तैयार उत्पादों की माल सूची के संबंध में उत्पाद-शुल्क का प्रावधान तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान बिक्री मूल्य पर शुल्क दर पर किया जाता है । देश के अंदर बिक्री के लिए माल सूची का आकलन वर्ष के दौरान घरेलू एवं निर्यात बिक्री के अनुपात के आधार पर किया जाता है । ऐसे प्रावधान को तैयार उत्पाद के माल सूची मूल्य में शामिल किया जाता है ।

1.18 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां :

- 1. प्रावधानों को मान्यता तभी दी जाती है जब गत घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान जिम्मेदारी मौजूद हो और यह संभावित होता है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का बाह्यप्रवाह दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और जब दायित्वों हेतु धनराशि का एक विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता है ।
- (i) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व एवं जिसके अस्तित्व को केवल कंपनी के नियत्रंण के अधीन पूर्ण रूप से नहीं भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने अथवा न होने के द्वारा पुष्टि की जाएगी, अथवा
 - (ii) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व क्योंकि :
 - अ) यह संभावित नहीं होता है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देते हुए दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों का बाह्यप्रवाह आवश्यक होगा, अथवा
 - ब) दायित्वों हेतु धनराशि का एक विश्वसनीय आंकलन नहीं किया जा सकता है,

उपर्युक्त घटनाओं में किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है, परन्तु ऐसे दायित्व प्रासंगिक देयताओं के रूप में नोट में प्रकट किए जाते हैं ।

3. प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाएगी और न ही प्रकट किया जाएगा ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.14 VRS Compensation:

Compensation paid to VRS optees is charged to Statement of Profit and Loss in the same year in which VRS optees are relieved.

1.15 Royalty:

Royalty on the minerals is charged to the Statement of Profit and Loss on the basis of production. However, payment is made on the basis of despatches from the factory including losses/shortages of minerals/captive consumption. Royalty on closing stock is provided on the basis of domestic sale/ net realizable value.

1.16 Research and Development:

Expenses on Research and Development (R&D) other than expenditure on acquiring fixed assets are charged to the Statement of Profit and Loss. R&D production is included in value of finished goods only when the products are transferred to Stock-in-trade/stores.

1.17 Excise Duty:

- In case of excisable finished products, excise duty is accounted for as and when becomes due.
- b) In respect of inventory of above-referred finished products, meant for indigenous sale, provision for excise duty is made at the duty-rates and selling prices prevailing on the date of Balance sheet. The inventory meant for indigenous sale is estimated based on the ratio of domestic and export sale during the year. Such provision is included in the value of inventory of finished products.

1.18 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Provisions are recognised only when it has a present obligation as a result of past event and it
is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to
settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

2. In the event of:

- any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company; or
- ii. any present obligation that arises from past events because:
 - a) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;

or

b) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

No provision is recognised, but such obligations are disclosed in the notes as Contingent Liabilities.

3. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.19 पूर्व-अवधि व्यय/आय और पूर्व प्रदत्त व्यय:

भूल या चूक के कारण पूर्व अवधि के व्यय/आय जो चालू वर्ष के दौरान पैदा हो, तथा प्रत्येक प्रकरण में अधिकतम 1,00,000/-रूपये के पूर्व प्रदत्त व्ययों को चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है ।

1.20 चालू और आस्थिगित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए चालू कर के लिए प्रावधान किया जाता है । लेखा और कराधान आय के मध्य 'समय-अंतर' के कारण पैदा आस्थिगत कर को तुलन-पत्र की तिधि पर अधिनियमित या ठोस रुप से अधिनियमित कर-दरों और कानूनों को इस्तेमाल करते हुए लेखागत किया जाता है । आस्थिगत कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है जिस सीमा तक भविष्य में उनके बेचे जाने पर मूल्य प्राप्त होने की तर्कसंगत निश्चितता अथवा काल्पनिक निश्चितता, जो भी स्थिति हो, हो।

1.21 नकदी एवं नकदी तुल्य :

सभी वित्तीय उपकरण जिनकी मूल परिपक्वताएं खरीद की तिथि से तीन माह या उससे कम होती हैं तथा वे वित्तीय उपकरण भी जो महत्वपूर्ण हानि के बिना तत्काल रूप से नकदी में परिवर्तन योग्य होते हैं, 'नकदी तुल्य' माने जाते हैं । वे वित्तीय उपकरण जो प्रतिभूतियों अथवा रेहन के तहत अथवा किसी उद्देश्य के लिए चिन्हित किए गए हों, को नकदी तुल्य नहीं माना जाता है ।

1.22 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में व्ययः

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार तुरंत पीछे के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभों के किए गए औसत का न्यूनतम दो प्रतिशत इस संबंध में चिन्हित गतिविधियों पर वर्ष के दौरान खर्च किया गया है।

1.23 उधार संबंधी लागतें :

उधार संबंधी लागतें जो अर्ह परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण हेतु आरोप्य हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अर्ह परिसंपत्ति वो होती है जो अपने आशातीत उपयोग हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समयाविध लेती है। अन्य सभी उदाार संबंधी लागतें राजस्व के लिए प्रभारित की गई हैं।

1.24 कार्य संविदा सव्यवहार :

"लागत अतिरिक्त लाभ" के आधार पर किए गए कामकाज के मामले में, लागत की प्रतिपूर्ति और लाभ के तत्व को उचित दर और/या मूल्य पर जो भी स्थिति हो, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदागत दायित्व को पूरा करने पर मान्यता दी जाती है ।

1.25 अन्य आय :

बकाया धनराशि एवं लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय चिन्हित की जाती है। लाभांश को चिन्हित तभी किया जाता है जब प्राप्ति का आधार स्थापित हो जाता है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.19 Prior Period Expenses/Income and Pre-paid Expenses:

Expenditure / Income relating to prior periods arising in current year as a result of errors or omissions as well as pre-paid expenses not exceeding Rs.1,00,000/- in each case are treated as Expenditure/Income of the current year.

1.20 Provision for Current tax and Deferred Tax:

Provision for current tax is made after taking into consideration the provisions of the Income-tax Act, 1961. Deferred tax resulting from 'timing difference' between Accounting income and Taxable income is accounted for by using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty or virtual certainty as the case may be that the asset will be realized in future.

1.21 Cash and cash equivalents:

All financial instruments, which have original maturities of three months or less from the date of purchase and also financial instruments which are readily convertible into cash without significant loss are considered 'cash equivalents'. Those financial instruments pledged as securities or under lien or earmarked for any purpose, are not considered cash equivalents.

1.22 Expenses in respect of Corporate Social Responsibility (CSR)

In pursuance to the CSR policy of the Company, at least two percent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years is spent during the year towards the activities identified in this regard.

1.23 Borrowing costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition/ construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

1.24 Job Contract transactions:

In case of Job work undertaken on "cost plus profit" basis, reimbursement of cost and the element of profit are recognized at the appropriate rate and /or value as the case may be on completion of the contractual obligation as per the terms of the contract.

1.25 Other Income:

Interest income is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable. Dividend is recognized when the right to receive is established

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		1	रु. लाख म
		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-2	इक्विटी शेयर पूंजी		
	क) प्राधिकृत		
	1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष		
	रु. 1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)	40,000,00	40,000,00
	रु. १०००/- प्रत्यक के १०,००,००० इक्विटा शयर)	10,000.00	10,000.00
	, , , , ,		
	ख) जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
	पूर्णत : प्रदत्त रु.100/- प्रत्येक के 8,63,650 इक्विटी शेयर		
	(पिछले वर्ष 8,63,650)	8,636.00	8,636.00
	कुलयोग	8,636.00	8,636.00
	Ç		
	ग) 5% से अधिक रखने वाले व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों की संख्या		
	कंपनी के सभी 863650 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित है ।		
	घ) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान नकद में		
	प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना संविदा के अनुसरण में पूर्णत : प्रदत्त के		
	3 3		
	रुप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	शून्य	शून्य
	ङ) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस		
	शेअरों के रुप में पूर्णत : प्रदत्त के आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	शून्य	शून्य
	च) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे		
	गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग		
	छ) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान कंपनी ने		
	कोई शेयर जारी नहीं किया है/वापस खरीद नहीं है।		
		<u> </u>	

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015			
₹ in lak			
	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014	
NOTE - 2 : EQUITY SHARE CAPITAL			
<u>a) Authorised</u> 10,00,000 Equity shares of ₹ 1000/- each (Previous year 10,00,000 Equity shares of			
₹ 1000/- each)	40,000,00	40,000,00	
Authorised share capital	10,000.00	10,000.00	
b) Issued, Subscribed and Paid up:			
8,63,650 (Previous year 8,63,650)Equity shares of ₹ 1000/- each fully paid up	8,636.50	8,636.50	
Total	8,636.50	8,636.50	
 Number of shares held by person holding more than 5% All 863650 equity shares of the Company are held by Government of India (GoI) and its nominee. 			
 d) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without being received in cash during the period of five years immediately preceding the reporting date 	Nil	Nil	
 e) Aggregate number and class of shares alloted as fully paid up by way of bonus shares during the period of five years immediately preceding the reporting date 	Nil	Nil	
f) Aggregate number and class of shares bought back during the period of five years immediately preceding the reporting date			
g) During the period of five years immediately preceding the reporting date the Company has not issued/bought back any shares.			

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

			रु. लाख म
		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
ज)	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ एवं अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान नीचे प्रदर्शित है :		
<i>ਜ</i> \	रु. 1000/- प्रति शेअर की समान दर पर कंपनी के पास एक तरह के		
झ)	इक्विटी शेअर हैं। प्रत्येक शेअर धारक एक शेअर के लिए एक वोट का		
	पात्र है। परिसमापन के संदर्भ में इक्विटी शेयर धारक उनके शेअरों के		
	अनुपात मेंकंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य है ।		
	i) वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेअर संख्या	863,650	863,650
	ii) जोडें : वर्ष के दौरान जारी शेअर संख्या	- 000,000	-
	iii) घटाएं : वर्ष के दौरान निरस्त/वापस आए शेअर संख्या	_	
	iv) वर्ष के अंत में इक्विटी शेअर संख्या	863,650	863,650
	·	000,000	
नोट-3	•		
	क) पूंजी आरक्षित		
	वर्ष के प्रारंभ में	10.08	10.08
	वर्ष के दौरान योग	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती वर्ष के अंत में	- 40.00	-
	वष के अंत म	10.08	10.08
	ख) सामान्य आरक्षित		
	वर्ष के प्रारंभ में	8,200.18	7,200.18
	वर्ष के दौरान योग	-	1,000.00
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	वर्ष के अंत में	8,200.18	8,200.18
	-/	8,200.18	8,200.18
	ग) अ धिशेष वर्ष के प्रारंभ में	E0 E04 00	E7 044 00
	वर्ष के प्रोरम म वर्ष के दौरान लाभ	59,501.80 66.88	57,844.09
			4,678.30
	योग #	0.14	0.26
	कटौती # #	645.24	-
	सामान्य आरक्षित में अंतरित	- (4.707.00)	(1,000.00)
	प्रस्तावित लाभांश @	(1,727.30)	(1,727.30)
	लाभांश वितरण कर @	(351.68)	(293.55)
	वर्ष के अंत में	56,844.60	59,501.80
	कुल -	65,054.86	67,712.06
	@ लाभांश आरक्षित में से प्रस्तावित है।		
	# नोट 37 देखें		
	# # परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में संशोधन का प्रभाव		
	(नोट सं. 37 देखें)		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

		As at 31st March, 2015	As a 31st March, 2014
h)	Reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period is shown as below:		
i)	The Company has one class of equity shares having a par value of ₹ 1000/- per share. Each Share holder is eligible for one vote per share held. In the Event of Liquidation, the equity shareholders		
	are eligible to receive the remaining assets of the Company, in proportion to their shareholding (i) Equity Shares at the beginning of the year (Nos)		86356
	(ii) Add : Shares issued during the year (Nos)(iii) Less : Shares Cancelled / bounce back during the year (Nos)	-	
	(iv) Equity Shares at the end of the year (Nos)	863560	86356
NOTE 3	RESERVES AND SURPLUS		
a)	Capital Reserve At the beginning of the year Addition during the year	10.08	10.08
	Deduction during the year At the end of the year	10.08	10.0
b)	General Reserve At the beginning of the year Addition during the year Deduction during the year	8,200.18 - -	7,200.18 1,000.0
	At the end of the year	8,200.18	8,200.18
c)	Surplus At the beginning of the year Profit during the year Addition # Deduction ## Transferred to General Reserve	59,501.80 66.88 0.14 645.24	57,844.09 4,678.30 0.20 (1,000.00
	Proposed Dividend @ Dividend Distribution Tax @	(1,727.30) (351.68)	(1,727.30 (293.55
	At the end of the year	56,844.60	59,501.8
_	Total Dividend is proposed out of reserves. Lefer Note 37	65,054.86	67,712.00

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
गैर वर्तमान देयताएं		
नोट-4 अन्य दीर्घकालिक देयताएं		
देय ट्रेड		
क) देय ट्रेड - एमएसएमई	-	-
ख) देय ट्रेड - अन्य	107.16	7.13
अन्य		
क) एमएसएमई	5.00	-
ख) अन्य		
i) व्ययों के लिए देयत्ता	235.42	284.11
ii) सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण राशि	11.18	3.57
iii) प्राप्य ट्रेड (ग्राहको से अग्रिम)	0.06	0.08
iv) अन्य देयताएं #	5,006.96	5,016.39
कुल	5,365.78	5,311.28

रु. 5000 लाख की नकदीकृत बैंक गारंटी सम्मिलित है। एमएसएमई विवरण के लिए नोट सं. 34 देखें

गैर वर्तमान दे	यताएं		
नोट 5 ः	दीर्घकालिक प्रावधान		
	क) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	5,963.68	5,799.39
	ख) अन्य		
	(i) संपत्तिकर हेतु प्रवधान #	-	1.79
	(ii) प्रवेश कर हेतु प्रावधान (निम्नलिखित नोट देखें)	88.47	97.15
	अन्यों का कुलयोग	88.47	98.94
	दीर्घकालिक प्रावधानों का कुलयोग	6,052.15	5,898.33
	गैर वर्तमान देयताओं का कुलयोग	11,417.93	11,209.61

कंपनी की ऑसकॉम यूनिट ने भट्टी के तेल एवं कोयले को कच्ची सामग्री के रुप में विचार करते हुए 'उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999' के तहत उन पर प्रदत्त प्रवेश कर के सेट ऑफ के लिए दावा किया । वाणिज्यक कर आयुक्त, कटक (सीसीटी) द्वारा इसकी नामंजूरी के विरुद्ध कंपनी ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दर्ज कराई । तथापि रु. 141.57 लाख (पिछले वर्ष रु. 133.00 लाख) की विवादित धनराशि लेखाओं में दी गई है । कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रु. 53.10 लाख (पिछले वर्ष रु. 35.85 लाख) की कुल धनराशि सीसीटी के पास जमा की जिसे सकल देयता के समक्ष जोड़ा गया है ।

संदर्भ नोट सं. 30 देखें



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

	Viriadi		
	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014	
NON-CURRENT LIABILITIES			
NOTE 4 OTHER LONG TERM LIABILITIES			
Trade payable a) Trade payable -MSME b) Trade payable -Others Others	107.16	- 7.13	
a) MSME b) Others	5.00	-	
i) Liability for expenses ii) Security deposits and retention money iii) Trade receivable (Advance from Customer) iv) Other liabilities # Total	235.42 11.18 0.06 5,006.96 5,365.78	284.11 3.57 0.08 5,016.39 5,311.28	

includes Bank Guarantee encashed amount ₹ 5000 lakhs For MSME details refer Note no 34

NON-CURRENT LIABILITIES

NOTE 5 LONG TERM PROVISIONS

a) Provisions for employee benefits	5,963.68	5,799.39
b) Others		
(i) Provision for Wealth tax #	-	1.79
(ii) Provision for entry tax (Refer note below)	88.47	97.15
Total of Others	88.47	98.94
Total of Long Term Provisions	6,052.15	5,898.33
Total of Long Term 1 Tovicions	0,002.10	0,000.00
TOTAL OF NON-CURRENT LIABILITIES	11,417.93	11,209.61

The Oscom unit of the Company, considering furnace oil and coal as raw material claimed set off of entry tax paid on them under the provisions of 'Orissa Entry Tax Act, 1999. Against the disallowance of this by the Commissioner of Commercial Tax, Cuttack "CCT" the Company filed a writ petition before the Hon'ble Orissa High Court. However, the disputed amount of ₹ 141.57 lakhs (previous year ₹ 133.00 lakhs) has been provided in the accounts. The Company deposited an aggregate amount of ₹ 53.10 lakhs (previous year ₹ 35.85 lakhs) with CCT as directed by the Hon'ble High Court which has been nettted against the gross liability.

#Refer Note No.30

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		रु. लाख म
	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
वर्तमान देयताएं		
······································		
नोट 6 देय ट्रेड		
क) देय ट्रेड - एमएसएमई	205.92	139.6
ख) देय ट्रेड - अन्य	1,418.32	2,2941.61
देय ट्रेड का कुल योग	1,624.24	2,434.29
एमएसएमई विवरण के लिए नोट सं. 34 देखें		
वर्तमान देयताएं		
नोट ः 7 अन्य वर्तमान देयताएं		
क) एमएसएमई को देय*	8.90	0.05
ख) अन्य		
i) व्ययों के लिए देयताएं	3,073.93	3,418.05
ii) सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण राशि	150.73	155.64
iii) प्राप्य ट्रेड (ग्राहक से अग्रिम)	1,241.66	1,273.07
iv) अन्य देयताएं #	2,883.23	2,461.71
अन्य वर्तमान देयताओं का कुलयोग	7,358.45	7,308.52

[#] एमएसएमई विवरण के लिए नोट सं. 34 देखें

भारत सरकार की ओर से कंपनी द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित धनराशि सम्मिलित है (नोट-32 देखें)

वर्तमान दे	यताएं		
नोट-8	अल्पकालिक प्रावधान		
	(i) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान @	3,248.11	2,185.80
,	(ii) अन्य		
	(क) संपत्ति कर हेतु प्रावधान #	1.37	0.01
	(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु प्रावधान	4,661.26	4,894.64
	(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर राज्य कर हेतु प्रावधान	153.03	128.22
	(घ) संविदा संबंधी प्रावधान	124.55	-
	(ड) प्रस्तावित लाभांश	1,727.30	1,727.30
	(च) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	351.68	293.55
	अल्पकालिक प्रावधानों का कुलयोग	10,267.30	9,229.52
	इक्विटी एवं देयताओं का कुल योग	104,359.28	106,530.50

@ नोट संख्याएं 31, 39 एवं 44 देखें

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रावधान में खनिजों पर उत्पाद शुल्क एवं संगत ब्याज के लिए रु. 4129.71 लाख (पिछले वर्ष रु. 3428.11 लाख) की धनराशि सम्मिलित है (नोट सं.27 देखें) तथा शेष अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क को दर्शाता है ।

नोट सं. 30 देखें

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



7,308.52

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh			
	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014	
CURRENT LIABILITIES			
NOTE 6 TRADE PAYABLES			
a) Trade payable -MSME	205.92	139.68	
b) Trade payable -Others	1,418.32	2,294.61	
Total of Trade Payable	1,624.24	2,434.29	
For MSME details refer Note no 34.			
CURRENT LIABILITIES			
NOTE 7 OTHER CURRENT LIABILITIES			
a) Payable to MSME* b) Others	8.90	0.05	
i) Liabilities for expenses ii) Security and retention money iii) Trade receivable	3,073.93 150.73	3,418.05 155.64	
(Advance from customer) iv) Other liabilities #	1,241.66 2,883.23	1,273.07 2,461.71	

^{*} For MSME details refer Note No. 34

Includes amount relating to strategic projects undertaken by the Company on behalf of the Government of India (Refer Note 32)

7,358.45

Total of Other Current Liabilities

CURREN	T LIABILITIES		
NOTE 8	SHORT TERM PROVISIONS		
	(i) Provision for employee benefits @ (ii) Other	3,248.11	2,185.80
	(a) Provision for Wealth tax #	1,37	0.01
	(b) Provision for central excise	4,661.26	4,894.64
	(c) Provision for State tax on central excise	153.03	128.22
	(d) Contractual Provision	124.55	-
	(e) Proposed dividend	1,727.30	1,727.30
	(f) Dividend Distribution Tax on Proposed dividend	351.68	293.55
	Total of Short Term Provision	10,267.30	9,229.52
	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	104,359.28	106,530.50

@ Refer note no 31,39 and 44

Provision for central excise includes an amount of $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 4129.71 lakhs (previous year $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 3428.11 lakhs) towards excise duty and corresponding interest on minerals (Refer note no 27) and the balance represents excise duty on the closing stock.

Ref Note no. 30

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

			31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
गैर वर्तम	गन परिसंपत्तियाँ			
	अचल परिसंपत्तियाँ			
नोट 9	मूर्त परिसंपत्तियाँ			
	सकल वहनीय धनराशि		50,108.23	48,595.69
	संचित मूल्यहास#		36,018.53	33,175.57
	शुद्ध वहनीय धनराशि		14,089.70	15,420.012
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ			
	सकल वहनीय धनराशि		1,073.80	1,073.80
	संचित मूल्यहास #		587.00	451.09
	शुद्ध वहनीय धनराशि		486.80	622.71
	पूंजी-प्रगामी कार्य			
	पूंजी प्रगामी कार्य		12,525.73	10,537.05
	पूँजीगत मदें लंबित अधिष्ठाप	ग्न/पारगमन	656.31	411.41
		पूंजी-प्रगामी कार्य का कुलयोग	13,182.04	10,948.46
		अचल परिसंपत्तियों का कुलयोग	27,758.24	26,991.29

नोट 9ख के साथ पढ़े जाने वाले रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ एवं अंत में संपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए सकल एवं शुद्ध वहनीय धनराशि के समाधान हेतु नोट 9 क देखें । #नोट 37 देखें ।





Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

-			
_	IID	10	kh

		1
	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
NON-CURRENT ASSETS		
FIXED ASSETS		
NOTE 9 TANGIBLE ASSETS		
Gross carrying amount Accumulated depreciation Net carrying amount	50,108.23 36,018.53 14,089.70	48,595.69 33,175.57 15,420.12
INTANGIBLE ASSETS		
Gross carrying amount Accumulated depreciation # Net carrying amount	1,073.80 587.00 486.80	1,073.80 451.09 622.71
CAPITAL-WORK-IN PROGRESS		
Capital work in progress Capital items pending installation / in transit	12,525.73 656.31	10,537.05 411.41
Total of Capital-Work -In Progress	13,182.04	10,948.46
Total of Fixed Assets	27,758.24	26,991.29

Ref note-9A for reconciliation of the gross and net carrying amount for each class of assets at the beginning and at the end of the reporting period to be read with Note 9B.

#Refer Note 37

INDIAN RARE EARTHS LIMITED

रु. लाख में



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट - 9 क अचल परिसंपत्तियों मूर्त

INDIAN RARE EARTHS LIMITED

			लागत पर	लागत पर सकल ब्लॉक	عا			मृत्य हास			शुद्ध	शुद्ध ब्लॉक
क्र.सं.	विवरण	01.04.2014को	योग	कटौती	31.03.2015 को	31.03.2015 को 01.04.2014 तक	वर्ष में उपलब्ध	कटौतियाँ	प्रतिधारित उपार्जन	31.03.2015तक	31.03.2015को	31.03.2014को
_	पट्टाधारित भूमि											
	क. खनन हेतु धारित	61.11	1	'	61.11	53.79	4.11	1	1	57.90	3.21	7.32
	쪕. अन	3.80	ı	1	3.80	1.11	0.03	1	1	1.14	2.66	2.69
2	फ्रीहोल्ड भूमि											
	क. खनन हेतू धारित	6,900.71	289.11	'	7,189.82	1,937.09	71.54	'	1	2,008.63	5,181.19	4,963.62
	ख. अन्य	416.74	19.31	'	436.05	1	1	1	1	ı	436.05	416.74
က	सेतु, पूलियों, बन्डर्स	3.98	1	1	3.98	1.65	1.14	1	1	2.79	1.19	2.33
4	सड़कें	455.19	1.47	'	456.66	103.65	47.14	1.35	246.14	395.58	61.08	351.54
2	भवन	6,394.32	208.15	'	6,602.47	3,856.85	196.18	(1.35)	220.69	4,275.07	2,327.40	2,537.47
9	प्लांट एवं मशीनरी	27,765.42	758.11	158.17	28,365.36	22,149.20	1,259.38	145.26	81.70	23,345.02	5,020.34	5,616.22
7	फर्नींचर एवं जुड़नार	637.06	33.67	0.73	670.00	447.24	42.29	0.81	38.93	527.65	142.35	189.82
80	मोटर वाहन	406.19	'	0.07	406.12	294.45	36.57	0.07	5.74	336.69	69.43	111.74
6	रेलवे साइडिंग	436.15	1	'	436.15	436.15	1	1	1	436.15	1	ı
10	कार्यालय उपकरण	555.48	64.25	6.12	613.61	352.40	52.62	5.99	87.78	486.81	126.80	203.08
=	कंष्ट्रर एवं डाटा प्रोसेसिंग	471.70	93.01	11.09	553.62	399.78	52.28	10.67	4.60	445.99	107.63	71.92
12	प्रयोगशाला, औषधालय एवं											
	अ एवं वि उपकरण	1,443.66	52.74	0.50	1,495.90	987.02	158.24	0.51	194.17	1,338.92	156.98	456.64
13	विद्यत प्रतिष्ठापन एरां उपकरण	2,644.18	170.45	1.05	2,813.58	2,155.19	99.08	1.06	106.98	2,360.19	453.39	488.99
	कुल योग	48,595.89	1,690.27	177.73	50,108.23	33,175.57	2,020.60	164.37	986.73	36,018.53	14,089.70	15,420.13
	मिछले वर्ष	47,165.60	1,603.78	173.69	48,595.69	31,521.72	1,820.29	166.44	1	33,175.57	15,420.12	

कंपूटर साफ्टवेयर के संबंधित शीर्ष को कंपूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग का प्रारंभिक कुल ब्लॉक एवं प्रारंभिक मूल्य हास से 3.53 लाख स्थानांतरित किया गया । अमूर्त

- 1								1
रु. लाख में	शुद्ध ब्लॉक	31.03.2014 को	32.75	584.34	5.62	622.71	1	
	'on√	[31.03.2015तक 31.03.2015को	29.07	453.85	3.88	486.80	622.71	
		31.03.2015तक	47.04	533.36	09'9	587.00	451.09	
	मूल्य हास	म कटौतियाँ	-	'	1	•	1	
	Ħ.	वर्ष में उपलब्ध व	3.68	130.49	1.74	135.91	97.74	
		कटौती 31.03.2015 को 01.04.2014 तक वर्ष में उपलब्ध	43.36	402.87	4.86	451.09	353.35	/#
ś		31.03.2015 को	76.11	987.21	10.48	1,073.80	1,073.80	
	윎	कटौती	1	•	•	•	1	
,	पर सकल ब्लॉक	योग	-	•	•	•	5.39	
	लागत पर स	01.04.2014 को	76.11	987.21	10.48	1,073.80	1,068.41	
· ú								
		विवरण	खनन पट्टा	प्रतिपूरक वनरोपण प्रभार	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर	कुल योग	मिछले वर्ष	
अमूर्त		क्र.सं.	_	7	က			
								-

12,525.73 10,537.05 1,081.55 974.95 2,452.02 2,963.63 10,537.05 9,166.58 प्ंजीगत कार्य प्रगति पर

पिछले वर्ष

INDIAN RARE EARTHS LIMITED

(₹ in lakh)



584.34 5.62

622.71

32.75

₹ in lakh

NOTE -9A FIXED ASSETS TANGIBLE

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

			GROSS BLC	BLOCK AT COST			DEPRE	DEPRECIATION			NET BLOCK	CK
S.	PARTICULARS	As on	ADDITION	DEDUCTION	AS AT	UP TO	PROVIDED	PROVIDED DEDUCTIONS	RETAINED	UP TO	AS AT	AS AT
Š.		01.04.2014			31.03.2015	01.04.2014	DURING THE YEAR		EARNING	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
_	Lease hold land											
	a. Held for mining	61.11			61.11	53.79	4.11	•	1	57.90	3.21	7.32
	b. Others	3.80			3.80	1.11	0.03	•	1	1.14	2.66	2.69
2.	Free hold land				•	•				•	•	•
	a. Held for mining	6,900.71	289.11		7,189.82	1,937.09	71.54	•	1	2,008.63	5,181.19	4,963.62
	b. Others	416.74	19.31		436.05	-	-		1	•	436.05	416.74
ა.	Bridges, Culverts/bunders	3.98	-	-	3.98	1.65	1.14	-	-	2.79	1.19	2.33
4	Roads	455.19	1.47		456.66	103.65	47.14	1.35	246.14	395.58	61.08	351.54
5.	Buildings	6,394.32	208.15	•	6,602.47	3,856.85	196.18	(1.35)	220.69	4,275.07	2,327.40	2,537.47
9	Plant and Machinery	27,765.42	758.11	158.17	28,365.36	22,149.20	1,259.38	145.26	81.70	23,345.02	5,020.34	5,616.22
7.	Furniture & Fixtures	637.06	33.67	0.73	670.00	447.24	42.29	0.81	38.93	527.65	142.35	189.82
∞.	Motor Vehicles	406.19	-	0.07	406.12	294.45	36.57	0.07	5.74	336.69	69.43	111.74
6	Railway Siding	436.15	•		436.15	436.15	-	•		436.15	•	•
10.	Office equipment	555.48	64.25	6.12	613.61	352.40	52.62	2.99	87.78	486.81	126.80	203.08
11.	Computers and Data											
	processing	471.70	93.01	11.09	553.62	399.78	52.28	10.67	4.60	445.99	107.63	71.92
12.	Laboratory, Dispensary											
	and R &D equipments	1,443.66	52.74	0.50	1,495.90	987.02	158.24	0.51	194.17	1,338.92	156.98	456.64
13.	Electrical installations											
	& equipments	2,644.18	170.45	1.05	2,813.58	2,155.19	80.66	1.06	106.98	2,360.19	453.39	488.99
	GRAND TOTAL	48,595.69	1,690.27	177.73	50,108.23	33,175.57	2,020.60	164.37	986.73	36,018.53	14,089.70	15,420.12
	Previous year	47,165.60	1,603.78	173.69	48,595.69	31,521.72	1,820.29	166.44	1	33,175.57	15,420.12	

^{₹ 3.53} lakh is transferred from the opening gross block and opening depreciation of Computer and data processing to the respective head of Computer software

BE
픙
Ā
Ė
=

<u>≅</u> 8

AS AT AS AT 31.03.2014 29.07 3.88 3.88 486.80 622.71 UP TO 31.03.2015 47.04 533.36 6.60 587.00 451.09 PROVIDED DEDUCTIONS DURING DEPRECIATION 3.68 130.49 135.91 97.74 THE YEAR UP TO 01.04.2014 402.87 4.86 **451.09** 353.35 43.36 AS AT 31.03.2015 1,073.80 1,073.80 987.21 10.48 76.11 GROSS BLOCK AT COST DEDUCTION ADDITION 5.39 As on 01.04.2014 76.11 987.21 10.48 1,073.80 1,068.41 Compensatory afforestation charges Computer software Total **PARTICULARS** Previous Year Mining lease

				V III IAKII
CAPITAL WORK IN PROGRESS 10	10537.05	2963.63	974.95	12,525.73
Previous year	9166.58	2452.02	1081.55	10,537.05

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-9ख - अचल परिसंपत्तियों पर नोट्स

1. पट्टे वाली भूमि

- क) इसमे ऑसकॉम साइट में 21.832 एकड़ (पिछले वर्ष 21.832 एकड़) भूमि शामिल नहीं है जिसका कब्जा कंपनी द्वारा ले लिया गया है तथा मुआवजा राशि निश्चित नहीं हुई है और पट्टेवाली भूमि अधिकारों के अंतरण हेतु औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।
- ख) द्वितीय चरण के अंतर्गत ओड़िशा सरकार से कंपनी द्वारा ओड़िशा में अधिगृहित 244.436 एकड़ (पिछले वर्ष 244.436 एकड़) भूमि शामिल है । रु. 118.86 लाख के प्रीमियम पर 475.436 एकड़ भूमि को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.12.1992 के आदेश द्वारा कंपनी के नाम हस्तांतरित किया गया था । राजस्व प्राधिकारियों को दिनांक 12.04.2002 के बाद पता चला कि इस भूमि का हस्तांतरण अनियमित एवं प्रारंभ से अमान्य था तथा उन्होंने तहसीलदार के पिछले आदेश को रद्द कर दिया । 475.436 एकड़ भूमि में से 231 एकड़ खनन की जा चुकी भूमि दिनांक 22.04.2002 के जिलाधिकारी आदेश के माध्यम से ओड़िशा सरकार द्वारा ले ली गई थी । कंपनी ने ओड़िशा सरकार से उपर्युक्त राशि (रु. 118.86 लाख) की वापसी की मांग की है या वैकल्पिक रुप से खनन के लिए समकक्ष जमीन के आबंटन की मांग की है ।

2. पूर्ण स्वामित्व भूमि

- क) इसमें आलवे में केरल सरकार से नि :शूल्क प्राप्त लगभग 24.26 एकड़ भूमि के लिए रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 1/-) सम्मिलित है ।
- ख) इसमें केरल में चवरा में 9.43 एकड़ (पिछले वर्ष 9.43 एकड़) भूमि सम्मिलित है जिसे उन भूस्वामियों को नि :शुल्क दी जाएगी जिनसे कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर के भूमि अधिगृहीत की गई है ।
- ग) इसमें विशेष तहसीलदार (एलए), केएमएमएल, चवरा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार चवरा यूनिट द्वारा अधिगृहित भूमि के लिए बढ़ाए गए मुआवजे के लिए रु. 0.31 लाख (पिछले वर्ष 0.31 लाख) की जमा की गई राशि सम्मिलित है ।
- घ) इसमें 1964 में रे.अ. प्रभाग को सौंपी गई 4.75 एकड़ (पिछले वर्ष 4.75 एकड़) की पट्टी भूमि सम्मिलित है जिसे केरल सरकार द्वारा वापस लेने का आदेश जारी किया गया है । कंपनी ने उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए केरल सरकार से संपर्क किया है ।
- ड) इसमें रु. 1000 प्रतिवर्ष के नाममात्र के पट्टा किराए पर बस स्टैंड के निर्माण के लिए विलेख की तिथि अर्थात 11.08.2006 से 30 वर्षों की अविध के लिए तिमलनाडु सरकार को पट्टे पर दी गई कन्याकुमारी जिले में मनवलाकुरिची गांव में स्थित लगभग 75.37 सेंट्स (पिछले वर्ष लगभग 75.37 सेंट्स) भूमि सम्मिलित है ।
- च) इसमे एनके ब्लॉक VI अलप्पडु क्षेत्र एवं एनके ब्लॉक II करीतुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनिधकृत रूप से कब्जा की गई समेकित रूप से लगभग 130 सेंट (पिछले वर्ष 130 सेंट्स) भूमि सम्मिलित है, कंपनी से ऐसे अनिधकृत कब्जों को हटाने के लिए विधिक उपाय किए हैं I

भवन

- क) इसमें मुंबई के आवासीय तथा अन्य भवनों की लागत शामिल है जिसका कब्जा रु. 53.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 53.43 लाख) का भुगतान करने पर कंपनी को सौंपा गया था जिसका कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण/अंतरण प्रलेखों का निष्पादन लंबित है ।
- ख) इसमें विभिन्न को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों में रु. 0.02 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.02 लाख) के शेअर शामिल है । कंपनी द्वारा रु. 50/- प्रत्येक की लागत पर 35 शेअर धारित किए गए हैं।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

Note 9B - Notes on fixed assets

1. Lease hold land

- a) Excludes 21.832 acres (previous year 21.832 acres) of land at Orissa Sands Complex (OSCOM) site, possession of which has been taken over by the Company, but the compensation amount is not decided and formalities for transfer of lease hold land rights have not been completed.
- b) Includes 244.436 acres (previous year 244.436 acres) of land in Odisha acquired by the Company from the Government of Odisha on lease under second phase. The 475.436 acres of land was transferred at a premium of ₹ 118.86 lakhs by the then Tahsildar to the Company's name by an order dated 30-12-1992. The Revenue authorities had since on 12/04/2002 observed that the transfer of this land was irregular & void ab-initio and have quashed the earlier order of Tahsildar. Out of 475.436 acres of land, 231 acres of mined out land had been taken over by the Government of Odisha vide collector order dated 22-04-2002. The Company has sought refund of aforesaid amount (₹ 118.86 lakhs) from the Govt. of Odisha or alternatively to allot equivalent land for mining purpose.

2. Free hold land

- a) Includes ₹ 1/- (previuos year ₹ 1/-) towards approx. 24.26 acres land received free of cost from the Government of Kerala at Alwaye.
- b) Includes 9.43 acres (previous year 9.43 acres) of land at Chavara in Kerala agreed to be given free of cost to the landlords from whom land is acquired on completion of certain formalities.
- c) Includes ₹ 0.31 lakhs (previous year ₹ 0.31 lakhs) deposited as directed by the special Tahasildar (LA), KMML, Chavara towards enhanced compensation for the land acquired by Chavara Unit.
- d) Includes a patta land of 4.75 acres (previous year 4.75 acres) assigned to R E Division in the year 1964 has been ordered to be resumed back by the Government of Kerela. The Company has approached the Kerala Government for cancellation of the said order.
- e) Includes Approx. 75.37 cents (previous year approx. 75.37 cents) of land situated at Manavalakurichi Village in Kanyakumari District given on lease to the Govt. of Tamil Nadu for a period of 30 years from the date of deed i.e. 11.08.2006 for the construction of bus stand on a nominal lease rent of ₹1000 p.a.
- f) Includes Approx. 130 cents (previous year 130 cents) of land in aggregate situated at NK Block VI Alappadu area & NK Block II Karithura area encroached by some persons, the Company has taken legal recourse to clear such encroachment.

3. <u>Buildings</u>

- a) Includes cost of residential and other buildings at Mumbai the possession of which was handed over to the Company on payment of ₹ 53.43 lakhs (previous year ₹ 53.43 lakhs) and for which execution of conveyance/transfer documents in favor of the Company is pending.
- b) Includes shares of ₹ 0.02 lakhs (previous year ₹ 0.02 lakhs) in various Co-Operative Housing Societies.Number of the shares held by the Company are 35 at a cost of ₹ 50 each.

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

- ग) इसमें रु. 80.15 लाख (पिछले वर्ष रु. 80.15 लाख) की लागत का आईजीसीएआर, कलपक्कम स्थित गोदाम शामिल नहीं है, क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।
- घ) इसमें एमके और ऑसकॉम स्थित मोनाजाइट गोदाम/ट्रेन्चों के लिए प्रतिधारित राशि रु. 5/- (पिछले वर्ष रु. 5/-) शामिल है जिसकी लागत भारत सरकार से प्राप्त रु. 73.76 लाख (पिछले वर्ष रु. 73.76 लाख) की निधि से वहन की गई है ।
- ड) इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग स्थित थोरियम सिलों के लिए प्रतिधआरित राशि रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 1/-) शामिल है जिसकी लागत भारत सरकार से प्राप्त रु. 122.33 लाख (पिछले वर्ष रु. 122.33 लाख) की निधि से वहन की गई है ।
- च) इसमें मनवलाकुरिची यूनिट में स्थित आवासीय संकुल के रु. 132.09 लाख (पिछले वर्ष रु. 132.09 लाख) की कुल लागत शामिल है जिसका निर्माण विभिन्न प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति लिए बिना निषेधित क्षेत्र में किया गया है ।
- छ) इसमें रु. 162.06 लाख (पिछले वर्ष रु. 162.06 लाख) की लागत की इमारतें शामिल हैं जो श्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं जिसका मूल्य संपूर्ण के रुप में रु. 7/- (पिछले वर्ष रु. 7/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।
- ज) इसमें कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दी गई पट्टाधारित जमीन पर रु. 3.07 लाख (पिछले वर्ष 3.07 लाख) की लागत से निर्मित वेलिंगटन गोदाम की लागत शामिल है । कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 28.10.2014 को भूमि पुनर्ग्रहण के लिए एक पत्र भेज दिया है। इस संबंध में कंपनी ने पत्र भेज दिया एवं अब तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
- झ) इसमें ओड़िशा सरकार द्वारा दी गई पट्टाधारित भूमि पर निर्मित भुवनेश्वर कोऑडिशन सेंटर की रु. 21.36 लाख (पिछले वर्ष रु. 21.36 लाख) की लागत सम्मिलित है ।
- ञ) इसमें आंशिक रुप से पट्टाधारित भूमि पर निर्मित ऑसकॉम हाउसिंग कॉलोनी की रु. 346.63 लाख (पिछले वर्ष रु. 346.63 लाख) की लागत शामिल है ।
- ट) इसमें रु. 10.78 लाख (पिछले वर्ष रु. 10.78 लाख) की लागत पर निर्मित ट्रेंचों के लिए धारित धनराशि रु.2/- (पिछले वर्ष रु.2/-) सम्मिलित है जिसे भारत सरकार से प्राप्त निधियों से वहन किया गया है।
- ठ) इसमें कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय भवन के सुधार की रु. 26.07 लाख (पिछले वर्ष रु. 26.07 लाख) की लागत सम्मिलित है, उक्त भवन को रु. 1069.20 लाख की गैर-ब्याज वहनीय डिपाजिट धनराशि एवं रु. 1000/- प्रतिवर्ष के पट्टा भाड़े पर 20 वर्ष की अविध के लिए मेसर्स ईसीआईएल, डीएई के अधीन एक पीएसयू, भारत सरकार से पट्टे पर लिया गया है ।

4. सड़कें

इसमें रु. 2.98 लाख (पिछले वर्ष रु. 2.98 लाख) की सड़कों की लागत शामिल है जो कि थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं जिसका मूल्य रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 1/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

5. संयंत्र, मशीनरी एवं विद्युत उपकरण

इसमें रु. 743.92 लाख (पिछले वर्ष रु. 743.92 लाख) की लागत के प्लांट एवं मशीनरी शामिल है जो थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं संपूर्ण लागत के रुप में जिसका मूल्य रु.126/- (पिछले वर्ष रु. 126/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

- c) Excludes Godown at IGCAR, Kalpakam costing ₹ 80.15 lakhs (Previous year ₹ 80.15 lakhs), the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- d) Includes ₹ 5/- (Previous year ₹ 5/-) being amount retained towards Monazite godown / trenches at MK and OSCOM, the cost of which is met out of funds received from Government of India ₹ 73.76 lakhs (Previous year ₹ 73.76 lakhs).
- e) Includes ₹ 1/- (Previous year ₹` 1/-) being amount retained towards thorium silo at R.E.Division, the cost of which is met out of funds received from the Government of India ₹ 122.33 lakhs (Previous year ₹ 122.33 lakhs).
- f) Includes cost of ₹ 132.09 lakhs (Previous year ₹ 132.09 lakhs) being value of the housing complex at Manavalakurichi unit which has been constructed in a prohibited area without the required permission from various authorities.
- g) Includes building costing ₹ 162.06 lakhs (Previous year ₹ 162.06 lakhs) being value of THRUST project and valued at ₹ 7/- (Previous year ₹ 7/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- h) Includes cost of Wellington godown amounting to ₹ 3.07 lakhs (previous year ₹ 3.07 lakhs) constructed on leasehold land provided by the Cochin Port Trust. The Cochin Port Trust have sent a letter on 28.10.2014 for resumption of land. The Company has sent letter in this regard and till date no final decision has been taken in this regard.
- I) Includes cost of Bhubaneshwar co-ordination centre amounting to ₹21.36 lakhs (previous year ₹21.36 lakhs) constructed on leasehold land provided by Government of Odisha.
- j) Includes cost of OSCOM housing colony amounting to ₹ 346.63 lakhs (previous year ₹ 346.63 lakhs) constructed partly on leasehold land.
- k) Includes ₹ 2 /- (previous year ₹ 2) being the amount retained towards trenches constructed at a cost of ₹ 10.78 lakhs (previous year ₹ 10.78 lakhs) which is met out of the funds received from the Government of India.
- I) Includes cost of improvement of the Registered Office building of the Company amounting to ₹ 26.07 lakhs (previous year ₹ 26.07 lakhs) which is taken on lease from M/s ECIL, a PSU under DAE, Govt. of India for a period of 20 years against a total non-interest bearing deposit amounting to ₹ 1069.20 lakhs alongwith a lease rent of ₹ 1000 p.a.

4. Roads

Includes roads costing ₹ 2.98 lakhs (Previous year ₹` 2.98 lakhs) being the value of THRUST project valued at ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

5. Plant and Machinery

Includes Plant and Machinery costing ₹743.92 lakhs (Previous year ₹743.92 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹126/- (Previous year ₹126/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तिय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

6. विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण

इसमें रु. 37.73 लाख (पिछले वर्ष रु. 37.73 लाख) की लागत के विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरणें शामिल है जो थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं जिसका मूल्य रु. 10/- (पिछले वर्ष रु. 10/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

7. प्रयोगशाला, औषधालय एवं अनुसंधान एवं विकास उपकरण

इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग में स्थापित प्रयोगशाला उपकरणों की लागत रु. 132.87 लाख (पिछले वर्ष 126.65 लाख) शामिल है, एवं जिसका मुल्य रु. 107/- (पिछले वर्ष रु. 106/-) है क्योंकि उसकी पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

8. फर्नीचर एवं जुड़नार

इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग में फर्नीचर की लागत रु. 0.15 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.15 लाख) की लागत शामिल है एवं जिसका मूल्य रु. 3/- (पिछले वर्ष रु. 3/- है) क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

9. कम्प्यूटर्स और डाटा प्रोसेसिंग

इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग, ऑसकॉम एवं एमके में स्थित कंप्यूटर शामिल है जिनकी लागत रु. 1.05 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.54 लाख) तथा जिसका मूल्यांकन रु. 3/- (पिछले वर्ष रु. 2/-) पर किया गया है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

6. <u>Electrical Installation & Equipments</u>

Includes Electrical Installation and Equipments costing ₹37.73 lakhs (Previous year ₹37.73 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹10/- (Previous year ₹10/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

7. <u>Laboratory, Dispensary and R&D Equipments</u>

Includes laboratory equipment costing ₹ 132.87 lakhs (Previous year ₹ 126.65 lakhs) installed in R.E. Division and valued at ₹ 107 (Previous year ₹ 106) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

8. <u>Furniture and Fixtures</u>

Includes furniture costing $\stackrel{?}{_{\sim}} 0.15$ lakhs (Previous year $\stackrel{?}{_{\sim}} 0.15$ lakhs) at R.E. Division and valued at $\stackrel{?}{_{\sim}} 3$ /- (Previous year $\stackrel{?}{_{\sim}} 3$ /-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

9. Computers and data Processing

Includes computers costing ₹ 1.05 lakhs (Previous year ₹ 0.54 lakhs) at R.E.Division, OSCOM, and MK valued at ₹ 3- (Previous year ₹ 2/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		रः लाख ग
	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
नोट-10 गैर वर्तमान निवेश		
लागत पर अन्य गैर वर्तमान निवेश		
(i) रु. 100/- प्रत्येक के 833 शेअर (पिछले वर्ष 833 शेअर), आईआरई कर्मचारी ग्राहक सहकारी भंडार लि., एल्लूर को पूर्णत: प्रदत्त	0.83	0.83
(ii) रु. 10/- प्रत्येक के 1094 शेअर (पिछले वर्ष 1094 शेअर), आईआरई कर्मचारी ग्राहक सहकारी भंडार लि., मनवलाकुरिची को पूर्णत : प्रदत्त	0.11	0.11
(iii) रू. 10/- प्रत्येक के 200 शेअर (पिछले वर्ष 200 शेअर) आईआरई एम्लाइज थ्रस्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लि., मनवलाकुरिची को पूर्णत: प्रदत्त	0.02	0.02
(iv) रु. 10/- प्रत्येक के 4550 'बी' क्लास शेअर (पिछले वर्ष 4550 'बी' क्लास शेयर)आईआरई कर्मचारी ग्राहक सहकारी भंडार लि., चवरा को पूर्णत : प्रदत्त	0.46	0.46
गैर वर्तमान निवेश का कुल योग	1.42	1.42
निवेश गैरट्रेड एवं उदधृत नहीं हैं।		
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
नोट-11 आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	5,580.08	4,667.20
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	5,580.08	4,667.20
डीटीए एंड डीटीएल के विवरण के लिए नोट 11 क देखें		





Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

		₹ in lakh
	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
NON-CURRENT INVESTMENT		
Other non-current investments at cost		
(i) 833 shares (previous year 833 shares) of ₹ 100 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Eloor	0.83	0.83
 (ii) 1,094 shares (previous year 1094 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Manavalakurichi 	0.11	0.11
(iii) 200 shares (previous year 200 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Thrift and Credit Society Ltd., Manavalakurichi	0.02	0.02
iv) 4,550 'B' class shares (previous year 4,550 'B' class shares) of ₹ 10/- each fully paid of IRE Employees' Consumer Co-operative stores Ltd, Chavara	0.46	0.46
Total of Non-Current Investment	1.42	1.42
Investments are non-trade and unquoted.		
ENT ASSETS		
DEFERRED TAX ASSET (NET)	5,580.08	4,667.20
DEFERRED TAX ASSET (NET)	5,580.08	4,667.20
11 A for details of DTA and DTL		
	Other non-current investments at cost (i) 833 shares (previous year 833 shares) of ₹ 100 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Eloor (ii) 1,094 shares (previous year 1094 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Manavalakurichi (iii) 200 shares (previous year 200 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Thrift and Credit Society Ltd., Manavalakurichi iv) 4,550 'B' class shares (previous year 4,550 'B' class shares) of ₹ 10/- each fully paid of IRE Employees' Consumer Co-operative stores Ltd, Chavara Total of Non-Current Investment Investments are non-trade and unquoted. ENT ASSETS DEFERRED TAX ASSET (NET) DEFERRED TAX ASSET (NET)	NON-CURRENT INVESTMENT Other non-current investments at cost (i) 833 shares (previous year 833 shares) of ₹ 100 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Eloor (ii) 1,094 shares (previous year 1094 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Manavalakurichi (iii) 200 shares (previous year 200 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Thrift and Credit Society Ltd., Manavalakurichi iv) 4,550 'B' class shares (previous year 4,550 'B' class shares) of ₹ 10/- each fully paid of IRE Employees' Consumer Co-operative stores Ltd, Chavara Total of Non-Current Investment Investments are non-trade and unquoted. ENT ASSETS DEFERRED TAX ASSET (NET) 5,580.08

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

· · · · · ·		\sim \sim \sim	• > > >	. 0 0 0	C C 3
नोट सं. 11 कः	आस्थागत कर	पारसपात्तया	एव दयताआ म	ानम्नालाखत	' साम्मालत ह : ।

		01.04.2014	वर्तमान वर्ष	31.03.2015
क्र.सं.	विवरण	को आदि शेष	2014-15	को अंत शेष
क)	क) आस्थगित कर देयताएं			
	1 पुस्तक एवं कर मूल्यहास के बीच अंतर	1,128.76	(895.47)	233.29
	कुलयोग-क	1,128.76	(895.47)	233.29
ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ 1 धारा 43 ख के तहत नामंजूरियाँ समयांतरों के रुप में मंजूरी योग्य	3,758.34	(527.20)	3,231.14
	2 संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	79.92	(4.54)	75.38
	3 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	1,607.74	172.65	1780.39
	4 अन्य समयांतर	349.96	376.50	726.46
	कुल - ख	5,795.96	17.41	5,813.37
ग)	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	4,667.20	912.88	5,580.08

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के के ब्लॉक से प्रतिधारित अर्जन (नोट 37 देखें) में अंतरित रु. 906.73 लाख की धनराशि पर रु. 341.49 लाख का कर प्रभाव प्रतिधारित अर्जन में इस प्रकार अंतरित धनराशि से शुद्ध हो गया है तथा आरंभिक आस्थगित कर देयताओं से कम कर दिया गया है।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

Note no 11 A: Deferred tax assets and liabilities comprise of following:

SI. No	Particulars	Opening balance as at 01.04.2014	Current year 2014-15	Closing balance as at 31.03.2015
A)	A) Deferred Tax Liability			
	1 Difference between book and	1,128.76	(895.47)	233.29
	tax depreciation Total-A	1,128.76	(895.47)	233.29
B)	Deferred Tax Assets			
	Disallowance U/s 43B allowable as timing difference	3,758.34	(527.20)	3,231.14
	2 Provision for Doubtful debts and advances	79.92	(4.54)	75.38
	3 Post Retirement Medical Scheme	1,607.74	172.65	1,780.39
	4 Other timing difference	349.96	376.50	726.46
	Total-B	5,795.96	17.41	5,813.37
C)	Net Deferred Tax	4,667.20	912.88	5,580.08

The tax impact of ₹ 341.49 lakh on the amount of ₹ 986.73 lakh transferred from the block of fixed assets to retained earning (ref Note 37) as per provisions of Companies Act 2013 has been net off from the amount so transferred to the retained earning, and has been reduced from the opening deferred tax liabilities

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु लाख में

			रु. लाख म
		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
गैर वर्तमान पा	रेसंपत्तियाँ		
नोट-12	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम		
क)	पूंजीगत अग्रिम		
,	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	_	_
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	63.54	55.65
	iii) संदिग्ध माने गए	6.67	6.67
ख)	सुरक्षा जमा		
,	ं) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	1,768.52	1,611.77
	iii) संदिग्ध माने गए	60.37	47.42
ग)	अन्य ऋण एवं अग्रिम-कर्मचारी #		
,	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	1,642.42	1,821.64
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	283.74	370.70
	iii) संदिंग्ध माने गए	-	-
ਬ)	अन्य ऋण एवं अग्रिम-नकद अथवा अन्य किसी प्रकार अथवा प्राप्त होने		
	वाले मूल्य के रुप में वसूली योग्य अग्रिम		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	36.09	1,268.80
	iii) संदि ^{ग्} ध माने गए	107.82	137.56
ङ)	कर का अग्रिम भुगतान		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए (शुद्ध)##	3,602.65	3,951.9
	iii) संदिग्ध माने गए	-	,
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिमों का कुलयोग	7,571.82	9,272.12
घट	ाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान	174.86	191.65
	दीर्घकालीक ऋण एवं अग्रिम (शुद्ध)	7,396.96	9,080.47
# 5	कंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों से बकाया नीचे इंगित है		
	सुरक्षित	-	1.23
	असुरक्षित	-	
##	‡ नोट सं. 30 देखें		





Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

NON-CURRENT ASSETS	₹ in lakh				
A Capital advances i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Unsecured doubtful Total of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured - 1.23					
a) Capital advances i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful b) Security Deposits i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful c) Other loans and advances-employees# i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful d) Other loans and advances-advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful d) Other loans and advances-advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful 7 otal of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured - 1.23	NON-CUI	RRE	NT ASSETS		
i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful b) Security Deposits i) Secured considered good ii) Unsecured considered good ii) Unsecured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful c) Other loans and advances-employees# i) Secured considered good ii) Unsecured considered good ii) Unsecured considered good iii) Unsecured doubtful d) Other loans and advances-advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful d) Other loans and Advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful Total of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured - 1.23	Note 12		LONG TERM LOANS AND ADVANCES		
i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful c) Other loans and advances-employees# i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful d) Other loans and advances-advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful e) Advance payment of tax i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful Total of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured 1,768.52 1,611.77 60,37 47.42 1,821.64 283.74 370.70 1,642.42 1,8		a)	i) Secured considered goodii) Unsecured considered good	l .	
ii) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful d) Other loans and advances-advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful e) Advance payment of tax i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful 7 Advance payment of tax i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful 7 Advance payment of tax i) Secured considered good iii) Unsecured considered good iii) Total of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured 1 1,642.42 1,821.64 370.70 1,821.64 370.70 1,821.64 370.70		b)	i) Secured considered goodii) Unsecured considered good	_	
recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful e) Advance payment of tax i) Secured considered good ii) Unsecured considered good ii) Unsecured considered good ii) Unsecured doubtful 7 total of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured - 1.23 Unsecured 1.23 Unsecured		c)	i) Secured considered goodii) Unsecured considered good		
i) Secured considered good ii) Unsecured considered good (net) ## iii) Considered doubtful Total of Long Term Loans and Advances Less: Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured 3,602.65 3,951.91 3,951.91 3,602.65 7,571.82 9,272.12 174.86 191.65		d)	recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good ii) Unsecured considered good		
Less : Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured 174.86 191.65 7,396.96 9,080.47		e)	i) Secured considered goodii) Unsecured considered good (net) ##	3,602.65	3,951.91
Less : Provision for Doubtful debts and Advances Long Term Loans and Advances (Net) # Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured 174.86 191.65 7,396.96 9,080.47		Tot	tal of Long Term Loans and Advances	7,571.82	9,272.12
# Due from Directors' and officers of the company is indicated below Secured Unsecured - 1.23			_		
is indicated below Secured Unsecured - 1.23		Lo	ng Term Loans and Advances (Net)	7,396.96	9,080.47
## Refer Note No. 30			ndicated below Secured	-	1.23
	## Refer	Note	No. 30		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु लाख में

			रु. लाख म
		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-13 अ	मन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
7	क) दीर्घकालिक प्राप्य ट्रेड		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	_
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	iii) संदिग्ध माने गए	3.32	2.65
;	ख) प्राप्य दावे		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	іі) असुरक्षित शोध्य माने गए	_	_
	iii) संदिग्ध माने गए	18.23	36.93
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों का कुलयोग	21.55	39.58
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	21.55	39.58
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	-
	गैर वर्तमान परिसंपत्तयों का कुलयोग	40,737.00	40,740.38
वर्तमान परि	संपत्तियाँ		
नोट-14	वस्तुसूचियाँ		
	(क) कच्ची सामग्री	970.20	818.90
	(ख) कार्य प्रगति पर	1,088.82	378.57
	(ग) तैयार माल	8,457.12	10,068.91
	(घ) भंडार एवं पुर्जे #	2,906.60	2,556.24
	(ङ) खुले औजार	4.62	2.35
	(च) अन्य - आगे के संसाधन के लिए माध्यमिक उत्पाद	45.65	34.32
	वस्तु सूचियों का कुलयोग	13,473.01	13,859.29

रु. 352.08 लाख का परीक्षण अविध के दौरान उत्पादन सिम्मिलित है । (पिछले वर्ष रु. 109.53 लाख)

1. निम्नलिखित से संबंधित मार्गस्थ माल सहित वस्तुसूचियाँ

- कच्ची सामग्री

0.89

04.00

- भंडार एवं पुर्जे

185.19

94.30

- 2. आगे के संसाधन के लिए माध्यिमक उत्पादों में चालू वर्ष में वर्ग के तहत लाई गई मोनाजाइट की रु. 31.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है तथा यह प्रभाव पूर्व अविध के तहत दिया गया है। इसके अतिरिक्त भडांर से रु.1.80 लाख की धनराशि इस वर्ग में अंतरित की गई है।
- 3. मूल्यांकन का तरीका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियो के नोट सं. 1 के क्र.सं. 1.7 में दिया गया है ।
- 4. तैयार माल में जॉब कार्य से संबंधित के एमएमएल संव्यवहार के संबंध में रु. 18.85 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- 5. भंडार एवं पुर्जी की वस्तुसूची में 1988-89 एवं 1990-91 में प्राप्त 101.440 किय़ा. चांदी (पिछले वर्ष 101.440 किय़ा.) सिम्मिलत है । चूंकि चांदी के अवशेष पर कोई प्रभार नहीं लगाया गया था और बीएआरसी को कोई प्रभार नहीं दिया गया था, अत : उक्त वस्तुसूची को काल्पिनिक रूप से रु. 1/- पर मूल्यांकन किया गया है (पिछले वर्ष रु. 1/-)।



Fin Jalch

94.30

185.19

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh			
		As at	As at
		31st March, 2015	31st March, 2014
NOTE 13	OTHER NON-CURRENT ASSETS		
	 a) Long term trade receivables i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful 	- - 3.32	2.65
	b) Claims Receivable i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	- - 18.23	- - 36.93
	Total of Other Non- Current Assets	21.55	39.58
	Less: Provision for doubtful debts	21.55	39.58
	Other Non- Current Assets (Net) -	
	TOTAL OF NON-CURRENT ASSETS	40,737.00	40,740.38
CURREN ⁻	T ASSETS		
NOTE 14	INVENTORIES		
	 (a) Raw material (b) Work -in -progress (c) Finished goods (d) Stores and spares# (e) Loose tools (f) Others- Intermediate products for further processing 	970.20 1,088.82 8,457.12 2,906.60 4.62	818.90 378.57 10,068.91 2,556.24 2.35
	Total of Inventories	13,473.01	13,859.29
₹ 109.53 l	₹ 352.08 lakhs trial run production. (Previous year	,	10,000.20
		405.40	04.06

- 2. Intermediate products for further processing includes an amount of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$ 31.91 lakh of Monazite brought under the category during the current year and the effect is given under prior period. Further an amount of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$ 1.80 lakh is transferred to this category from stores.
- 3. Mode of valuation is stated in SI no 1.7 of Note no 1 of Significant accounting policies.

- Stores & spares

- 4. Finished Goods includes an amount of ₹ 18.85 lakh pertaining to KMML transaction related to job work
- 5. Inventory of stores and spares includes 101.440 kg of silver (Previous year 101.440 kg) recovered during 1988-89 and 1990-91. Since no cost was allocated to silver residue and no charges were paid to BARC, the said inventory has notionally been valued at ₹1/-. (Previous year ₹1)

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख र

573.13 - 814.22 1,279.83	- 3.31 -
814.22	- 3.31 -
	-
	521.14 -
2,667.18	524.45
-	-
2,667.18	524.45
1,710.67	1,320.78
1,710.67	1,320.78
3,000.00 - 3.95	- - 3.27
2,500.00 1,800.00 31,431.40 111.76	2,500.00 10,576.00 30,899.52 110.57
40,557.78	45,410.14
	1,710.67 3,000.00 - 3.95 2,500.00 1,800.00 31,431.40 111.76

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

				₹ in lakh
			As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
CURRENT	ΓAS:	SETS		
NOTE 15	TRA	ADE RECEIVABLES		
	(a)	Debts outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) considered doubtful	- 573.13 -	- 3.31 -
	(b)	Other debts i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) considered doubtful	814.22 1,279.83	521.14 -
		Total of Trade Recievable Less: Provision for doubtful debts	2,667.18	524.45
		Trade Receivable (Net)	2,667.18	524.45
CURRENT		SETS SH AND BANK BALANCES		
	a)	Cash and cash equivalents i) Balance in current account with banks ii) Bank deposits: 1) less than three months iii) Cheques, drafts on hand iv) Cash on hand	1,710.67 3,000.00 - 3.95	1,320.78 - - 3.27
	b)	Other bank balance- i) Earmarked deposit with banks (PRMS) ii) Deposits placed for more than 12 months iii) Deposits placed for 12 months iv) Deposits held as margin money	2,500.00 1,800.00 31431.40 111.76	2,500.00 10,576.00 30,899.52 110.57
		Total of Cash and Bank balances	40,557.78	45,410.14

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		,, , , , , ,
र्तमान परिसंपत्तियाँ		
गोट-17 अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम		
क) ऋण एवं अग्रिम-कर्मचारी #		
i) सुरक्षित शोध्य माने गए	366.08	413.21
іі) असुरक्षित शोध्य माने गए	535.40	610.89
iii) संदिग्ध माने गए	-	
ख) ऋण एवं अग्रिम-नकद अथवा किसी प्रकार अथवा प्राप्त होने वाले		
मूल्य के रुप में वसूली योग्य अग्रिम		
i) सुरक्षित शोध्य माने गए	3.56	
ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	4,399.78	2,756.57
iii) संदिग्ध माने गए	17.52	_,
अल्पकालिक ऋणों एवं अग्रिमों का कुलयोग	5,322.34	3,780.67
घटाएं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	17.52	
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम (शुद्ध)	5,304.82	3,780.67
# कंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों से बकाया नीचे इंगित है ।	,	•
सुरक्षित	0.58	0.06
असुरक्षित	0.14	0.33
Signan		
वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय	- 1,463.13	1,942.06
ार्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	1,942.06
र्वतमान परिसंपत्तियाँ तोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय ं) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए	-	1,942.06
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय ं) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	1,942.06
र्वतमान परिसंपत्तियाँ तोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय ं) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए	-	
ार्तमान परिसंपत्तियाँ तोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए	- 1,463.13 -	271.93
ार्तमान परिसंपत्तियाँ तोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय ं) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	- 1,463.13 - - 155.05	271.93 3.90
वर्तमान परिसंपत्तियाँ को बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए iii) सुरक्षित शोध्य माने गए iii) सुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए	- 1,463.13 - - 155.05 3.88	271.93 3.90 1.58
वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) निपटान के लिए लंबित परिसंपत्ति	- 1,463.13 - - 155.05 3.88 1.31	1,942.06 271.93 3.90 1.58
वर्तमान परिसंपत्तियाँ कोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरिक्षित शोध्य माने गए ii) असुरिक्षत शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरिक्षत शोध्य माने गए ii) असुरिक्षत शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए iii) निपटान के लिए लंबित परिसंपत्ति अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का कुलयोग	- 1,463.13 - - 155.05 3.88 1.31	271.93 3.90 1.58 2,219.47

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

			₹ in lakh
		As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
CURREN [*]	T ASSETS		
NOTE 17	SHORT TERM LOANS AND ADVANCES		
	a) Loans and advances -employees # i) Secured considered good ii) unsecured considered good iii) Considered doubtful	366.08 535.40	413.21 610.89
	 b) Loans and advances -advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good ii) unsecured considered good iii) considered doubtful 	3.56 4,399.78 17.52	2,756.57 -
	Total of Short Term Loans and Advances	5,322.34	3,780.67
	Less Provision for doubtful debts	17.52	,
	Short Term Loans and Advances (Net)	5,304.82	3,780.67
	# Dues from Directors' and officers' of the company is indicated below		
	Secured Unsecured	0.58 0.14	0.06 0.33
CURREN	T ASSETS	0.14	0.33
NOTE 18	OTHER CURRENT ASSETS		
	a) Outstanding Income i) Secured considered good ii) unsecured considered good iii) considered doubtful b) Claims receivable i) Secured considered good	1,463.13 -	1,942.06 -
	 i) Secured considered good ii) unsecured considered good iii) considered doubtful c) Asset pending disposal 	155.05 3.88 1.31	271.93 3.90 1.58
	Total of Other Current Assets	1,623.37	2,219.47
		,	·
	Less: Provision for doubtful debts	3.88	3.90
	Other Current Assets (Net)	1,619.49	2,215.57
	TOTAL OF CURRENT ASSET	63,622.28	65,790.12

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-19 प्रचालनों से राजस्व		
क) उत्पादों की बिक्री	42,097.24	41,344.13
ख) अन्य प्रचालनीय राजस्व	253.88	112.09
प्रचालनों से राजस्व का कुलयोग	42,351.12	41,456.22

उत्पादों की बिक्री में एफ.ओ.बी. आधार पर परिगणित रु. 12,942.27 लाख (पिछले वर्ष रु. 18,546.86 लाख) की धनराशि विदेशी मुद्रा के अर्जन में सम्मिलित है।

कंपनी को थोरियम सांद्र की पुन: प्राप्ति, संसाधन एवं पुन: भंडारण (थ्रस्ट) परियोजना सौंपी गई है। आईआरईएल द्वारा आपूर्त न्यूक्लियर ग्रेड अमोनियम डाईयूरेनेट (एनजीएडीयू) की क्षतिपूर्ति को भारत सरकार की अनुमोदित दर पर मान्यता दी गई है। वर्ष 2011-12 में आपूर्त एनजीएडीयू के संबंध में भारत सरकार ने रु. 19655/- प्रति किग्रा की दर अनुमोदित की है और वर्ष में रु. 1715 लाख के अंतरीय प्रभाव को मान्यता दी गई। हालांकि 2012-13 से 2014-15 तक की गई आपूर्तियों के संबंध में क्षतिपूर्ति को रु. 13557 किग्रा पर मान्यता दी गई जो कि पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2012 के माध्यम से वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार की अनुमोदित दर है क्योंकि 2012-13 से लागत रु. 19655/- प्रति किग्रा से कम हो गई एवं उत्पाद के विनिर्माण की प्रक्रिया भी भिन्न है। चालू वर्ष की बिक्री में रु. 13557/- प्रति किग्रा पर चिन्हित रु 3601.01 लाख (पिछले वर्ष रु. 3574.68 लाख) की धनराशि सम्मिलत है।

इसके अतिरिक्त उप्तादों की बिक्री में केएमएमएल संव्यवहार से संबंधित रु 3601.01 लाख (पिछले वर्ष रु. 503.92 लाख) की धनराशि सम्मिलित है।

नोट-20 अन्य आय		
क) ब्याज आय		
i) बैंक जमा पर	3,547.83	4,620.40
ii) अन्य पर	897.37	521.25
ख) वर्तमान निवेशों से लाभांश आय	299.90	146.62
ग) शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन	31.63	102.80
घ) अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	2.54	0.79
ङ) अन्य गैर प्रचालनीय आय	390.02	232.92
अन्य आय का कुलयोग	5,169.29	5,624.78



₹ in lakh

			As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
NOTE 19	RE	VENUE FROM OPERATIONS		
	a)	Sale of products	42,097.24	41,344.13
	b)	Other operating revenue	253.88	112.09
		Total of Revenue from operations	42,351.12	41,456.22

Sale of products includes earning in foreign exchange amounting to ₹ 12,942.27 lakhs (Previous year ₹ 18,546.86 lakhs) calculated on FOB basis.

The Company is entrusted with the project of retrieval, reprocess and re-storage of Thorium Concentrate (THRUST). Compensation for Nuclear Grade Ammonium Di-Uranate (NGADU) supplied by IREL is recognized at the approved rate of Governmenmt of India (GoI). During the year GoI has approved the rate of ₹ 19655/- per kg in respect of NGADU supplied during 2011-12 and the differential impact of ₹ 1715 lakh is recognized during the year. However in respect of the supplies made from 2012-13 till 2014-15 compensation is recognized at ₹ 13557/kg which is the approved rate of the Government of India for the year 2010-11 vide communication dated 13 April, 2012 because the cost from 2012-13 is less than ₹ 19655/- per k.g and the process through which the product is manufactured is also different. Current year sale includes an amount of ₹ 3601.01 lakh (previous year ₹ 3574.68 lakh) recognized at ₹ 13557 per k.g.

Sale of products further includes an amount of ₹2680.51 lakh (Previous Year ₹503.92 lakh) pertaining to

KiviiviLtrar	isact	1011		
NOTE 20	ОТІ	HER INCOME		
	a)	Interest income (I) On Bank deposits (ii) On others	3,547.83 897.37	4,620.40 521.25
	b) c) d) e)	Dividend income from current investments Net foreign exchange gain Profit on sale of fixed assets Other non-operating income	299.90 31.63 2.54 390.02	146.62 102.80 0.79 232.92
		Total of Other Income	5,169.29	5,624.78

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

				<u>રુ. ભાવા મ</u>
			31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
ोट-21 उपभोग की गई सामग्री की लागत	.			
क) उपभोग की गई कच्ची सामग्री			4,548.86	3,453.79
ख) उपभोग किए गए रसायन			270.11	130.09
उपभोग	की गई सामग्री की	लागत का कुलयोग	4,818.97	3,583.88
नोट ः उपभोग किए गए आयातित		•		·
	प्रतिश	तता		
	31.03.2015	31.03.2014		
आयातित	0.00	0.00		
देशी	100.00	100.00		
	100.00	100.00		
ोट-22 तैयार माल, प्रगामी कार्य एवं व्या	गारिक स्टॉक की वस्त्	रु सूची मे परिवर्तन		
ोट-22 तैयार माल, प्रगामी कार्य एवं व्याप क) तैयार माल -	गारिक स्टॉक की वस्त्	, सूची मे परिवर्तन आदि शेष	9,970.50	10,167.85
	गारिक स्टॉक की वस्त्		1	10,167.85 9,970.50
	गारिक स्टॉक की वस्त्	अादि शेष	8,105.04	
	गारिक स्टॉक की वस्त्	आदि शेष अंत शेष	8,105.04 1,865.46	9,970.50
क) तैयार माल -	गरिक स्टॉक की वस्त्	आदि शेष अंत शेष अंतर	8,105.04 1,865.46 378.57	9,970.50 197.35
क) तैयार माल -	गरिक स्टॉक की वस्त्	आदि शेष अंत शेष अंतर आदि शेष	8,105.04 1,865.46 378.57 1,088.82	9,970.50 197.35 104.97
क) तैयार माल -		आदि शेष अंत शेष अंतर आदि शेष अंत शेष	8,105.04 1,865.46 378.57 1,088.82 (710.25)	9,970.50 197.35 104.97 378.57
क) तैयार माल - ख) प्रगामी कार्य		आदि शेष अंत शेष अंतर आदि शेष अंत शेष अंतर	8,105.04 1,865.46 378.57 1,088.82 (710.25) 34.32	9,970.50 197.35 104.97 378.57 (273.60)
क) तैयार माल - ख) प्रगामी कार्य		आदि शेष अंत शेष अंतर आदि शेष अंत शेष अंतर आदि शेष	8,105.04 1,865.46 378.57 1,088.82 (710.25) 34.32 11.94	9,970.50 197.35 104.97 378.57 (273.60) 59.76

जॉब कार्य से संबंधित के एम एम एल संव्यवहार के के संबंध में रु 18.85 लाख की धनराशि तैयार माल में समिलित है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

					₹ III lakii
				As at	As at
				31st March, 2015	31st March, 2014
NOTE 21	COST OF MATE	ERIALS CONSU	JMED		
	a) Raw	materilal consu	imed	4,548.86	3,453.79
	b) Chemical consumed		270.11	130.09	
	Total	of Cost of Mate	erials Consumed	4,818.97	3,583.88
	Note: Value of I materials and C				
		Percei	ntane		
		31.03.2015			
	Imported	0.00	31.03.2014		
	· .				
	Indigeneous	100.00 100.00	100.00		
NOTE 22	CHANGES IN IN GOODS, WORK STOCK-IN-TRA	K-IN-PROGRES	_		
	a) Finished Goo			0.070.50	40.407.05
			pening balance	9,970.50 8,105.04	10,167.85 9,970.50
			osing balance ference	1,865.46	197.35
	1.5.567 1.5		iciciice	1,003.40	197.55
	b) Work-in -prog		oning holonoo	378.57	104.97
			ening balance osing balance	1,088.82	378.57
			ference	(710.25)	(273.60)
	c) Intermediate			(**************************************	(=:::::)
	o, intermediate p		en processing pening balance	34.32	59.76
			osing balance	11.94	34.32
			ference	22.38	25.44
	Total of Change	es in inventorie	es of finished		
	goods,work in			1,177.59	(50.81)
	•	-			. ,

Finished Goods includes an amount of ₹18.85 lakh pertaining to KMML transaction related to job work.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-23 कर्मचारी लाभ व्यय		
क) वेतन एवं मजदूरी	15,792.25	14,849.40
ख) भविष्य एवं अन्य निधियों में योगदान	2,685.60	2,390.30
ग) स्टॉफ कल्याण व्यय	3,914.90	3,589.17
कर्मचारी लाभ व्ययों का कुलयोग	22,392.75	20,828.87
घटाएं : अन्य शीर्षों को हस्तांतरित व्यय एवं सरकारी परियोजनाओं/पूंजीगत कार्यों से उपरिव्यय की प्रतिपूर्ति	1,462.47	451.07
कर्मचारी लाभ व्यय (शुद्ध)	20,930.28	20,377.80
विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए बने प्रावधानों से संबंधित एएस-15 द्वारा अपेक्षित प्रकटन नोट सं. 44 के तहत दर्शाया गया है ।		
नोट-24 वित्त लागतें		
नाट-24 वित्तं लागत ब्याज व्यय		
	0.03	114.43
ब्याज व्यय	0.03 480.82	114.43 433.58
ब्याज व्यय क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज		
ब्याज व्यय क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज ख) उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर पर ब्याज #	480.82	433.58
ब्याज व्यय क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज ख) उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर पर ब्याज # ग) ब्याज - अन्य वित्त लागतों का कुलयोग	480.82 41.19	433.58 2.61
ब्याज व्यय क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज ख) उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर पर ब्याज # ग) ब्याज - अन्य	480.82 41.19	433.58 2.61
ब्याज व्यय क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज ख) उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर पर ब्याज # ग) ब्याज - अन्य वित्त लागतों का कुलयोग # नोट सं. 27 देखें	480.82 41.19	433.58 2.61
ब्याज व्यय क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज ख) उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर पर ब्याज # ग) ब्याज - अन्य वित्त लागतों का कुलयोग # नोट सं. 27 देखें नोट-25 मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	480.82 41.19 522.04	433.58 2.61 550.62

परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त प्रभाव के लिए नोट 37 देखें । परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रदान किए गए मूल्यहास एवं परिशोधन से संबंधित नोट 9 क देखें ।





Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

			₹ in lakh
		As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
NOTE 23	EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE		
	a) Salaries and wages	15,792.25	14,849.40
	b) Contribution to provident and other funds	2,685.60	2,390.30
	c) Staff welfare expenses	3,914.90	3,589.17
	Total of Employee benefits expense	22,392.75	20,828.87
	Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from Government projects/capital works	1,462.47	451.07
	Employee benefit expense (Net)	20,930.28	20,377.80
	required by AS -15 in respect of provision made rious Employees benefits is shown under Note no 44		
NOTE 24	FINANCE COSTS		
	Interest expense (i) Interest on bank overdraft (ii) Interest on Excise duty and State tax # (iii) Interest - others	0.03 480.82 41.19	114.43 433.58 2.61
	Total of Finance costs	522.04	550.62
# Refer No	ote no - 27		
NOTE 25	DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES		
	a) Depreciation on tangible assets#b) Amortization on intangible assets	2,017.37 135.91	1820.12 97.74
Te	otal of depreciation and amortization expenses	2,153.28	1,917.86

Refer note no. 37 for the additional impact due to change in the useful life of assets.

Refer note 9A regarding depreciation and amortization provided for each class of assets.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		रु. लाख म
	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-26 अन्य व्यय		
क) भंडार एवं पुर्जो का उपभोग	1,943.30	1,812.34
ख) ऊर्जा एवं ईंधन	6,308.14	5,301.76
ग) किराया	32.34	15.88
घ) भवनों का मरम्मत	505.36	334.86
ङ) मशीनरी की मरम्मत	493.26	459.20
च) मरम्मत-अन्य	685.88	282.59
छ) बीमा	193.94	88.17
ज) दरें एवं कर	126.66	117.37
झ) उत्पाद शुल्क	(653.84)	80.57
ञ) रॉयल्टी	649.98	618.39
ट) अनुसंधान एवं विकास व्यय	186.04	159.62
ठ) अपशिष्ट निपटान व्यय	424.62	165.45
ड) परिवहन एवं प्रेषण प्रभार	2,065.81	1,076.20
ढ) पैकिंग एवं हैंडलिग व्यय	669.39	614.32
ण) कमीशन	4.36	1.32
त) बेची गई/हटाए गई अचल संपत्तियों पर हानि	0.21	6.29
थ) संदिग्ध ऋणों, परिसंपत्तियों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	21.32	50.97
द) स्थिर भंडारों की हानि	51.43	74.14
ध) सीएसआर एवं धारणीयता	235.19	183.06
न) यात्रा	361.59	436.85
प)		
i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	7.87	7.87
ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.97	1.97
iii) लागत लेखापरीक्षा शुल्क	1.00	1.35
iv) अन्य सेवाएं	0.28	0.28
v) यात्रा एवं फुटकर व्यय	7.74	6.56
•	18.86	18.03
फ) खनिजों पर निर्यात शुल्क	1,091.79	1,770.08
ब) विविध व्यय	2,064.41	1,895.81
अन्य व्ययों का कुलयोग	17,480.04	15,563.27
घटाएं : अन्य शीर्षों को हस्तांतरित व्यय एवं सरकारी		
परियोजनाओं/पूंजीगत कार्यों से उपरिव्यय की प्रतिपूर्ति	264.32	953.42

उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित है :

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
उत्पाद शुल्क-अंतिम स्टॉक	535.18	1,473.08
उत्पाद शुल्क-आरंभिक स्टॉक	1,473.08	1,689.75
अंतर	(937.90)	(216.67)
उत्पाद शुल्क-अन्य	284.06	297.24
लाभ एवं हानि विवरण में शुद्ध प्रभारित	(653.84)	80.57

नोट : उपभोग किए गए आयातित/देशी पुर्जी एवं अवयवों का मूल्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹	in	lakh
•		ICHILI

		\ III lakii
	Year ended 31st March, 2015	Year ended 31st March, 2014
NOTE 26 OTHER EXPENSES a) Consumption of stores and spares b) Power and fuel c) Rent d) Repairs to buildings e) Repairs to machinery f) Repairs- others g) Insurance h) Rates and taxes i) Excise duty j) Royalty k) R & D Expenses l) Waste disposal expenses m) Transportation & forwarding charges n) Packing and handling expenses o) Commission p) Loss on fixed assets sold/discarded q) Provision for doubtful debts, assets and advances r) Loss of non-moving stores s) CSR & Sustainability t) Travelling u) Remuneration to auditors (i) Statutory Audit fees (ii) Tax audit fees (iii) Cost Audit fees (iv) Other services (v) Travelling and out of pocket expenses v) Export Duty on minerals w) Miscellaneous expenses	31st March, 2015 1,943.30 6,308.14 32.34 505.36 493.26 685.88 193.94 126.66 (653.84) 649.98 186.04 424.62 2,065.81 669.39 4.36 0.21 21.32 51.43 235.19 361.59 7.87 1.97 1.00 0.28 7.74 18.86 1,091.79 2,064.41	1,812.34 5,301.76 15.88 334.86 459.20 282.59 88.17 117.37 80.57 618.39 159.62 165.45 1,076.20 614.32 1.32 6.29 50.97 74.14 183.06 436.85 7.87 1.97 1.35 0.28 6.56 18.03 1,770.08 1,895.81
Total of Other expenses	17,480.04	15,563.27
-	17,400.04	10,003.27
Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from Government projects/capital works	264.32	953.42
Other Expenses (Net)	17,215.72	14,609.85

Excise duty includes the following:

Particulars	31st March, 2015	31st March, 2014
Excise duty-Closing Stock	535.18	1,473.08
Excise duty-Opening Stock	1,473.08	1,689.75
Difference	(937.90)	(216.67)
Excise duty-others	284.06	297.24
Net charged to Statement of Profit and Loss	(653.84)	80.57

Note: Value of imported / Indigenous spare parts & components consumed

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

31 मार्च 2014 को

	प्रतिशतता	
विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को

31 मार्च 2015 को

प्रतिशतता		
विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
आयातित	0.39	2.63
देशी	99.61	97.37
	100.00	100.00

19.05.2008 को चवरा में शिपिंग एवं बैगिंग फोरम वर्करो को सेवरेन्स पैकेज देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई । उपर्युक्त के प्रत्युत्तर में वर्ष 2014-15 के अंत तक 162 शिपिंग फोरम वर्करों (पिछले वर्ष 162) एवं 20 बैगिंग फोरम वर्करों (पिछले वर्ष 20) को सेवरेन्स पैकेज का भुगतान किया गया । इसके लिए पैकिंग, हैंडलिंग एवं प्रेषण व्यय में रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य) की धनराशि सम्मिलित है ।

नोट-27 असाधारण, अपवाद एवं पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		
पूर्व अवधि समायोजन		
मूल्य हास	3.23	0.18
अन्य व्यय	169.17	77.68
	172.40	77.86
घटाएं : पूर्व अवधि आय अन्य	95.63	9.07
	95.63	9.07
पूर्व अवधि समायोजन का कुलयोग (शुद्ध)	76.77	68.79
अपवाद मदें		
व्यय आय (नीचे नोट देखें)	-	3,094.29
उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	-	-
उत्पाद शुल्क पर बिक्री कर हेतु प्रावधान	-	-
उपर्युक्त पर ब्याज हेतु प्रावधान	-	-
अपवाद मदों का कुलयोग	-	3,094.29
असाधारण मदें		
चक्रवात के कारण हानि / (लाभ) (शुद्ध) #	(860.76)	474.30
	(860.76)	474.30
#नोट सं. 38 देखें		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

Year ended	Year ended
31st March, 2015	31st March, 2014

Percentage			
31st March,2015 31st March,201			
Imported	0.39	2.63	
Indigenous	99.61	97.37	
	100.00	100.00	

It was agreed to offer severance package to the shipping and bagging forum workers at Chavara on 19.05.2008. In response to the above, 162 shipping forum workers (previous year 162) and 20 bagging forum workers (previous year 20) have been paid severance package up to the end of year 2014-15. Packing, handling and forwarding expenses includes an amount of ₹ NIL (previous year ₹ NIL) for the same.

NOTE 27	EXTRAORDINARY, EXCEPTIONAL ITEMS AND PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)		
	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS		
	Depreciation	3.23	0.18
	Other expenses	169.17	77.68
	·	172.40	77.86
	Less: Prior period income		
	Others	95.63	9.07
		95.63	9.07
	Total of Prior Period adjustments (Net)	76.77	68.79
	EXCEPTIONAL ITEMS		
	Income (Refer note below)	-	3,094.29
	Expenses		
	Provision for excise duty	-	-
	Provision for sales tax on excise duty	-	-
	Provision for interest on the above	-	-
	Total of Exceptional items	-	3,094.29
	EXTRA ORDINARY ITEMS		
	Loss/ (gain) due to Cyclone (net)#	(860.76)	474.30
		(860.76)	474.30

Refer to Note 38.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

31 मार्च 2015 को

31 मार्च 2014 को

कंपनी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर से दिनांक 16 मार्च 2012 का मांग सह कारण बताओ नोटिस (एससीएन) प्राप्त किया था जिसमें मार्च, 2011 से जुलाई, 2011 की अविध के लिए ऑसकॉम यूनिट के सभी खिनज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने को कहा गया था जिसमें यह भी लिखा था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (सीईटीए) के चैप्टर 26 में दिनांक 1.3.2011 से वित्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से चैप्टर 4 के अंतर्वेश ने तटीय रेत खिनजों को केंद्रीय उत्पाद शुल्कके दायरे में ला दिया है । विधिक राय के आधार पर कंपनी ने बनाए रखा कि चैप्टर 26 में चैप्टर 4 का अंतर्वेश तटीय रेत खिनजों को कर योग्य नहीं बनाता है । तथापि भरपूर सावधानी के रुप में कंपनी ने वर्ष 2011-12 में कंपनी की सभी यूनिटों के इल्मेनाइट, रुटाईल एवं जिरकॉन (आईआरजेड) पर कुल रु. 3867.99 लाख के उत्पाद शुल्क तथा उत्पाद शुल्क पर अनुवर्ती राज्य कर व ब्याज एवं राज्य कर के लिए क्रमश: 139.75 लाख एवं रु. 303.99 लाख के प्रावधान किए तथा केवल आईआरजेड के संबंध में दिनांक 1.4.2012 से विरोध दर्ज कराते हुए उत्पाद शुल्क का संग्रह एवं भुगतान करना शुरु कर दिया है ।

कंपनी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर के समक्ष उक्त एससीएन का विरोध प्रकट किया तथा अपील आदेश दिनांक 03.04.2013 प्राप्त किया जिसमें सिलिमेनाइट एवं गारनेट सिहत सभी खिनजों पर बिना अर्थदंड के ब्याज सिहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की जिम्मेदारी की पुष्टि की गई। कंपनी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोल्लम से दिनांक 6 दिसम्बर 2012 का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) सं. 08/2012 भी प्राप्त किया जिसमें मार्च, 2011 से मार्च, 2012 की अविध के लिए चवरा यूनिट के सभी खिनज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने को कहा गया था जिसमें यह भी लिखा था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (सीईटीए) के चैप्टर 26 में दिनांक 01.03.2011 के वित्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से चैप्टर 4 के अंतर्वेश ने तटीय रेत खिनजों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में ला दिया है।

उपर्युक्त को देखते हुए कंपनी ने वर्ष 2012-13 की लेखाओं में सिलिमेनाइट एवं गारनेट के संबंध में रु. 703.69 लाख का उत्पाद शुल्क तथा रु. 26.74 लाख एवं रु. 135.66 लाख के अनुवर्ती राज्यकर एवं लागू ब्याज के लिए प्रावधान किया है । इसके अतिरिक्त कंपनी ने उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए आईआरजेड से संबंधित ब्याज का अतिरिक्त प्रावधान किया है ।

कंपनी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के समक्ष कारण बताओ नोटिस सं. 08/2012 दिनांक 06 दिसंबर 2012 का विरोध दर्ज कराया तथा उक्त कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही समाप्त किए जाने से संबंधित आदेश दिनांक 30.12.2013 प्राप्त किया । कंपनी के पास विभाग द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज किए जाने की पुष्टि के बारे में अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कंपनी ने सीमाकर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल (सीईएसटीएटी), कोलकाता के समक्ष अपील आदेश दिनांक 03.04.2013 के विरुद्ध भी विरोध दर्ज कराया है तथा लगाई गई देय राशि को पहले जमा करने से छूट एवं अपील के लंबित रहने के दौरान इसकी वसूली की रोक वाला दिनांक 12.11.2013 का स्टे आदेश प्राप्त किया । इस संबंध में अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा है ।

उपर्युक्त को देखते हुए चूंकि उपर्युक्त के अनुसार सीईएसटीएटी कोलकाता की अंतिम सुनवाई प्रतीक्षित है, कंपनी को ऑसकॉम यूनिट को छोड़कर सभी यूनिटों के लिए सभी खनिजों के संबंध में उत्पाद शुल्क, अनुवर्ती राज्यकर एवं उसके ब्याज के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने से रुकना पड़ा । तद्नुसार कंपनी ने 2013-14 में कुल रु. 2395.19 लाख के उत्पाद शुल्क का प्रावधान एवं अनुवर्ती रु. 79.35 लाख एवं रु. 619.57 लाख की क्रमश: राज्य कर एवं लागू ब्याज के प्रावधान पुनरांकित किए हैं । जिसे अपवाद मदों के रुप में दर्शाया गया था। आगे कंपनी ने 2014-15 में ऑसकॉम के लिए सिलिमेनाइट एवं गारनेट के संबंध में उत्पाद शुल्क, अनुवर्ती राज्य कर का प्रावधान करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त कंपनी ने उत्पाद शुल्क एवं राज्यकर के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए ऑसकॉम यूनिट के संबंध में आईआरजेड, सिलिमेनाइट एवं गारनेट के संबंध में ब्याज का प्रावधान किया है तथा इसे वित्त लागत (नोट सं. 24) के तहत सम्मिलित किया है।



₹ in lakh

Year ended 31st March, 2015

Year ended 31st March, 2014

Company had received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 16th March, 2012 from the Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar demanding payment of Excise Duty on all mineral products of OSCOM unit for the period March,2011 to July 2011, stating that insertion of Chapter note 4 to Chapter 26 of Central Excise Tariff Act, 1985 (CETA) vide Finance Act, 2011 brought the beach sand minerals under the ambit of central excise w.e.f 1.3.2011. Based on the legal opinion, the Company maintained that insertion of Chapter note 4 to Chapter 26 does not make beach sand minerals excisable. However, as an abundant caution, the Company made provision of excise duty on Ilmenite, Rutile and Zircon (IRZ) of all the units of the Company aggregating to ₹ 3867.99 lakhs and for consequential state tax and interest on excise duty and state tax amounting to ₹ 139.75 lakhs and ₹ 303.36 lakhs respectively in year 2011-12 and started to collect and pay excise duty under protest w.e.f 1.4.2012 only in respect of IRZ.

The Company contested the said SCN before the Commissioner of Central Excise (Appeal), Bhubaneswar and received appeal order dated 03.04.2013 confirming the liability to pay excise duty alongwith interest thereon without penalty on all minerals including Sillimanite & Garnet. The Company also received Show-Cause Notice (SCN) No. 08/2012 dated 6th December 2012 from the Commissioner of Central Excise, Kollam demanding payment of Excise Duty on all mineral products of Chavara unit for the period March 2011 to March 2012, stating that insertion of Chapter note 4 to Chapter 26 of Central Excise Tariff Act, 1985 (CETA) vide Finance Act, 2011 brought beach sand minerals under the ambit of central excise w.e.f 1.3.2011.

In view of the above, the Company made provision of excise duty in respect of Sillimanite & Garnet aggregating to ₹ 703.69 lakhs and for consequential state tax and applicable interest amounting to ₹ 26.74 lakhs & ₹`135.66 lakhs respectively in the accounts for the year 2012-13. Further the Company made additional provision of interest in respect of IRZ for the year 2012-13 with respect to excise duty & state tax.

The Company contested the SCN No. 08/2012 dated 6th December 2012 before the Commissioner of Central Excise and Customs, Thiruvananthpuram and received order dated 30.12.2013 dropping the proceedings under the said SCN. There is no information/ intimation available with the Company as yet confirming the filing of appeal against the said order by the Department.

Company also contested Appeal order dated 03.04.2013 before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Kolkata and received stay order dated 12.11.2013 waiving the pre-deposit of dues adjudged and staying its recovery during pendency of the appeal. The final hearing of the same is awaited.

In view of above, the Company has to stop making further provision towards Excise duty, consequential state tax & interest thereon in respect of all the minerals for all units except OSCOM since the final hearing of CESTAT kolkata is awaited as mentioned above. Accordingly the Company has written back the provision of excise duty aggregating to ₹ 2,395.19 lakhs and consequential provision of state tax and applicable interest amounting to ₹ 79.53 lakhs and ₹ 619.57 lakhs respectively in 2013-14 which was shown as exceptional items. Further, the Company continue to make provision of excise duty, consequential state tax in respect of Sillimanite & Garnet for Oscom during 2014-15. Further the Company made provision of interest in respect of IRZ, Sillimanite and Garnet pertaining to Oscom unit with respect to Excise duty and State tax for 2014-15 and included the same under Finance cost (Note No. 24).

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-28 कर व्यय		
वर्तमान कर		
वर्तमान वर्ष के लिए		
आयकर	982.00	2,100.00
पिछले वर्षों के लिए		
आयकर	(162.76)	(422.38)
वर्तमान कर का कुलयोग	819.24	1,677.62
आस्थगित कर		
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	(571.39)	821.00
आस्थगित कर का कुलयोग	(571.39	821.00
कर व्यय का कुलयोग	247.85	2,498.62

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

-			
_	IIO I	2	v
•	in	а	NI

	\\ III lan		V III IQINI
		Year ended 31st March, 2015	Year ended 31st March, 2014
NOTE 28	TAX EXPENSES		
	Current tax		
	For Current Year Income tax	982.00	2,100.00
	For earlier years Income tax	(162.76)	(422.38)
	Total of Current tax	819.24	1,677.62
	Deferred Tax Deferred tax charge/(credit)	(571.39)	821.00
	Total of Deferred tax	(571.39)	821.00
	Total of Tax expenses	247.85	2,498.62

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
नोट-29	आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नही किया गया एवं अन्य प्रतिबद्धताएं :		
1	आकित्सिक देवताएं		
_ - क	कंपनी पर दावे, जिन्हे ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जिनके लिए		
47	प्रावधान नहीं किया गया है ।		
i	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के दावे		
•	क) मनवलाकुरिची	246.65	724.04
	ख) चवरा	8.87	8.61
	ग) ऑसकॉम	1,482.34	1,383.27
ii	कर्मचारियों एवं अन्यों द्वारा किए गए दावे जो न्यायालयों में लंबित हैं	1,102.01	1,000.21
	क) कर्मचारी-आलवे, एमके एवं ऑसकॉम	377.97	373.27
	ख) अन्य - फोरम वर्कर्स - सिविल, लोडिंग एवं बैगिंग	97.23	96.69
iii	कर्मचारियों एवं अन्य	निश्चय राशि नहीं	निश्चय राशि नर्ह
iv	कंपनी के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए उच्चतर मुआवजा (चवरा, एमके एवं	117 17 117 1171	ार्यय सारा १७
	ऑसकॉम)	432.32	490.21
V	भूमि किराया दरों, उपकरों और उसपर ब्याज में परिवर्तन के कारण उड़ीसा	+02.02	700.2
•	सरकार का दावे	135.97	135.97
vi	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे	227.72	259.49
vii	संविदा/फोरम वर्करों को देय राशि के भुगतान में देरी के लिए भविष्य निधि	221.12	200.40
VII	प्राधिकरणों के दावे	4.29	4.29
 ख	खोले गए और बकाया साख पत्रों का जारी मूल्य	0.00	292.06
् <u></u> ग	कंपनी की ओर से दी गई बैंक गारंटी का जारी मूल्य	89.10	90.16
<u>'</u> घ	विवादित कर मांग	00.10	30.10
Ч	क) बिक्री कर	93.84	97.68
	ख) सेवा कर	11.88	10.32
	ग) प्रवेश कर	202.66	202.66
 ङ	रिबेट पर अंतरीय रॉयल्टी के लिए दावा - एमके	68.75	68.75
<u> </u>	इनपुट पर क्रेडिट के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा - एमके	41.71	41.71
্ ড	शिपिंग फोरम कर्मचारियों के लिए वियोग धनराशि - चवरा	186.06	185.84
ु ज	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावा - आलवे	4,739.51	4,081.10
<u>्</u> झ	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावे पर ब्याज - आलवे	3,689.01	2,930.99
স স	केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सेवा कर दावा - चवरा	58.83	2,930.98
<u>ज</u> ट	इल्मेनाइट के प्रेषण पर अंतरीय रॉयल्टी - ऑसकॉम	113.30	113.30
<u> </u>	रॉयल्टी पर स्थानीय उपकर एवं अधिभार - एमके	110.00	22.29
<u> </u>	उत्पाद शुल्क-चवरा	986.00	22.28
2	अन्य प्रतिबद्धताएँ	900.00	
	अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए पूंजीगत ठेकों के लिए प्रदान नहीं की गई		
	अना तक कायान्वित नहां किए गए पूजागत ठका के लिए प्रदान नहां का गई अनुमानित धनराशि	1 474 60	2,450.56
	जनुगागरा अगरास	1,474.62	2,450.50

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

		I	₹ in lakh
		As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Not	e-29: Contingent Liabilities not provided for and		
	other commitments:		
1	Contingent Liabilities		
Α	Claims against the Company not acknowledged as		
	debts and not provided for		
i)	Claims by Contractors/Suppliers		
	a) Manavalakurichi	246.65	724.04
	b) Chavara	8.87	8.61
	c) OSCOM	1,482.34	1,383.27
ii)	Suits filed by employees and others pending in Courts		
	a) Employees- Alwaye, MK and OSCOM	377.97	373.27
	b) Others – Forum workers-civil ,loading & bagging	97.23	96.69
iii)	Employees and others	Amount not	Amount not
,		ascertainable	ascertainable
iv)	Higher Compensation for land acquired for the Company		
,	(Chavara, MK and OSCOM)	432.32	490.21
v)	Claim by the Government of Orissa on account of		
,	revision of ground rent rates, cess and interest thereon.	135.97	135.97
vi)	Other claims against the Company	227.72	259.49
vii)	Claim by Provident fund authorities for belated payments		
,	of contract/forum workers dues	4.29	4.29
В	Unexpired value of Letters of credit opened and outstanding	0.00	292.06
С	Unexpired value of Bank Guarantees given on behalf		
	of company	89.10	90.16
D	Disputed Tax demands		
	a) Sales tax	93.84	97.68
	b) Service tax	11.88	10.32
	c) Entry tax	202.66	202.66
Е	Claim for differential royalty on rebate – MK	68.75	68.75
F	Claim by sales tax authority for input tax credit-MK	41.71	41.71
G	Severance amount for shipping forum employees-Chavara	186.06	185.84
Н	Central Excise claim on production of NGADU-Alwaye	4,739.51	4,081.10
I	Interest on central Excise claim on production of		
	NGADU-Alwaye	3,689.01	2,930.99
J	Service tax claim by central excise-Chavara	58.83	36.14
K	Differential Royalty on Ilmenite Dispatch -OSCOM	113.30	113.30
L	Local Cess & Surcharge on Royalty- MK	-	22.29
M	Excise duty -Chavara	986.00	-
2	Other Commitments		
	Estimated amount of capital contracts remaining to be		
	executed and not provided for	1,474.62	2,450.56
	77		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-30

वर्ष के अंत में रु. 55854.65 लाख (पिछले वर्ष रु. 55,036.50 लाख) के कर (संपत्ति कर सिहत) हेतु प्रावधान को अग्रिम कर एवं टीडीएस की समेकित कुल धनराशि रु. 59,455.93 लाख (पिछले वर्ष रु. 58,986.41 लाख) के समक्ष समायोजित किया गया है तथा शेष राशि को तुलन पत्र में दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम (नोट 12 देखें) एवं अल्पकालिक प्रावधान (नोट 8 देखें) जो भी स्थिति हो, के तहत सम्मिलित किया गया है।

नोट-31

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम को छुट्टी देयता हेतु निधि प्रदान की है । 31 मार्च 2015 को उपलब्ध निधि रु. 4,966.38 लाख (पिछले वर्ष रु. 4352.87 लाख) के अंतर्गत बीमाकंक मूल्यांकन के अनुसार रु. 5,794.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 5332.13 लाख) की सकल छुट्टी देयता सेट ऑफ की तथा रु. 828.05 लाख (पिछले वर्ष रु. 979.2६ लाख) की शुद्ध धनराशि तुलन पत्र में दीर्घकालिक प्रावधान के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है । (नोट 5 देखें)

नोट-32

भारत सरकार की ओर से कंपनी को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है । इन परियोजनाओं की पूर्ण लागत का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया गया है । रु. 1121.63 लाख (पिछले वर्ष रु. 1032.72 लाख) की शुद्ध धनराशि सरकार को देय है जिसे 'वर्तमान देयताओं' (नोट 7 देखें) के अंतर्गत शामिल किया गया है । इसमें से रु. 741.55 लाख (पिछले वर्ष रु. 683.91 लाख) थोरियम फैक्टरी से संबंधित है तथा रु. 380.08 लाख (पिछले रु. 348.81 लाख) की शेष राशि अन्य सरकारी परियोजनाओं से संबंधित है ।

नोट-33

भारत सरकार ने निष्पादन के लिए कंपनी को एक योजना सौंपी है । इस परियोजना से संबंधित परिचालन कंपनी के नाम पर चलाए जा रहे हैं । रु. 324.73 लाख (पिछले वर्ष रु. 342.22 लाख) की नकदी एवं बैंक शेष तथा इस परियोजना से संबंधित अन्य लेनदेन यद्यपि कंपनी द्वारा अपने नाम पर किए जाते हैं फिर भी भारत सरकार की सलाह के अनुसार कंपनी के वार्षिक लेखा में उन्हें शामिल नहीं किया गया है । कंपनी को सहायक आयुक्त, बिक्री कर, मुंबई से इस परियोजना के संबंध में बिक्री कर, उस पर ब्याज एवं अर्थदंड रु. 668.67 लाख की समेकित धनराशि के भुगतान की मांग करने वाली मांग सह कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 29.06.2013 प्राप्त हुई । भारत सरकार की ओर से कंपनी ने उक्त एससीएन का विरोध दर्ज कराया तथा अपील उपायुक्त बिक्रीकर (एपीपी-VI), मुंबई के पास लंबित है ।



As at	As at 31st March, 2015	
3 15t Waltin, 2014	3 15t Wat Cit, 2013	

Note-30

At the end of the year, provision for tax (including Wealth tax) amounting to ₹ 55854.65 lakhs (previous year ₹ 55,036.50 lakhs) has been adjusted against the total amount of advance tax and TDS aggregating to ₹ 59,455.93 lakhs (previous year ₹ 58,986.41 lakhs) and the balance amount is included under Long term loans & advances (Ref Note 12), and short term provisions (Ref Note 8) in the balance sheet as the case may be.

Note-31

The Company has funded leave liability with the Life Insurance Corporation of India. As on 31st March 2015, gross leave liability as per actuarial valuation amounting to ₹ 5,794.43 lakhs (previous year ₹ 5,332.13 lakhs) has been set off against the amount of fund available of ₹ 4,966.38 lakhs (previous year ₹ 4,352.87 lakhs) and net amount of ₹ 828.05 lakhs (previous year ₹ 979.26 lakhs) is shown under Long term provision in the balance sheet (Ref Note 5).

Note-32

The Company has been entrusted with the execution of certain strategic projects on behalf of the Government of India. The entire cost of the said projects is funded by the Government. The net amount payable to the Government is of ₹ 1121.63 lakhs (previous year ₹ 1032.72 lakhs) which has been included under 'Current liabilities' (Ref Note 7). Out of this, ₹ 741.55 lakhs (Previous year ₹ 683.91 lakhs) is relating to Thorium Factory and the balance ₹ 380.08 lakhs (Previous year ₹ 348.81 lakhs) is pertaining to other Government projects.

Note-33

The Company has been entrusted with the execution of a project on behalf of the Government of India. The operations relating to this project are being carried on by the Company in its own name. The cash and bank balance of ₹ 324.73 lakhs (Previous year ₹ 342.22 lakhs) and other transactions pertaining to this project, though managed by the Company in its name, are not incorporated in the annual accounts of the Company, as advised by the Government of India. The Company received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 29.06.2013 from the Asst. Commissioner of Sales Tax, Mumbai demanding payment of Sales Tax, Interest thereon and penalty aggregating to ₹ 668.67 lakhs relating to this project. On behalf of the Government of India, the Company contested the said SCN and the appeal is pending with Deputy Commissioner of Sales Tax (App-VI), Mumbai.



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

नोट-34 : एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार विवरण का प्रकटन (नोट सं 4 एवं 6 में देखें) :

देय राशि एवं ब्याज के संबंध में उस सीमा तक निश्चित की गई है जहां तक ऐसी पार्टियाँ चिन्हित हैं । कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत प्रकटन के लिए अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है ।

		2014	-15	2013-14	
क्र.सं.	विवरण	गैर वर्तमान- दीर्घकालिक देयताएं-देय ट्रेड एवं अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान-देय ट्रेड एवं अन्य वर्तमान देयताएं	गैर वर्तमान- दीर्घकालिक देयताएं-देय ट्रेड	वर्तमान-देय ट्रेड एवं अन्य वर्तमान देयताएं
1	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल धन एवं वर्ष के अंत में नहीं दिया गया शेष	5.00	214.82	शून्य	139.73
2	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज एवं वर्ष के अंत में नहीं दिया गया शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष में नियत दिन के बाद भुगतान किया गया मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत वर्ष में नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा वर्ष में नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पहले ही किये जा चुके भुगतान के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	पूर्व वर्षों में देय एवं भुगतान योग्य शेष अतिरिक्त ब्याज	शून्यशून्य	शून्य	;	गून्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

Note - 34: Disclosure of details as per MSMED Act (referred to in Note no. 4&6):

The information required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED) in respect of amount due & interest has been determined to the extent such parties are identified on the basis of information available with the Company is given below.

SI.No.	Particulars	201	4-15	2013	-14
		Non current- Long term liabilities -Trade Payable and other current liabilities	Current -Trade payable & Other current liabilities	Non current -Long term liabilities- Trade Payable	Current - Trade payable & Other current liabilities
1.	Principal amount due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the year end	5.00	214.82	NIL	139.73
2	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the year end	NIL	NIL	NIL	NIL
3	Princial amount paid to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
4	Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Interest paid, other than under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Interest due and payable towards suppliers registered under MSMED Act, for payments already made	NIL	NIL	NIL	NIL
7	Further interest remaining due and payable earlier years	NIL	NIL	NIL	NIL



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-35 : एएस-29 के अनुसार प्रावधानों का प्रकटन :

रु. लाख में

						र राजा
क्र	₅ .सं.	विवरण	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान बने प्रावधान	वर्ष के दौरान	31.03.2015
			आदि शेष		पुनरांकित/प्रभारित	को अंत शेष
					प्रावधान	
	1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए				
		प्रावधान (विवादित) नोट	3,418.66	1,240.91	0.00	4,659.57
		27 देखें				
	2	परिणामी संबंधी राज्य कर	128.22	24.80	0.00	153.03
		के लिए प्रावधान				
	3	विवादित प्रवेश कर के				
		लिए प्रावधान-ऑसकॉम	97.15	8.57	17.25	88.47
		(नोट-5 देखें)				

नोट-36

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार ने अपने दिनांक 20.06.2013 के पत्र सं. 6/3(1)/2001-पीएसयू वॉल्यूम.III/25 के माध्यम से 01.01.2013 को तैयार उत्पादों के अलावा वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ कंपनी द्वारा उड़ीसा सैण्डस् कॉम्मलेक्स (ऑसकॉम) में डीएई के थोरियम प्लांट (एनटीपी) को कंपनी के मोनाजाइट संसाधन प्लांट (एमओपीपी) के प्रचालन के साथ एकीकृत करने के लिए अधिग्रहण करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था । इस पत्र की दृष्टि से तथा भारत सरकार की संपत्ति के रूप में तैयार माल को बनाए रखने के डीएई के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने तैयार माल, ट्रेड प्राप्य एवं तैयार माल के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान को छोड़ कर 2012-13 में एनटीपी की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया था । वर्ष 2013-14 तक औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण एनटीपी के बैंक शेष का कंपनी द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था जो वर्ष 2014-15 के दौरान भी पूरी नहीं की गई हैं जिससे एमओपीपी के साथ एनटीपी प्रचालन का एकीकरण भी लंबित है ।

नोट-37

वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने नोट सं.1- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ में विनिर्दिष्ट पिरसंपित्तयों के लिए अलग जीवन निर्धारित करने की सीमा तक को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य हास पर लेखांकन नीति में पिरवर्तन किया है। इसे देखते हुए रु. 645.24 लाख की धनराशि को अधिशेष खाते में समायोजित किया गया है तथा रु. 341.49 लाख (कर प्रभाव) को आरंभिक आस्थिगत कर देयताओं में समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त रु. 77.77 लाख की अतिरिक्त धनराशि को चालू वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया गया है। उन पिरसंपित्तयों के संबंध में रु. 1/- धारण करके रु. 0.14 लाख की धनराशि अधिशेष में अंतरित की गई है जिनका नेट ब्लॉक पिछले वर्ष में शन्य हो जाता है।

नोट-38

वर्ष 2013-14 के दौरान ऑसकॉम यूनिट की कुछ परिसंपत्तियाँ फियालिन चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कंपनी ने वर्ष 2013-14 में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार चक्रवात फियालिन से क्षति के लिए रु. 474.30 लाख (रु. 200 लाख के दावे का शुद्ध) की धनराशि लेखांकित की है। जिसका समाधान बीमा कंपनी द्वारा वर्ष 2014-15 में किया गया है तथा रु. 739.37 लाख की धनराशि असाधारण मद के तहत दर्शायी गई है।

नोट-39

वर्कमेन के साथ दीर्घकालिक समझौते के लिए मजदूरी करार जो पांच वर्ष का था, 30.06.2013 को समाप्त हो गया है । 01.07.2013 से देय मजदूरी पुनरीक्षण के संबंध में शीघ्र ही बातचीत प्रारंभ होने की संभावना है । बातचीत एवं समझौते के लंबित रहने के कारण वर्ष 2013-14 के लिए लेखा में एक तदर्थ प्रावधान किया गया था। बातचीत में प्रगति न होने के कारण आगे वर्ष 2014-15 के लिए तदर्थ प्रावधान रखा गया है ।



₹ in lakh

Note -35: Disclosure of Provisions as per AS-29:

₹ in lakh

SI.No.	Particulars	Opening balance as on 01.04.2014	Provision made during the year	Provision written back/ charged during the year	Closing balance as on 31.03.2015
1	Provision for Central Excise				
	Duty (Disputed) Ref Note 27	3,418.66	1,240.91	0.00	4,659.57
2	Provision for Consequential				
	State Tax thereon	128.22	24.80	0.00	153.03
3	Provision for disputed entry				
	tax-OSCOM (Ref. Note no. 5)	97.15	8.57	17.25	88.47

Note-36

The Department of Atomic Energy (DAE), Government of India had accorded approval for taking over DAE's Thorium Plant (NTP) at Orissa Sands Complex (OSCOM) by the Company together with current assets as on 01.01.2013 other than finished goods for integrating the same with the operation of Monazite Processing Plant (MoPP) of the Company vide letter no. 6/3(1)/2001-PSU.Vol.III/25 dated 20.06.2013. In view of this letter and keeping in mind the decision of DAE to retain the finished goods as the property of GOI, the Company had taken over the assets of NTP during 2012-13 except finished goods, trade receivables and provision for excise on closing stock of finished goods. Upto the year 2013-14 bank balance of NTP had not been taken over by the Company pending formalities, which have not been completed even during the year 2014-15, pending integration of NTP operation with MoPP.

Note-37

During the current year the Company has changed the accounting policy on depreciation in line with the provisions of Companies Act 2013 except to the extent of fixing different life for assets as specified in Note No 1 - Significant Accounting Policies. In view of the same an amount of ₹ 645.24 lakh is adjusted in surplus account and ₹ 341.49 lakh (Tax effect) is adjusted in opening deferred tax liabilities. Further an additional amount of ₹ 77.77 lakh is charged to the Statement of profit and loss account of the current year. An amount of ₹ 0.14 lakh is transferred to surplus by retaining ₹ 1/- in respect of the assets whose net block becomes nil during the previous year.

Note-38

During the year 2013-14 certain assets of OSCOM unit have been damaged due to Cyclone - Phailin. The Company has accounted for loss due to Cyclone-Phailin amounting to ₹ 474.30 lakh (net of claim ₹ 200 lakh) as per accounting policy of the Company in 2013-14. Settlement of which is done by the insurance company during the year 2014-15 and an amount of ₹ 739.37 lakh is reported under extraordinary item.

Note-39

The wages agreement for long term settlement with workmen which was valid for a period of five years expired on 30.06.2013. Negotiations are expected to commence shortly with respect to wages revision due from 01.07.2013. Pending negotiation and settlement, an adhoc provision was made in the accounts for the year 2013-14. As there was no further improvement in the negotiation a further adhoc provision has been made for wages revision in the books of account during the year 2014-15.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 40: 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए घटक सूचना

रु. लाख में

	खनिज पृथक्करण यूनिटें	2014-15 रेअर अर्थ्स प्रभाग में रसायन यूनिट	कुल	खनिज पृथक्करण यूनिटें	2013-14 रेअर अर्थ्स प्रभाग में रसायन यूनिट	कुलयोग
राजस्व				•		
बाह्य बिक्री	35,600.03	5,325.42	40,925.45	36,304.39	3,573.66	39,878.05
आंतरघटक बिक्री	-	-	-	-	-	-
<u>अन्य आय</u>						
बाह्य	549.65	20.51	570.16	415.85	26.68	442.53
आंतरघटक	-	-	-	-	-	-
गैरविनिधान			407.81			152.70
कुल राजस्व (आंतरघटक से पृथक निवल)			41,903.42			40,473.28
परिणाम						
घटक परिणाम	(1,171.69)	303.92	(867.77)	2,553.71	(322.86)	2,230.85
गैर आबंटित कारपोरेट व्यय (शुद्ध)			(2,740.66)			355.03
प्रचालन लाभ			(3,608.43)			2,585.88
ब्याज व्यय			522.04			550.62
ब्याज आय			4,445.20			5,141.65
कर पूर्व लाभ			314.73			7,176.91
अन्य सूचना						
घटक परिसंपत्तियाँ	3,559.83	691.17	4,251.00	10,824.42	198.87	11,023.29
गैर आबंटित परिसंपत्तियाँ			99,774.21			95,507.21
कुल परिसंपत्तियाँ			104,025.21			106,530.50
घटक देयताएं	47,654.16	7,635.45	55,289.61	45,788.91	6,250.37	52,039.28
गैर आबंटित देयताएं			48,735.60			54,491.22
कुल देयताएं			104,025.21			106,530.50
पूंजीगत व्यय	1,503.33	170.15	1,673.48	1,525.56	53.07	1,578.63
गैर आबंटित पूंजीगत व्यय			16.79			30.54
कुल योग			1,690.27			1,609.17
मूल्यहास 	1,978.51	140.82	2,119.33	1,748.40	139.69	1,888.09
गैर आबंटित मूल्यहास			37.17			29.95
कुलयोग			2,156.50			1,918.04
मूल्यहास के अलावा गैर-नकद व्यय	(724.49)	(101.57)	(826.06)	(75.01)	10.05	(64.96)
मूल्यहास के अलावा गैर आबंटित		, ,		, ,		. ,
गैर-नकद व्यय			0.00			0.02
कुलयोग			(826.06)			(64.94)

नोट :

कंपनी के प्रचालन भौगोलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न न होने के कारण भौगोलिक खंडीकरण प्रासंगिक नहीं है । एफओबी आधार पर परिगणित निर्यात गतिविधियों से उत्पादों की बिक्री रु. 12942.27 लाख है (पिछले वर्ष रु. 18546.86 लाख) । प्राप्य ट्रेड - 31.03.2015 को विदेशी देनदारों से प्राप्त अग्रिम (शुद्ध) रु. 179.31 लाख (पिछले वर्ष रु. 99.32 लाख) है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

₹ in lakh

Note -40: Segment information for the year ended 31st March, 2015

		2014-15		2013-14		
	Mineral	Chemical Unit	Total	Mineral	Chemical Unit	Total
	Separation	at Rare		Separation	at Rare	
	Units	Earth Division		Units	Earth Division	
Revenue						
External Sales	35,600.03	5,325.42	40,925.45	36,304.39	3,573.66	39,878.05
Inter-Segment Sales	-	-	-	-	-	-
Other Income						
External	549.65	20.51	570.16	415.85	26.68	442.53
Inter-Segment	-	-	-	-	-	-
Unallocable			407.81			152.70
Total Revenue (Net-off Inter-						
segment)			41,903.42			40,473.28
Results						
Segment result	(1,171.69)	303.92	(867.77)	2,553.71	(322.86)	2,230.85
Unallocated Corporate						
expenses (Net)			(2,740.66)			355.03
Operating Profit			(3,608.43)			2,585.88
Interest Expenses			522.04			550.62
Interest Income			4,445.20			5,141.65
Profit Before Tax			314.73			7,176.91
Segment assets	3,559.83	691.17	4,251.00	10,824.42	198.87	11,023.29
Unallocated assets			99,774.21			95,507.21
Total assets			104025.21			106530.50
Segment liabilities	47,654.16	7,635.45	55,289.61	45,788.91	6,250.37	52,039.28
Unallocated liabilities			48,735.60			54,491.22
Total liabilities			104025.21			106530.50
Capital Expenditure	1,503.33	170.15	1,673.48	1,525.56	53.07	1,578.63
Unallocated capital expenditure			16.79			30.54
Total			1,690.27			1,609.17
Depreciation	1,978.51	140.82	2,119.33	1,748.40	139.69	1,888.09
Unallocated depreciation			37.17			29.95
Total			2,156.50			1,918.04
Non-cash expenses other than						
depreciation	(724.49)	(101.57)	(826.06)	(75.01)	10.05	(64.96)
Unallocated non-cash expenses						
other than depreciation			0.00			0.02
Total			(826.06)			(64.94)

Note:

Geographical Segment:

The geographical segmentation is not relevant as the operations of the company are not geographically different from each other. Sale of products from export activities calculated on F.O.B basis is ₹12942.27 lakhs (Previous Year ₹18546.86 lakh)

Trade Receivable - Advance received from foreign debtors (net) as on 31.03.2015 is ₹179.31 lakh (previous Year ₹99.32 lakh)

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 41

लेखांकन मानक-18 (एएस-18) - संबंधित पार्टी प्रकटन द्वारा अपेक्षित, उन संबंधित पार्टियों की सूची निम्नानुसार है जिनके साथ 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन हुए हैं :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

कार्यात्मक निदेशक:

1 डॉ. आर.एन. पात्र : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2 श्री एस. गोपालकृष्णन : निदेशक (वित्त) 30.06.2013 तक

अधि दीपेन्द्र सिंह : निदेशक (विपणन)
 श्री सी.के. असनानी : निदेशक (तकनीकी)

5 श्री राकेश तुमाने : निदेशक (वित्त) 01.07.2013 से

6. श्री बी. आर. तरफदार : कंपनी सचिव

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन के विवरण निम्नानुसार है:

रू. लाख में

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1	पारिश्रमिक	155.15	132.02
2	दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	1.93	0.97
3	ब्याज	0.00	0.02
4	31 मार्च को बकाया शेष,		
	वसूली योग्य धनराशि	0.72	1.62

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के वैयक्तिक पारिश्रमिक विवरण

रू. लाख में

क्र.सं.	नाम	2014-15	2013-14
1	डॉ. आर.एन. पात्र	47.59	31.48
2	श्री दीपेन्द्र सिंह	34.00	25.55
3	श्री सी.के. असनानी	33.19	22.38
4	श्री राकेश तुमाने	23.92	17.26
5	श्री एस. गोपालकृष्णन	0.00	21.39
6	श्री बी.आर. तरफदार	16.45	13.97
	कुल	155.15	132.03

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी सेवानिवृत्ति पश्चात् कर्मचारी लाभों एवं वित्तीय विवरण में एएस-15 (पुनरीक्षित 2005) कर्मचारी लाभों के अनुसार मान्यताप्राप्त अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के हकदार हैं। चूंकि यह वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है और अलग अलग कर्मचारी स्तर पर पहचाना नहीं जा सकता है, अत: यह ऊपर सम्मिलित नहीं है।



₹ in lakh

Note-41

As required by Accounting Standard -18 (AS-18) – Related Party Disclosures, list of related parties with whom transactions have taken place for the year ended 31st March, 2015 are as follows:

Key Management Personnel:

Functional Directors:

Dr. R. N. Patra : Chairman and Managing Director Shri S. Gopal Krishnan : Director (Finance) Till 30.06.2013

3 Shri D. Singh : Director (Marketing) 4 Shri C. K. Asnani : Director (Technical)

5 Shri Rakesh Tumane : Director (Finance) - From 01.07.2013

6 Shri B. R. Tarafdar : Company Secretary

Details of transactions with key management personnel are as follows:

₹ in lakh

SI No	Particulars	2014-15	2013-14
1	Remuneration	155.15	132.02
2	Repayment of loans and advances given	1.93	0.97
3	Interest	0.00	0.02
4	Outstanding balance as at 31st March,		
	Amount recoverable	0.72	1.62

Remuneration particulars of individual key management personnel

₹ in lakh

SI. No.	Name	2014-15	2013-14
1	Dr. R.N.Patra	47.59	31.48
2	Shri. D.Singh	34.00	25.55
3	Shri C.K.Asnani	33.19	22.38
4	Shri. Rakesh Tumane	23.92	17.26
5	Shri. S.Gopal Krishnan	0.00	21.39
6	Shri. B.R.Tarafdar	16.45	13.97
	Total	155.15	132.03

Key management personnel and relatives of key management personnel are entitled for post employment benefits and other long term employee benefits recognized as per AS-15 (Revised 2005) Employees Benefits in the financial statements. As the same is based on actuarial valuations not identifiable at an individual employee level, thus the same is not included above.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

दिए गए ऋणों एवं अग्रिम, ब्याज एवं बकाया का पुनर्भुगतान

		दिए गए ऋण	का पुनर्भुगतान	ब्या	ज	बक	ाया शेष
क्र.सं.	नाम	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
1	डॉ. आर.एन. पात्र	0.72	0.34	0.00	0.02	0.58	1.30
2	श्री राकेश तुमाने	0.91	0.33	0.00	0.00	0.07	0.32
3	श्री बी.आर. तरफदार	0.30	0.30	0.00	0.00	0.07	0.00
	कुल योग	1.93	0.97	0.00	0.02	0.72	1.62

नोट-42 : प्रति शेअर अर्जन (ईपीएस)

विवरण			असाधारण मदों से पूर्व		असाधारण मदों के पश्चात	
			2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
मूल						
कर पश्चात लाभ	क	रु. लाख में	(501.31)	4,991.39	66.88	4,678.30
बकाया शेअरों की भारित औसत संख्या	ख	सं.	863,650	863,650	863,650	863,650
मूल ईपीएस	क/ख	₹.	(58.05)	577.94	7.74	541.69
तनुकृत						
कर पश्चात लाभ	क	रु. लाख में	(501.31)	4,991.39	66.88	4,678.30
बकाया शेअरों की भारित औसत संख्या	ख	सं.	863,650	863,650	863,650	863,650
तनुकृत ईपीएस के लिए बकाया शेअरों						
की भारित औसत संख्या	ग	सं.	863,650	863,650	863,650	863,650
तनुकृत ईपीएस	क/ग	₹.	(58.05)	577.94	7.74	541.69
प्रति शेअर अंकित मूल्य		रु.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

नोट-43

कंपनी सामान्यत: 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 447(ई) दिनांक 28.02.2011 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अनुच्छेदों 5(ii)(क), 5(iii), 5(viii)(क), (ख) एवं (ङ) के तहत अपेक्षित मात्रात्मक सूचना को प्रकट न करने कि लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के तहत अनुमोदन प्राप्त करती रही है। कंपनी ने उसी प्रकार के छूट प्राप्त करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को 16.01.2015 एवं 18.05.2015 को पत्र भेजा तथा उत्तर की प्रतीक्षा है। सामान्य रुप से प्रत्येक वर्ष की तरहअनुकूल उत्तर प्राप्त होने की प्रत्याशा में ऐसी सूचनाएं लेखाओं में प्रकट नहीं की गई हैं।



	Re-Payment of Loans and Advances , interest and outstanding							
SI. No.	Name	Repayme	Repayment of loans Interest			Outstandin	g balances	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	
1	Dr. R.N.Patra	0.72	0.34	0.00	0.02	0.58	1.30	
2	Shri. Rakesh Tumane	0.91	0.33	0.00	0.00	0.07	0.32	
3	Shri. B.R.Tarafdar	0.30	0.30	0.00	0.00	0.07	0.00	
	Total	1.93	0.97	0.00	0.02	0.72	1.62	

Note-42: Earnings Per share (EPS)

Particulars			Before extra ordinary items		After extra ordinary items	
			2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Basic						
Profit after tax	Α	₹ in lakhs	(501.31)	4,991.39	66.88	4,678.30
Weighted average number of						
shares outstanding	В	No.	863,650	863,650	863,650	863,650
Basic EPS	A/B	₹	(58.05)	577.94	7.74	541.69
Diluted						
Profit after tax	Α	₹ in lakhs	(501.31)	4,991.39	66.88	4,678.30
Weighted average number of						
shares outstanding	В	No.	863,650	863,650	863,650	863,650
Weighted average number of shares						
outstanding for diluted EPS	С	No.	863,650	863,650	863,650	863,650
Diluted EPS	A/C	₹	(58.05)	577.94	7.74	541.69
Face value per share		₹	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Note-43

The Company normally gets an approval under section 211 (4) of the Companies Act, 1956 from Government of India, Ministry of Corporate Affairs for non-disclosure of quantitative information required under paragraphs 5 (ii) a, 5(iii), 5 (viii) a, b and (e) of Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956I as amended vide Notification No.G.S.R.447 (E) dated 28.02.2011, upto the financial year ended on 31-03-2014. In line with same the Company has made an application for getting the similar exemptions to the Ministry of Corporate Affairs vide letters dated 16.01.2015 and 18.05.2015 and the reply is yet to come. Antipating the favourable reply as the company normally gets in every year, such informations are not disclosed in the Accounts.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-44

एएस-15 (पुनरीक्षित) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार लेखा मानक में परिभाषित प्रकटन नीचे दिए गए है :

क. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ : (लेखा नीति सं. 1.13(क))

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के प्रति देयता को वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में माना जाता है ।

ख. नियोजन पश्चातु लाभः

i. परिभाषित योगदान योजना :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	193.39	117.52
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	40.29	43.77
अधिवर्षिता योजना में नियोक्ता का योगदान	485.64	438.80

ii. परिभाषित लाभ योजना :

कंपनी की निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

विवरण	टिप्पणी
उपदान	एलआईसी के माध्यम से निधिप्रदत्त
भविष्य निधि (पीएफ)	न्यास के माध्यम से निधिप्रदत्त
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)	निधिप्रदत्त नहीं

उपदान : (लेखा नीति सं. 1.13(ख)(ब)(i))

न्यास द्वारा व्यवस्थित कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निश्चित किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अविध को लाभ हकदारी की एक अतिरिक्त यूनिट को बढ़ाने वाला मानता है तथा अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक यूनिट को अलग अलग मापता है ।

बीमांकक पुर्वानुमान :

विवरण	2014-15	2013-14
मृत्यु दर सारणी	आईएएलएम	आईएएलएम
	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.98%	9.29%
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की प्रत्याशित दर (प्रति वर्ष)	7.98%	8.70%
वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%
संनिघर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60

बीमांकक मूल्यांकन में विचारित लाभ की प्रत्याशित दर पीपीएफ जैसी जोखिम मुक्त निवेशों पर उपलब्ध मानी जाती है क्योंकि एलआईसी के साथ निवेश होता है तथा निवेशों की सूची उपलब्ध नहीं है ।



Note 44:

As per AS-15 (Revised) "Employee Benefits", the disclosures as defined in the Accounting Standard are furnished below:

a. Short term employee benefits: [Accounting Policy No. 1.13(A)]

The liability towards short term employee benefits is recognized as an expense for the year in the Statement of Profit and Loss

b. Post employment benefits:

i. Defined contribution plan:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Employer's contribution to Pension Scheme	193.39	117.52
Employer's contribution to New Pension Scheme	40.29	43.77
Employer's contribution to Superannuation scheme	485.64	438.80

ii. Defined Benefits Plan:

The Company has the following defined benefits plans:

Particulars	Remarks
Gratuity	Funded through LIC
Provident Fund (PF)	Funded through Trust
Post Retirement Medical Scheme (PRMS)	Unfunded

Gratuity: [Accounting Policy No. 1.13(B)(b)(i)]

The employees, gratuity fund scheme managed by a trust is a defined benefit plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which considers each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

Actuarial assumptions:

Particulars	2014-15	2013-14
Mortality Table	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)
	Ultimate	Ultimate
Discount rate (per annum)	7.98%	9.29%
Expected rate of return on plan assets (per annum)	7.98%	8.70%
Rate of escalation in salary (per annum)	5.50%	5.50%
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%
Retirement age (years)	60	60

The expected rate of return considered in actuarial valuation is assumed to be available on risk free investments like PPF as the investment is with LIC and list of investments is not available.

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष एवं अंतिम शेष का समाधान:

(रू. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	10,138.81	9,515.98
चालू सेवा लागत	295.83	314.60
ब्याज लागत	941.89	761.28
पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	0.00	0.00
अंदर अंतरित देयता	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयता)	0.00	0.00
बीमांकक (लाभ)/हानि	429.97	305.94
भुगतान किए गए लाभ	(927.24)	(758.99)
वर्षांत पर परिभाषित लाभ दायित्व	10,874.26	10,138.81

योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य के आरंभ शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

(रू. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	8,893.53	8,026.55
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	773.74	690.28
बीमांकक (लाभ)/हानि	84.93	75.71
नियोक्ता का योगदान	909.97	859.98
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(927.24)	(758.99)
वर्षांत पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	9,734.93	8,893.53
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक वापसी	858.67	765.99

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान :

(रू. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9,734.93	8,893.53
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10,874.26	10,138.81
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00
तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध (देयता)/पिरसंपत्ति	(1,139.33)	(1,245.28)

वर्ष के दौरान चिन्हित बीमांकक (लाभ)/हानि:

(रू. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	(84.93)	(75.71)
दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	424.97	305.94
शुद्ध कुलयोग	340.04	230.23



(₹in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Defined benefit obligation at beginning of the year	10,138.81	9,515.98
Current service cost	295.83	314.60
Interest cost	941.89	761.28
Past service cost- non vested benefit	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit	0.00	0.00
Liability transferred in	0.00	0.00
(Liability transferred out)	0.00	0.00
Actuarial (gain)/loss	424.97	305.94
Benefits paid	(927.24)	(758.99)
Defined benefit obligation at year end	10,874.26	10,138.81

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

		(*
Particulars	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets at beginning of the year	8,893.53	8,026.55
Expected return of plan assets	773.74	690.28
Actuarial gain/(Loss)	84.93	75.71
Employer's contribution	909.97	859.98
Transfer from other Company	0.00	0.00
(Transfer to Other Company)	0.00	0.00
Benefits paid	(927.24)	(758.99)
Fair value of plan assets at year end	9,734.93	8,893.53
Actual return on plan assets	858.67	765.99

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

		,
Particulars	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets	9,734.93	8,893.53
Present value of obligation	10,874.26	10,138.81
Unrecognized past service cost at the end of the period	0.00	0.00
Unrecognized transitional liability at the end of the period	0.00	0.00
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	(1,139.33)	(1,245.28)

Actuarial (gain)/Loss recognized during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Actuarial (gain)/Loss on plan assets	(84.93)	(75.71)
Actuarial (gain)/Loss on obligation	424.97	305.94
Net Total	340.04	230.23

Expenses recognized during the year (Ref. Employees remuneration and benefits under Note-23):



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

वर्ष के दौरान चिन्हित व्यय (संदर्भ नोट-23 के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ) :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
चालू सेवा लागत	295.83	314.60
ब्याज लागत	941.89	761.28
(योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी)	(773.74)	(690.28)
बीमांकक (लाभ)/हानि	340.04	230.23
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित निहित लाभ	0.00	0.00
अवधि के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00
शुद्ध लागत	804.02	615.83

तुलन पत्र समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
आरंभिक शुद्ध देयता	1,245.28	1,489.43
व्यय	804.02	615.83
अंतर अंतरित शुद्ध	0.00	0.00
(बाहर अंतरित शुद्ध)	0.00	0.00
नियोक्ता का योगदान	(909.97)	(859.98)
तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध (देयता)/पिरसंपत्ति	1,139.33	1,245.28

निवेश विवरण

(निवेश का %)

परिसंपत्तियों का प्रकार	2014-15	2013-14
भारत सरकार की परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00
कारपोरेट बंधपत्र	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00
इंश्योरर द्वारा व्यवस्थित निधियाँ	100.00	100.00
अन्य	0.00	0.00
कुल	100.00	100.00

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछली चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ

(रु. लाख में)

					(% (114 1)
विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,874.26	10,138.81	9,515.98	8,415.67	7,700.33
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9,734.93	8,893.53	8,026.55	6,517.25	5,866.49
योजना में अधिशेष/(घाटा)	(1,139.33)	(1,245.28)	(1,489.43)	(1,898.42)	(1,833.84)
अनुभव समायोजनः					
योजना पर देयता (लाभ)/हानि	(185.46)	305.94	514.57	901.58	1,517.98
योजना पर परिसंपत्तियाँ (लाभ)/हानि	84.93	75.71	138.32	114.55	103.37



(₹in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Current Service cost	295.83	314.60
Interest cost	941.89	761.28
(Expected return on Plan assets)	(773.74)	(690.28)
Actuarial (gain) / loss	340.04	230.23
Past service cost- non vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Transitional liability recognized during the period	0.00	0.00
Net Cost *	804.02	615.83

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening net liability	1,245.28	1,489.43
Expenses	804.02	615.83
Net Transfer In	0.00	0.00
(Net Transfer Out)	0.00	0.00
Employer's contribution	(909.97)	(859.98)
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	1,139.33	1,245.28

Investment details:

(% of investment)

Type of Assets	2014-15	2013-14
Government of India Assets	0.00	0.00
Corporate Bonds	0.00	0.00
Special Deposits Scheme	0.00	0.00
Equity shares of listed Companies	0.00	0.00
Property	0.00	0.00
Insurer Managed Funds	100.00	100.00
Others	0.00	0.00
Total	100.00	100.00

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Present value of obligation	10,874.26	10,138.81	9,515.98	8,415.67	7,700.33
Fair value of plan assets	9,734.93	8,893.53	8,026.55	6,517.25	5,866.49
Surplus /(Deficit)in the plan	(1,139.33)	(1,245.28)	(1,489.43)	(1,898.42)	(1,833.84)
Experience Adjustment:					
On plan liability (gain)/loss	(185.46)	305.94	514.57	901.58	1,517.98
On plan assets gain/(loss)	84.93	75.71	138.32	114.55	103.37

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

भविष्य निधि (पीएफ) : (लेखा नीति सं. 1.13(ख)(बी)(ii))

कंपनी एक भविष्य निधि न्यास के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंध करती है जो भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अनुमन्य है । योजना में नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया जाता है तथा भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दर पर गारंटी प्रदत्त ब्याज दर दी जाती है ।

बीमांकक पूर्वानुमान:

विवरण	2014-15	2013-14
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.98%	9.29%
गारंटी प्रदत्त वापसी (प्रति वर्ष)	8.75%	8.75%
संनिधर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%

परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	27,103.58	24,512.59
चालू सेवा लागत	1,101.90	1,109.08
ब्याज लागत	2,345.33	2,142.79
कर्मचारी योगदान (वीपीएफ सहित)	2,062.44	1,893.28
अंदर अंतरित देयता	45.45	9.86
(बाहर अंतरित देयता)	(62.67)	(5.27)
बीमांकक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(3,296.12)	(2,558.75)
वर्षांत पर परिभाषित दायित्व	29,299.91	27,103.58

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	27,386.35	24,782.12
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	2,345.33	2,142.79
अन्य कंपनी से अंतरित	45.45	9.86
(अन्य कंपनी को अंतरित)	(62.67)	(5.27)
बीमांकक लाभ/(हानि)	49.65	13.25
योगदान	3,164.34	3,002.35
भुगतान किए गए लाभ	(3,296.12)	(2,558.75)
वर्षात पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	29,632.33	27,386.35

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(रु. लाख में)

		(4. (11 4 1)
विवरण	2014-15	2013-14
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	29,632.33	27,386.35
(दायित्वों का वर्तमान मूल्य)	(29,299.91)	(27,103.58)
प्रदत्त निधि की स्थिति	332.42	282.77
पुस्तकों में गैर चिन्हित शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	(332.42)	(282.77)
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	0.00	0.00

87



Provident Fund (PF): [Accounting Policy No. 1.13(B)(b)(ii)]

The Company manages provident fund through a provident fund trust for its employees which is permitted under the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The plan envisages contribution by employer and employees and guaranteed interest at the rate notified by the provident fund authority.

Actuarial assumptions:

Particulars	2014-15	2013-14
Discount rate (per annum)	7.98%	9.29%
Guaranteed return (per annum)	8.75%	8.75%
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Defined benefit obligation at beginning of the year	27,103.58	24,512.59
Current service cost	1,101.90	1,109.08
Interest cost	2,345.33	2,142.79
Employee Contribution (Including VPF)	2,062.44	1,893.28
Liability Transferred In	45.45	9,86
(Liability Transferred Out)	(62.67)	(5.27)
Actuarial (gain)/loss	0.00	0.00
Benefits paid	(3,296.12)	(2,558.75)
Defined benefit obligation at year end	29,299.91	27,103.58

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets at beginning of the year	27,386.35	24,782.12
Expected return of plan assets	2,345.33	2,142.79
Transfer from other Company	45.45	9.86
(Transfer to Other Company)	(62.67)	(5.27)
Actuarial gain/(Loss)	49.65	13.25
Contribution	3,164.34	3,002.35
Benefits paid	(3,296.12)	(2,558.75)
Fair value of plan assets at year end	29,632.33	27,386.35

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets	29,632.33	27,386.35
(Present value of obligation)	(29,299.91)	(27,103.58)
Funded Status	332.42	282.77
Net liability/(asset) not recognized in the books	(332.42)	(282.77)
Amount recognized in balance sheet	0.00	0.00



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

वर्ष के दौरान चिन्हित व्यय (संदर्भ नोट-23 के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ) :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
चालू सेवा लागत	1,101.90	1,109.08
ब्याज लागत	2,345.33	2,142.79
(योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी)	(2,345.33)	(2,142.79)
बीमाकंक लाभ/(हानि)	49.65	13.25
पुस्तकों में गैर चिन्हित शुद्ध व्यय/(आय)	(49.65)	(13.25)
उपयोग में लाया गया अधिशेष	0.00	0.00
ब्याज में कमी	0.00	0.00
शुद्ध लागत	1,101.90	1,109.08

तुलन पत्र समाधान

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
आरंभिक शुद्ध देयता	0.00	0.00
व्यय	1,101.90	1,109.08
अंदर अंतरित शुद्ध	0.00	0.00
(बाहर अंतरित शुद्ध)	0.00	0.00
(नियोक्ता का योगदान)	(1,101.90)	(1,109.08)
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	0.00	0.00

निवेश का विवरण:

(निवेश का %)

		(1.1वरा वरा 70)
परिसंपत्तियों का प्रकार	2014-15	2013-14
भारत सरकार का परिसंपत्तियाँ	18.52	18.39
राज्य सरकार की परिसंपत्तियाँ	16.10	15.28
विशेष जमा योजना	14.89	16.11
अन्य बांड	43.22	42.08
बैंक शेष	0.29	0.50
अन्य	6.95	7.61
समायोजित करने के लिए प्रीमियम जोड़ें	0.03	0.03
कुल	100.00	100.00

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछली चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ :

(रु. लाख में)

					()
विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
दायित्व का वर्तमान मूल्य	29,299.91	27,103.58	24,512.59	22,398.59	अनुपलब्ध
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	29,632.33	27,386.35	24,782.12	22,624.83	अनुपलब्ध
योजना में अधिशेष/(लाभ)	332.42	282.77	269.53	226.24	अनुपलब्ध
अनुभव समायोजनः					
योजना पर देयता (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	अनुपलब्ध
योजना पर परिसंपत्तियाँ (लाभ)/हानि	49.65	13.25	43.29	104.61	अनुपलब्ध



Expenses recognized during the year (Ref. Employees remuneration and benefits under Note-23):

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Current Service cost	1,101.90	1,109.08
Interest cost	2,345.33	2,142.79
(Expected return on Plan assets)	(2,345.33)	(2,142.79)
Actuarial gain/(Loss)	49.65	13.25
Net expense/(income) not recognized in the books	(49.65)	(13.25)
Surplus Utilised	0.00	0.00
Interest Shortfall	0.00	0.00
Net Cost *	1,101.90	1,109.08

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening net liability	0.00	0.00
Expenses	1,101.90	1,109.08
Net Transfer In	0.00	0.00
(Net Transfer Out)	0.00	0.00
(Employer's contribution)	(1,101.90)	(1,109.08)
Amount recognized in the balance sheet	0.00	0.00

Investment details:

(% of investment)

Type of Assets	2014-15	2013-14
Government of India Assets	18.52	18.39
State Government Assets	16.10	15.28
Special Deposits Scheme	14.89	16.11
Other Bonds	43.22	42.08
Bank Balance	0.29	0.50
Others	6.95	7.61
Add premiun to be adjusted	0.03	0.03
Total	100.00	100.00

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Present value of obligation	29,299.91	27,103.58	24,512.59	22,398.59	NA
Fair value of plan assets	29,632.33	27,386.35	24,782.12	22,624.83	NA
Surplus /(Deficit)in the plan	332.42	282.77	269.53	226.24	NA
Experience Adjustment:					
On plan liability (gain)/loss	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
On plan assets gain/(loss)	49.65	13.25	43.29	104.61	NA

NA: Not Available



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) : (लेखा नीति सं. 1.13(ख)(ब)(iii))

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी स्वास्थ्य देखभाल लागतों (घरेलू एवं अस्पताल दोनों) की प्रतिपूर्ति की जाती है । प्रतिपूर्ति कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसके संवर्ग के आधार पर एक समग्र सीमा के अधीन की जाती है ।

बीमांकक पूर्वानुमानः

विवरण	2014-15	2013-14
मृत्युदर सारणी	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.95%	9.29%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
संनिघर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति दर	5.00%	5.00%

भावी देयताओं का वर्तमान मूल्य बीमांकक मूल्यांकन में 7.95% ब्याज दर के आधार पर तक पहुँच गया है जिसमें यह माना गया है कि इस मूल्यांकन तक पहुँचा चिकित्सा आरक्षित तथा उस पर भावी वृद्धियाँ न्यूनतम 7.95% की ब्याज दर के साथ क्रेडिट होंगी ।

परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	4,730.09	4,682.84
चालू सेवा लागत	178.50	169.94
ब्याज लागत	439.42	374.63
पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	0.00	0.00
अंदर अंतरित देयता	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयता)	0.00	0.00
बीमांकक (लाभ)/हानि	39.43	(244.76)
भुगतान किए गए लाभ	(243.01)	(252.56)
वर्षांत पर परिभाषित लाभ दायित्व	5,144.43	4,730.09

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,144.43	4,730.09
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	5,144.43	4,730.09



Post Retirement Medical Scheme (PRMS): [Accounting Policy No. 1.13(B)(b)(iii)]

The post retirement medical scheme provides for reimbursement of health care costs (both domicilliary & hospitalisation) to employees post their retirement. The reimbursement is subject to an overall ceiling based on cadre of the employee at the time of retirement.

Actuarial assumptions:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Mortality Table	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)
	Ultimate	Ultimate
Discount rate (per annum)	7.95%	9.29%
Normal retirement age (years)	60	60
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%
Medical cost inflation rate	5.00%	5.00%

The present values of the future liabilities have been arrived at on the basis of 7.95% interest rate in actuarial valuation, assuming that the medical reserve arrived at by this valuation and the future increases thereon will be credited with at least 7.95% interest rate.

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Defined benefit obligation at beginning of the year	4,730.09	4,682.84
Current service cost	178.50	169.94
Interest cost	439.42	374.63
Past service cost- non vested benefit	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit	0.00	0.00
Liability transferred in	0.00	0.00
(Liability transferred out)	0.00	0.00
Actuarial (gain)/loss	39.43	(244.76)
Benefits paid	(243.01)	(252.56)
Defined benefit obligation at year end	5,144.43	4,730.09

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

		'
Particulars	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets	0.00	0.00
Present value of obligation	5,144.43	4,730.09
Unrecognized past service cost at the end of the period	0.00	0.00
Amount recognized in balance sheet	5,144.43	4,730.09

Expenses recognized during the year (Ref. Employees remuneration and benefits under Note-23):

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

(रु. लाख में)

वर्ष के दौरान चिन्हित व्यय (संदर्भ नोट-23 के तहत कर्मचारियों के पारिश्रामिक एवं लाभ) :

विवरण	2014-15	2013-14
चालू सेवा लागत	178.50	169.94
ब्याज लागत	439.42	374.63
बीमांकक (लाभ)/हानि	39.43	(244.76)
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित निहित लाभ	0.00	0.00
शुद्ध लागत*	657.35	299.81

तुलन पत्र समाधान ः

(रु. लाख में)

		((((((((((((((((((((
विवरण	2014-15	2013-14
आरंभिक शुद्ध देयता	4,730.09	4.682.84
व्यय	657.35	299.81
अंतर अंतरित शुद्ध	0.00	0.00
(बाहर अंतरित शुद्ध)	0.00	0.00
नियोक्ता का योगदान	(243.01)	(252.56)
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	5,144.43	4,730.09

संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

	2014-15	2013-14
बट्टे दर में 1% की वृद्धि हेतु देयता में परिवर्तन	(456.76)	(276.43)
बट्टे दर में 1% की कमी हेतु देयता में परिवर्तन	542.86	242.18
मुद्रास्फीति दर में 1% की वृद्धि हेतु देयता में परिवर्तन	547.24	483.41
मुद्रास्फीति दर में 1% की कमी हेतु देयता में परिवर्तन	(461.39)	(413.88)

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछले चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ:

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,144.43	4,730.09	4,682.84	4,132.35	1,940.90
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना में अधिशेष/(घाटा)	(5,144.43)	(4,730.09)	(4,682.84)	(4,132.35)	1,940.90

ग. अन्य दीर्घकालिक लाभ :

छुट्टी देयता (एलआईसी के माध्यम से निधिप्रदत्त)

i) छुट्टी देयता अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ में निधि प्रदत्त हैं तथा इसका बीमांकक मूल्यांकन किया जाता है तथा बही में तद्नुसार दिया जाता है ।

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
सकल देयता	5,794.43	5,332.14
उपलब्ध निधि	4,966.38	4,352.87
शुद्ध देयता	828.05	979.26

90



(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Current Service cost	178.50	169.94
Interest cost	439.42	374.63
Actuarial (gain) / loss	39.43	(244.76)
Past service cost- non vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Net Cost *	657.35	299.81

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening net liability	4,730.09	4,682.84
Expenses	657.35	299.81
Net Transfer In	0.00	0.00
(Net Transfer Out)	0.00	0.00
Employer's contribution	(243.01)	(252.56)
Amount recognized in the balance sheet	5,144.43	4,730.09

Sensitivity analysis:

(₹ in lakh)

	2014-15	2013-14
Change in liability for 1% increase in discount rate	(456.76)	(276.43)
Change in liability for 1% decrease in discount rate	542.86	242.18
Change in liability for 1% increase in inflation rate	547.24	483.41
Change in liability for 1% decrease in inflation rate	(461.39)	(413.88)

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Present value of obligation	5,144.43	4,730.09	4,682.84	4,132.35	1,940.90
Fair value of plan assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus /(Deficit)in the plan	(5,144.43)	(4,730.09)	(4,682.84)	(4,132.35)	(1,940.90)

c. Other Long Term Benefits:

Leave liability (Funded through LIC)

i. Leave liability is funded under "Other long term employee benefit" and is valued actuarially and provided in the books accordingly.

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2013-14
Gross liability	5,794.43	5,332.14
Fund available	4,966.38	4,352.87
Net liability	828.05	979.26

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

- ii **पुन: स्थापना भत्ता:** कंपनी से सेवानिवृत्ति पर पुन: स्थापन भत्ते को "अन्य दार्घीकालिक गैर निधिप्रदत्त कर्मचारी लाभ" के रुप में माना जाता है। बहियों में रु. 90.66 लाख (पिछले वर्ष रु. 88.94 लाख) के प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर बनाए गए हैं।
- iii **गैर-अधिकारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी) :** बहियों में एलटीसी हेतु रु. 60.77 लाख (पिछले वर्ष रु. 59.01 लाख) के प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं।

टिप्पणियाँ :

- । बीमांकक मूल्यांकन में मानी जाने वाली भावी वेतन की अनुमानित लागत में मुद्रा स्कीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित तथ्यों जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति एवं मांग का ध्यान रखा जाता है।
- ii कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपदान निधि हेतु रु. 905.33 लाख (पिछले वर्ष रु. 885.31 लाख) दिए जाने का अनुमान लगाती है।

नोट-45

जहां आवश्यक हो, पूर्व वर्षों के आंकड़ों को पुन: समूहीकृत/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस. के पटोदिया एंड एसोसिएट्स

कृते बोर्ड

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार बी.आर. तरफदार राकेश तुमाने डॉ. आर.एन. पात्र पार्टनर कंपनी सचिव निदेशक (वित्त एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सदस्यता संख्या :134572 मुख्य वित्त अधिकारी)

मुंबई, मुंबई

दिनांक: 16 जुलाई 2015 दिनांक: 16 जुलाई 2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2015

- ii. Resettlement allowance: Resettlement allowance on retirement from the Company is considered as "Other long term unfunded employee benefit". The provision amounting to ₹90.66 lakh (previous year ₹88.94 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.
- Leave Travel Concession (LTC) for non-executives: Provision for LTC amounting to ₹ 60.77 iii. lakh (previous year ₹ 59.01 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.

Notes:

- The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, take account of i inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- The Company estimates that the amount to be contributed to the gratuity fund for the financial ii. year 2015-16 will be ₹905.33 lakhs (Previous year ₹885.31 lakhs).

Note-45

Previous year figures have been regrouped / re-classified wherever necessary.

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board

Dr. R N Patra

Chairman and

Managing Director

S. K. Patodia & Associates **Chartered Accountants**

Firm Registration Number: 112723W

Arun Poddar Partner

B R Tarafdar Rakesh Tumane Company Secretary Director (Finance & CFO)

M. No. 134572 Mumbai

Mumbai

Dated: 16th July, 2015 Dated: 16th July, 2015